हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, 04 सितम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

04.09.2024/1100/एन.एस.-ए.एस./1

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या : 1239

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भविष्य में ये मल्टी पर्पज वर्कर्ज लगेंगे और जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या वे उसी डिवीजन में लगेंगे जिस क्षेत्र के वे निवासी होंगे? क्या संबंधित क्षेत्र के लोग ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे?

Speaker : Hon'ble Chief Minister, do you want to reply? अभी सूचना एकत्रित की जा रही है, but whatever the suggestions of the Hon'ble Member are, the Hon'ble Chief Minister will take them into consideration while replying to this.

04.09.2024/1100/एन.एस.-ए.एस./2

प्रश्न संख्या : 2000

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वन विभाग से संबंधित है और मैंने पूछा था कि केंद्र व प्रदश सरकार द्वारा वन विभाग कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिला बिलासपुर को गत वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त हुई और कहां-कहां, कितनी-कितनी खर्च हुई? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि वन विभाग जिला बिलासपुर को जो राशि आबंटित हुई थी उसमें वन मण्डल अधिकारी को 4,81,78,976 रुपये की राशि दी गई थी। इस राशि का अधिकतर भाग लगभग 3.50 करोड़ रुपये पौधारोपण पर लगाये गये। उसकी डिटेल भी दी गई है कि कितने पौधे किस नर्सरी और बीट में लगाए गए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो पौधों की संख्या दी गई है, क्या एक साल बीत जाने पर ये पौधे अभी भी जीवित हैं? क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे करवाया है कि जो पौधे लगे थे उनका सर्वाइवल रेट कितना है? दूसरा, जिला परियोजना अधिकारी को 5,93,04,054 रुपये की धनराशि गई है तो मैंने पूछा था कि ये धनराशि कहां-कहां खर्च हुई? इसमें यहां

तक भेदभाव है कि ये राशि सिर्फ घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र में ही खर्च हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि वहां कोई चैक डैम लगता या कोई जल भंडारण केंद्र बनता? सारा पैसा एक ही विधान सभा क्षेत्र में खर्च किया गया है। इसकी डिटेल प्रश्न के उत्तर में आई है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ये सारी धनराशि एक ही विधान सभा क्षेत्र में खर्च की गई है? क्या भविष्य में ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि जो पैसा है वह वन विभाग की सभी रेंजिज में बराबर या आवश्यकतानुसार दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो पौधारोपण होता है उसका सर्वाइवल रेट क्या है? अंदाजन 50 से 60 प्रतिशत इनका सर्वाइवल रेट माना जाता है क्योंकि कई बार पशु चरने जाते हैं और पौधे छोटे होते हैं तो उनको खा लेते हैं। जो पौधे बच जाते हैं तो उनके सर्वाइवल रेट का अंदाजा लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है कि हमने पौधारोपण किया

आर0के0एस0 द्वारा ------ जारी

04.09.2024/1105/RKS/DC-1

प्रश्न संख्या:2000... जारी

मुख्य मंत्री.... जारी

लेकिन हम कुछ समय से इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। आप सरवाइवल रेट के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो पौधरोपण हुआ है उसमें हमने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस पंचायत की खाली पहाड़ी में पौधरोपण होगा वहां उसी गांव की महिलाओं को इंवोल्व किया जाए। हम इस प्रकार की एस.ओ.पी. बनाने पर विचार कर रहे हैं कि पौधरोपण का कार्य वहां के महिला-मंडलों को ही सौंप दिया जाए। ऐसा करने से पौधों का सरवाइवल रेट भी अच्छा होगा और पैसों का optimum use भी होगा। पिछले कई वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि हम पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उनकी सरवाइवल रेट की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। हमारी सरकार इस प्रथा को बदलने का विचार रखती है। हमने पिछली बार

सचिव, वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो खाली पहाड़ियां हैं वहां कि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से पौधरोपण किया जाए। हमने यह भी कहा है कि जब हम पौधरोपण करें तो उसमें 60 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएं । आपने घुमारवीं क्षेत्र की बात की, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार कभी एक क्षेत्र के लिए काम नहीं करती। यह ठीक है कि कोई प्रभावशाली मंत्री थोड़ा ज्यादा काम करवा लेता है। पौधरोपण की एक प्रकिया है और उसके बारे में हम सभी जानते हैं। प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि हर विधान सभा क्षेत्र में काम हुआ है। आपके विधान सभा क्षेत्र में भी चैक डैम बनाने का काम हुआ है। अगर आपके क्षेत्र में कम काम हुआ है तो हम विभाग को यह निर्देश देंगे कि माननीय विधायक के क्षेत्र में थोड़ा और काम कर दिया जाए। सरकार सभी 68 के 68 विधान सभा क्षेत्रों में पैसा जारी करने का काम करती है। यह आप भी जानते हैं कि कई बार विधायक अपने प्रभाव से ही काम करवा लेते हैं। जैसे श्री जय राम ठाकुर जी विपक्ष के नेता हैं और इनके प्रभाव से ही पौधरोपण हो जाता है। अधिकारी भी चाहते हैं कि जहां मंत्री का चुनाव क्षेत्र हो वहां अच्छा कार्य किया जाए। अगर घुमारवीं क्षेत्र में काम हुआ होगा तो निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र में भी काम हुआ है। **अगर घुमारवीं क्षेत्र में 40 प्रतिशत काम हुआ होगा तो हम आपके क्षेत्र में 50 प्रतिशत काम करने के दिशा-निर्देश देंगे। धन्यवाद।**

04.09.2024/1105/RKS/DC-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम जितनी धनराशि पौधरोपण पर खर्च करते हैं सरकार उतनी धनराशि पौधों के संरक्षण के लिए खर्च नहीं करती। एक फोरेस्ट वर्कर को हजारों पेड़ों के रख-रखाव का कार्य सौंपा जाता है जोकि संभव नहीं है। ऐसे में पौधों को पानी देना भी दूर की बात है। सुरक्षा के अभाव में पौधों को पशु या जंगली जानवर खा जाते हैं। फेंसिंग का कार्य भी प्रेक्टिकली नहीं होता है, यह कार्य कागज़ों तक ही सीमित है। मेरा आग्रह है कि पौधों के रख-रखाव के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए और इनकी सुरक्षा के लिए टेंपरेरी तौर पर लोग रखे जाएं। मेरा प्रश्न है कि पौधों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार अलग से बजट का प्रावधान करेगी? आपने कहा कि पौधों का 50 प्रतिशत सरवाइवल रेट है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्ष पौधों का सरवाइवल रेट जीरो प्रतिशत आया है। इस वर्ष जंगलों में इतनी आगजनी की घटनाएं हुई जिसमें

पिछले वर्ष रोपित पेड़ों के साथ-साथ कई वषों से लगे पेड़ जल गए। ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है कि कई जगह लोगों की लापरवाही से जंगलों में आग लगी है। वन विभाग के कर्मचारियों को जो पौधे लगाने का टारगेट दिया जाता है अगर वे उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते तो इस बात को छिपाने के लिए जंगल में लगी आग का सहारा लिया जाता है ताकि उनसे टारगेट के बारे में न पूछा जाए। आगजनी की घटनाएं बढ़ने का यह भी एक कारण है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1110/बी.एस./डी.सी.-1

प्रश्न संख्याः 2000 क्रमांगत...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने फिर से एक प्रश्न किया है और आग जनी की घटनाओं के बारे में भी बात की है। इन सब चीजों के लिए व्यवस्था चली आ रही है हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इन चीजों के लिए वन मित्र की भर्ती की और जिसमें पंचायतवार वन मित्रों की भर्ती भी होनी है। वह कोई अस्थायी नौकरी है कोई पक्की नौकरी नहीं है। उसमें पंचायत के आदमी को इसलिए रखा जाएगा कि वनों में आग लगती है और वनों में जो पौधारोपण करते हैं उसका सर्वाइवल कैसे होगा? वह मामला अभी कोर्ट में है वह जजमेंट में लगा हैं जल्दी ही उसमें फैसला आएगा। उसके अनुसार जल्दी ही वन मित्र की नियुक्ति हो जाएगी। उन लोगों का काम भी आग जनी की घटनाओं को देखने और पौधारोपण को देखने का होगा। जजमेंट जो भी आएगी हम उस पर अलमल करेंगे और वन मित्र लगाना जो अस्थायी नौकरी है उसको हम लगाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और तुरंत प्रभाव से लगाएंगे। जैसा आपने कहा है और हमने भी कहा है कि महिला मण्डलों, एन.जी.ओज. को और इसमें किसी अन्य लोगों को सम्मिलित करना चाहते हैं उनके लिए हम एस.ओ.पी. बना रहे हैं। जो उसके लिए एस.ओ.पी. बनेगी उससे क्या होगा कि ज्यादा सर्वाइवल होगा। उसका पाइलट प्रोजैक्ट हमने लहौल-स्पिति में शुरू कर दिया है। वहां महिला मण्डल को इंवाल्व किया और उनसे पौधारोपण करवाया, उनको पौधारोपण के पैसे दिए अब उनको कहा है कि आप इनकी सर्वाइवल जितनी ज्यादा करोगे

उसके आपको और ज्यादा पैसे मिलेंगे। उससे आय भी होगी और रोजगार भी घर के पास मिलेगा। जो सर्वाइवल की बात कह रहे हैं, हमारी एक प्रथा थी और हमारी सरकार ने आ करके इस प्रथा में परिवर्तन किया और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में वन विभाग भी आया है। हम इसमें अच्छी व्यवस्था करेंगे और भविष्य में आप देखेंगे कि खाली पहाड़ियों में हमने निर्देश दिए हैं कि जो खाली पहाड़ियां नजर आती हैं वहां भी पौधारोपण किया जाए। होता क्या है कि वन विभाग हमसे पौधारोपण करवाता है सभी विधायक पौधारोपण करते हैं और उसे वहां पर किया जाता है जहां पर जंगल होता है। आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने ओक ओवर में जो पौधा लगाया है मैं उसकी सर्वाइवल खुद कर रहा हूं। मैं यह बात आपको इसलिए बताना चाहा रहा हूं कि मैंने भी अभी पौधा लगाया है और उसकी सर्वाइवल मैं खुद कर रहा हूं। ये जो सर्वाइवल है इसे स्थानीय निवासी ज्यादा कर सकते हैं। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है और आने वाले समय में और भी ज्यादा काम करेगी।

04.09.2024/1110/बी.एस./डी.सी.-2

प्रश्न संख्याः 2001

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, मैंने 31 जुलाई, 2024 तक कांगड़ा विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत वृद्धा तथा विधवा पेंशन के कितने मामले लंबित हैं, उस संबंध में प्रश्न पूछा था। उसके जवाब में गत तीन वर्षों में अर्थात 01.04.2021 से 31.07.2024 तक कांगड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन के क्रमशः 175 व 25 कुल 200 मामले लंबित हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि ये जो वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन की पात्र लाभार्थी हैं जिन्हें पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए ये कब तक मिलेगी? इसकी कोई दिनांक या डेड लाइन है, क्या ये 30 सितम्बर से पहले-पहले या 31 अक्तूबर से पहले-पहले आप इन्हें पेंशन की सुविधा दे देगें?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कांगड़ा के क्षेत्र में जो वस्तुस्थिति है वह 9,514 लाभर्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आठ श्रेणियों में लाभ प्रदान हो रहा है। उसमें रिव्यू मीटिंग भी होती रहती है और मैं स्वयं भी रिव्यू मीटिंग लेता रहता हूं। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है उसकी कोई डेड लाइन तो नहीं की जा सकती। परंतु इतना मैं जरूर जानता हूं कि as on today there is no such pendency in

your District और जो 31 जुलाई, 2024 तक मामले आए हैं वे निपटा दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि अगले तीन महीनों में यह जो प्रश्न किया है यह पूरा हो जाएगा।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

3.09.2024/1115/डी0टी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्याः 2002

श्री नन्द लालः अध्यक्ष महोदय, 2014-2015 के बाद जितनी भी सिंचाई एवं पेयजल योजनाएं हैं उनके बारे में काफी डिटेल में उत्तर दिया गया है। इसमें कुछेक योजनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकि हैं और किसी पर काम चला हुआ है। इसमें लास्ट प्वाइंट में लिखा गया है कि जो योजना है वह submitted to the higher-ups, मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि उसको परसू किया जाये ताकि ऐसी स्कीम्ज भी जल्दी-से-जल्दी अप्रूव हो जायें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की बात उठाई है, मैं माननीय सदस्य से चर्चा करके आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर इन्हें अप्रूव करने का प्रयास करूंगा।

3.09.2024/1115/डी0टी0/डी0सी0-2

प्रश्न संख्याः 2003

श्री सुधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ये जानना चाहूंगा कि जो ज़िला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, क्या सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है?

दूसरी जो बात मैं मानीय मुख्य मंत्री जी पूछना चाहूंगा वो ये है कि टूरिज़म कैपिटल बनाने के लिए क्या कोई डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है जिससे पता चले कि ज़िला कांगड़ा में टूरिज्म कैपिटल के मद्देनज़र कहां-कहां, क्या-क्या प्रोजेक्ट आने वाले समय में आयेंगे? इसके साथ ही जो गोल्फ कोर्स व चिड़िया घर ज़िला कांगड़ा में बन रहे हैं, उनके संबंध में जो सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें टूरिज़म कैपिटल में क्या-क्या चीजें आ रही हैं, ये

बातें उत्तर का हिस्सा नहीं हैं और उत्तर में मिसिंग है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ये जानना चाहता हूं कि क्या वे इसका हिस्सा हैं या इससे अलग हैं?

3.09.2024/1115/डी0टी0/डी0सी0-3

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा को हम टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इस चीज के मद्देनज़र पहले हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। जब इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर जायेंगे तभी पर्यटन की दृष्टि से हम कांगड़ा को विकसित कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कई प्रकार की योजनाओं पर सरकार कार्य कर रही है। सबसे पहले ज़िला कांगड़ा में हमें लैंड-बैंक बनाना होगा। क्योंकि अगर कांगड़ा में टूरिज्म का कोई प्रोजेक्ट लाना है तो कोई भी बाहर का उद्योगपति या टूरिज़म के प्रोजेक्ट में काम करने वाला जमीन चाहता है। कई लोग तो इसलिए नहीं आना चाहतें क्योंकि धारा-118 की परमिशन लेने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार इस पर प्रयास कर रही है। उसके बाद टूरिज्म कैपिटल से संबंधित जो गाइड-लाइंस होंगी या जो मापदंड होंगे, उसके अनुसार कार्य करने पर विचार किया जायेगा और माननीय सदस्य के भी अगर इसमें कोई सुझाव होंगे तो हम उन्हें भी इसमें सम्मलित करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम कांगड़ा को टूॅरिज्म कैपिटल बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरी बात वनखंडी में जू खोलने से संबंधित पूछी है। मैं माननीय सदस्य को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये चिड़िया घर नहीं है बल्कि जू है क्योंकि चिड़िया घर तो गोपालपुर में है। जू के संबंध में मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि 170 हैक्टर के लगभग भूमि में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की हमारी योजना है। पूरे भारत में एक या दो ऐसे जू हैं। जिन्होंने इण्डिया में एक या दो जू बनाये हैं उनका एक कंसल्टेंट हमने नियुक्त कर दिया है। उसके तहत पहले फेज़ में हमारा जो वनखंडी है, जिसमें लगभग 160 या 170 हैक्टर भूमि है उसमें चार दिवारी का काम शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त वहां पर चेक-डेम बनाने का काम भी शुरू हो चुका है और इसका कांट्रेक्ट हिमुडा को दिया जा चुका है। मेरी पिछले कल ही माननीय मंत्री महोदय से बात हुई है कि इस कार्य को स्पीड-अप करें। जो फेज़-। का काम शुरू होना है जिसमें जानवरों के लिए चिकित्सालय बनना है या वहां पर तैनात होने वाले स्टॉफ के लिए एकोमोडेशन बननी है, उस का काम शुरू होगा। उसके बाद इस जू के लिए भारत सरकार से जो

परमिशन चाहिए होती है इस प्रकार के काम को शुरू करने से पहले वह बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि इस जू के लिए कोई जानवर अफ्रिका से मंगवाया जायेगा कोई जानवर किसी अन्य देश से मंगवाया जायेगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसमें केंद्र सरकार से हमें अनुमति मिल गई है।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

04-09-2024/1120/एच.के.-एन.जी/1

प्रश्न संख्या - 2003.....जारी

मुख्य मंत्री.....जारी

अब हम पहले चरण के कार्य के बाद दूसरे चरण के कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। यह Zoo 3-4 साल में बन कर तैयार होगा। इस Zoo को पर्यटन की दृष्टि से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसमें हम लगभग 610 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। आने वाले समय में हमें कुछ अन्य अथॉरिटीज़ से भी पैसा मिलने वाला है। पर्यटन के लिए मैं 2-3 प्वाइंट बताना चाहूंगा। जैसे हमारे पॉन्ड्स में किस प्रकार की नीति लानी है। हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं जिसमें रक्कड़ का हैलिपोर्ट भी शामिल है और इसके लिए 13 करोड़ रुपये की स्वीकृति हो चुकी है। हमने ऐयरपोर्ट की स्थिति भी आपको बताई है कि सैक्शन-21 की अधिसूचना को शीघ्र जारी करने वाले हैं। पर्यटन राजधानी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले चाहिए, उसका निर्माण करने के बाद हम इसके दूसरे चरण पर जाएंगे। आने वाले समय में जब हमारा बजट आएगा तब उसमें भी कुछ योजनाओं की घोषणा करेंगे।

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए क्या कोई अधिसूचना जारी की गई है? इसके अलावा क्या कोई डी.पी.आर. तैयार की जा रही है? मुख्य मंत्री जी अभी उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रगति हुई है तथा लैंड बैंक कहां-कहां पर तैयार किया जा रहा है?

04-09-2024/1120/एच.के.-एन.जी/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब बजट में किसी चीज की घोषणा हो जाती है तो अधिसूचना का कोई मायने नहीं रहता। अधिसूचना जारी किए बिना ही हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। ऐयरपोर्ट एक्पैंशन करना पर्यटन राजधानी का सबसे बड़ा पार्ट है। पर्यटन राजधानी के अंतर्गत हमने किन-किन सुविधाओं को देना है तो हम उससे संबंधित अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करेंगे। हम कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी डिक्लेयर कर चुके हैं और अब उसमें क्या-क्या सुविधाएं देनी हैं, इस पर काम चल रहा है। हम ऐयरपोर्ट के लिए सैक्शन-21 की अधिसूचना कुछ समय बाद ही जारी करने जा रहे हैं। ऐयरपोर्ट की एक्सपैंशन करना पर्यटन राजधानी का ही पार्ट है। पर्यटन राजधानी के तहत जिला कांगड़ा में हमने क्या-क्या सुविधाएं देनी हैं और उसके लिए हम जिन स्कीम्ज़ को लाएंगे उनकी अधिसूचना हम आने वाले समय में करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लैंड बैंक की बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी मेरे पास इसकी पूरी डीटेल उपलब्ध नहीं है। हमारी सरकार को जो लोग स्वेच्छा से लैंड देना चाहते हैं और कहां पर compulsory acquisition करना है तथा अन्य क्या-क्या करना है, इन सब पर हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में हम लैंड बैंक तैयार करके जिन सुविधाओं को देना चाहते हैं उन्हें अधिसूचना के माध्यम से देंगे।

04-09-2024/1120/एच.के.-एन.जी/3

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया। प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि लगभग 930 करोड़ रुपये, ऐयरपोर्ट, हैलिपोर्ट, Food Craft Institute, Dharmshala, पैराग्लाइडिंग और अन्य कार्यो के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के नरघोटा में टूरिस्ट विलेज के निर्माण के लिए भी 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग ने ऐयरपोर्ट के साथ

72 कनाल जमीन का एक लैंड बैंक भी स्थापित किया और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है और ऐयरपोर्ट की एक्सपैंशन का कार्य भी शुरू किया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहली बार हुआ है कि हम सैक्शन-21 तक पहुंचे हैं। मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ता था तब से सुन रहा हूं कि ऐयरपोर्ट की एक्सपैंशन हो रही है। इसके लिए अभी 19 केन्द्रीय मंत्री और 4 मुख्य मंत्रियों ने अनेक बैठकें कर ली हैं। वहां पर 3 Civil Aviation Minister भी आए, बीड़ में भी आए और माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी भी तब मंत्री हुआ करते थे। ये यू.पी.ए.-1 के समय में भी प्रदेश सरकार में मंत्री थे और उस समय ऐयरपोर्ट पर एक बैठक हुई थी।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

04.09.2024/1125/केएस/एचके/1

श्री केवल सिंह जारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज भी सबसे ज्यादा 8-10 फ्लाइट्स धर्मशाला गग्गल एयरपोर्ट में आती-जाती हैं। गग्गल का एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है, अगर उसमें आपने एकदम कांगड़ा को इम्पोर्टेंस दी है, उस इलाके से हमारा लोअर हिमाचल का सारा इलाका खुल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र साथ लगता है, वहां पर एक करेरी लेक है और यह विधान सभा की एश्योरेंस है। मेरे जवाब में ही विधान सभा की एश्योरेंस है, यह मैंशन ही नहीं हुआ है। विधान सभा के पहले बजट में करेरी लेक, खबरु फॉल, गुन्ना माता, नड्डी, ये एरियाज़ हैं जहां इन्द्रप्रस्थ वाला नड्डी में जो होटल है, उस एरिया में और अभी भी खरेरी में ऑफ सीज़न में भी एक-डेढ़ हज़ार आदमी वहां ट्रैक पर जा रहा है। मेरा लमडल एरिया है, आजकल टूरिस्ट कैपिटल ट्रैक चाहिए।

आजकल लोग ऑन लाइन वॉल्वो बस में आते हैं, गाड़ी में करेरी पहुंचते हैं फिर वह चार घंटे का ट्रैक है। 6 घंटे का लमडल है, आजकल मणिमहेश की यात्रा चली है, वहां से बरेई हो कर आगे मणिमहेश निकलते हैं। मेरा यही प्रश्न है कि बजट की घोषणा हुई है। मैं सदन के नेता से चाहूंगा कि यह साथ लगता विधान सभा क्षेत्र है, बजट में जो घोषणा की है,उसमें करेरी मैंशन है, तो इसमें भी क्या करेरी लेक की डवलपमेंट, खबरू फॉल और नड्डी को लेकर विचार किया जाएगा?

एक मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो एक्विजिशन हो रही है, क्या-क्या स्टैप्स इसके बारे में लिए जा रहे हैं? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एअरपोर्ट क्योड़ियां, रछयालू और कठमा के चार पार्ट हैं। वहां लैंड एक्विजिशन में जो टूरिज्म विभाग ने नोटिस निकाला है, 13 लाख रुपये कनाल रछयालू में, तीन लाख रुपया क्योड़ियां के अंदर और 65 लाख रुपये गग्गल के अंदर एक्विजिशन होनी है। मैं चाहता हूं कि बराबर का लगभग एअरपोर्ट बनना है, क्योंकि इस पर फैक्टर-21 का नोटिस होगा उसके बाद ऑब्जैक्शन्ज़ आएंगे। इसके बारे में भी मैं सदन के नेता से जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

04.09.2024/1125/केएस/एचके/2

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है। इन्होंने करेरी लेक की बात की है और वह ट्रैक का रूट है। **जब ट्रैक का रूट है तो उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और करेरी लेक को कैसे डवलप करना है, इस बारे में माननीय सदस्य से भी सुझाव लिया जाएंगे। अगर उसके लिए बजट की ज़रूरत होगी तो बजट का प्रावधान भी उसमें कर दिया जाएगी।** दूसरे, इन्होंने कुछ फैक्टर की बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि एअरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए हम जो भी प्लान ले कर आए, हम वह हिमाचल के लोगों के हित को देखकर लाए हैं। कहीं पर भी अगर थोड़ी-बहुत डिस्क्रिमिनेशन होगी, हमारी सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करेगी। जब थोड़ा विरोध होता है तो हम सभी को मिलकर चलना चाहिए। एक तो पर्यटन की दृष्टि से हम हिमाचल का बहुत गुणगान करते हैं लेकिन यहां पर एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एअरपोर्ट अभी तक

भी नहीं बना है। हमने उसमें प्रयास किया है और हम चाहेंगे कि वहां के निवासियों को उचित मुआवजा मिले। इसमें हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के बल्ह एअरपोर्ट के लिए भी हमने एक साल की एक्सटेंशन दी है और उसमें भी हमें समयानुसार अगर कार्रवाई करनी होगी तो हम करेंगे। कहीं पर भी बंद करने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन **यह हमारा सबसे इज़ी प्रोजैक्ट था जिसको एक्सपेंशन करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं और जल्दी ही इसकी फैक्टर-21 की नोटिफिकेशन भी हम कर देंगे।**

04.09.2024/1125/केएस/एचके/3

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के हिसाब से बहुत सारे वर्जिन टेस्टिनेशन्ज़ भी हैं। कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से राजधानी घोषित किया गया है, आप उसको बनाएंगे बहुत स्वागत योग्य फैसला है। उसके साथ-साथ गग्गल एअरपोर्ट है लेकिन उसके साथ ही लगता हमारा जिला चम्बा है। वाया द्रमण से चुवाड़ी-सिंहुता से होते हुए नेशनल हाईवे का इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम लोगों को मिली हुई है जबकि चुवाड़ी से मंगला को हम एक टनल भी प्रस्तावित कर सकते हैं। क्या इस संदर्भ में विचार किया जा रहा है?

दूसरा, जो हैलीपोर्ट का आपने चम्बा में ज़िक्र किया था, क्या उसको चम्बा के लोग जो कि एक्सप्रेशनल जिला में रहते हैं, बैकवर्ड एरिया है जो कि शिमला से भी बहुत दूर पड़ता है। अन्य क्षेत्रों से भी कटा हुआ है। क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में चम्बा के लिए हेलीपोर्ट का प्रावधान करेंगे और दूसरा साच-पास एक ऐसा दर्रा है जहां पर 12 महीने सड़क के किनारे बर्फ मिलती है। वाया द्रमण से होते हुए जोत-मंगला और तीसा होते हुए हम पांगी को कनैक्ट कर सकते हैं। उस साच-पास में या चैणी पास में भी हम टनल का प्रस्ताव रखते हैं, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वस्त करेंगे?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.09.2024/1130/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 2003---- क्रमागत

डॉ0 हंस राज---------- जारी

हम पांगी को कनैक्ट कर सकते हैं इसलिए हम साच पास या चैणी पास में भी टनल का प्रस्ताव रखते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, जिला चम्बा की जनता और अध्यक्ष महोदय सहित हम सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या आप जिला चम्बा को भी पर्यटन, उड्डयन और नेशनल हाईवे की दृष्टि से बढ़ावा देंगे? मैं आपसे इस प्रकार का आश्वासन चाहता हूं।?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा उसमें कुछ तो लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं जिनकी नोटिफिकशन हुई है। हिमाचल प्रदेश के लिए 65 नेशनल हाईवेज की नोटिफिकेशन हुई थीं जिसके बारे में माननीय लोक निर्माण मंत्री सहित हम माननीय श्री नीतिन गडकरी जी से बार-बार अनुरोध करते हैं कि इसको कीजिए चाहे एक यो दो ही कीजिए। वर्ष 2009 के बाद अभी तक वह नोटिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कई अनछूए स्थान हैं और जिला चम्बा में भी ऐसे कई स्थान हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ समय पश्चात आपका जिला चम्बा पिछड़ा जिला न रहकर एक आधुनिकतम जिला बन जाएगा क्योंकि हमारी सरकार पिछड़े जिलों पर और भी ध्यान दे रही है। आपने जैसे कहा कि साच में 12 महीने बर्फ रहती है। जिला चम्बा में कई अनछूए क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आने वाले समय में विकसित करने की जरूरत है। टूरिज्म को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपको जानकारी होगी कि स्विटज़रलैंड से ज्यादा स्नो-बाउंड एरिया हिमाचल प्रदेश के पास है। हमारे यहां 12 महीनों बर्फ रहती है और ऐसे कई स्थान हैं जिनको हमने विकसित करना है। हमारी सरकार ने जब से सत्ता सम्भाली है टूरिज्म सैक्टर में ज्यादा-से-ज्यादा खर्च कर रही है। हमारी इंडस्ट्रीज में फर्स्ट प्रायोरिटी टूरिज्म को है और चम्बा को हम उसमें डेस्टिनेशन के रूप में सम्मिलित करेंगे। इसके अतिरिक्त चांशल, चूड़धार इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी हमारा अध्ययन चल रहा है और जहां-जहां हमें पैसे की उपलब्धता होती जाएगी, हम उसमें आगे

बढ़ते रहेंगे। **लेकिन आने वाले 5 वर्षों में हम टूरिज्म सैक्टर में बहुत अधिक खर्च करने जा रहे हैं, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं।**

04.09.2024/1130/av/dc/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्मशाला एक वैल नॉन इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन है। लेकिन आप जो यह कह रहे हैं कि हम उसको टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे तो यह अभी तक केवल लफ्ज़ों तक की बातें हैं जबकि आपकी सरकार को सत्ता सम्भाले 20 महीने का समय हो गया है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही कहा था कि धर्मशाला को राज्य की दूसरी कैपिटल बनाएंगे। आप 'कैपिटल' नाम की पूड़िया देकर कांगड़ा के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धरातल की हक़ीक़त के लिए अभी तो जो प्रयत्न करने की बात है, वह शुरू नहीं हुए। आप छोटी-छोटी बातें कहते हैं जैसे हैलीपोर्ट का जिक्र किया गया। हम भी इस बात से सहमत हैं कि हैलीपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए परंतु अपना चॉपर तो हम कहीं पर भी उतार सकते हैं उसके लिए कहीं बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में चण्डीगढ़-शिमला, शिमला-कुल्लू और शिमला-धर्मशाला के लिए सर्विस शुरू की थी जिसमें मण्डी भी शामिल किया था लेकिन आपने उसको बंद कर दिया। वह सर्विस आजकल बंद पड़ी है और उसके बंद होने का कारण यह है कि आपने स्टेट की ओर से जो वी0जी0एफ0 देना था, वह आप नहीं दे रहे हैं। हमने ए0डी0बी0 के प्रोजैक्ट के तहत धर्मशाला के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये के एक इंटरनेशनल कंवैंशनल सेंटर का प्रावधान किया था। हमने उसके लिए विधान सभा कैंपस के सामने ज़ोरावर ग्राउंड को उस दृष्टि से उपयुक्त पाया था।

टी सी द्वारा जारी

04.09.2024/1135/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्या : 2003... क्रमागत्

श्री जय राम ठाकुर ..... जारी

इन बड़े प्रोजैक्ट्स का आप कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ 2 या 5 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। जू का कंसैप्ट अच्छा है इसके बारे में आपकी सोच अच्छी है लेकिन जो आप सोच रहे हैं वह हो नही रहा है क्योंकि उसके लिए आप अपनी कमिटमेंट के अनुरूप बजट का प्रोविजन नहीं कर पा रहे हैं। आप कांगड़ा को गोली दे रहे हैं, चूर्ण की पुडिया दे रहे हैं। आप कहते हैं कि कांगड़ा को विंटर कैपिटल बना देंगे। आपने वहां पर विधान सभा बना दी लेकिन साल में वह सिर्फ 4 या 5 दिन ही खुलती है और 360 दिन बंद रहती है। इससे कांगड़ा के लिए कौन-सा लाभ हुआ? आप व्यावहारिक दृष्टि से कांगड़ा का महत्व समझते हुए और खासकर तौर से पर्यटन की दृष्टि से धर्मशाला का महत्व समझते हुए उसके लिए क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं? आपकी सरकार के दौरान धर्मशाला में रोपवे का प्रोजैक्ट लगा था उसको टाटा कम्पनी बंद करने को लेकर मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजैक्ट को नमस्ते करके जा रहे हैं लेकिन हमने कहा कि इसको पूरा करना है। आप बातें ही करते रहेंगे तो जमीनी स्तर पर काम कब करेंगे? आप एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, आप कब तक सैक्शन-21 की नोटिफिकेशन करेंगे और कब तक इसका काम शुरू हो जाएगा? कांगड़ा का एयरपोर्ट पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा बल देने का माध्यम है। क्या आप इसका कार्य शीघ्र शुरू करेंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप वहां पर जो कंवेंशन सेंटर बनाना चाह रहे थे, वह टोटल मिसिंग है उसका कोई भी जिक्र नहीं है। कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के बारे में आपने बातें तो कही लेकिन इसकी शुरुआत हमने की है। हमने इस मामले को फाइनेंस कमीशन से टेकअप किया है और उन्होंने 400 करोड़ रुपये की कमिटमेंट की है लेकिन इन सारी चीजों के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप इनके बारे में कुछ तो कहिए? अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म कैपिटल शब्दों में नहीं बन सकती है इसलिए आप जो व्यावहारिक कार्य करने जा रहे हैं उनका जिक्र करें। क्या हम 2-4 करोड़ रुपये की छोटी-छोटी चीजों से कांगड़ा का टूरिज्म कैपिटल का कंसैप्ट पूरा कर पाएंगे?

04.09.2024/1135/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष मण्डी के बल्ह से शुरू हुए कांगड़ा के एयरपोर्ट पर आए जू, फाइनेंस कमीशन और इंटरनेशनल कंवेंशन पर आए, आखिर ये कहना क्या चाहते थे? ये कह नहीं पाए लेकिन मैं इनको स्पष्टीकरण दे देता हूं। ये पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, इसलिए ये मेरे लिए सम्माननीय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एयरपोर्ट एक -दो करोड़ रुपये की छोटी बात नहीं है। हमने 13 करोड़ रुपया चम्बा और 13 करोड़ रुपया रक्कड़ हेलिपोर्ट के लिए दिया और इनके टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हेलिकॉप्टर तो ग्राउंड से भी उड़ जाता है लेकिन हेलिपोर्ट्स के कंसैप्ट से ही उड़ान योजना सक्सैस होगी। इन्होंने कहा कि उड़ान योजना इनकी सरकार के समय की है। आपकी सरकार के समय में शिमला में जो हेलिपोर्ट बना है उसकी परमिशन लेने के लिए लड़ाई हमने लड़ी और अब स्वीकृत करवाकर लाए हैं। हेलिपोर्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें चैक-इन और चैकआउट की सुविधा मिलती है और इसके बिना उड़ान योजना को स्वीकृति नहीं मिलती क्योंकि उड़ान योजना किसी ग्राउंड से शुरू नहीं हो सकती है। कौन अपने बैग में क्या चीज लेकर जा रहा है वह चैकइन होना चाहिए। क्या कोई भांग, चिट्टा या कोई स्मगलिंग कर रहा है इन सब चीजों के लिए हेलिपोर्ट बनाए जाते हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार हेलिपोर्ट से जोड़ने जा रही है। ...(व्यवधान)...

एन0एस0 द्वारा जारी .....

04.09.2024/1140/एन.एस.-ए.जी./1

प्रश्न संख्या : 2003 ------क्रमागत

मुख्य मंत्री-------जारी

अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष हैं। आप पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। आपको पूरा समय देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप इनको 10 मिनट का समय

दें, मुझे चाहे 5 मिनट का समय दें। बद्दी और रामपुर का हेलिपोर्ट बन चुका है। मण्डी का हेलिपोर्ट अभी बन रहा है। एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है और सिक्योरिटी चैक होता है। शिमला का हेलिपोर्ट हमारी पूर्व सरकार के समय में बना था और पूर्व की भाजपा सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। दूसरा, फाइनैंस कमीशन ने इनको बोला कि हमने 400 करोड़ रुपये कांगड़ा के लिए दिया और मण्डी में बल्ह के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए। अभी तक वित्तायोग ने जो रिकमेंडेशन दी है, वह न तो केंद्र के बजट में आई है और न ही हमारे पास पैसा आया है। अगर रिकमेंडेशन नहीं आती तो पैसा आता है वह भी नहीं आया। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पता नहीं क्यों बीच में बोलने की आदत पड़ गई है। आप सुन तो लो। आप सुनने वाले आदमी थे, क्यों गुस्सा करते हैं? आप बहुत पेशेंस वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि 400 करोड़ रुपये नहीं आए। आपको अगर झूठ लगता है तो आप प्रिविलेज मोशन लाइए। तीसरा, कहा जा रहा है कि कांगड़ा में कुछ नहीं किया। सेक्शन-21 की नोटिफिकेशन होने वाली है और सेक्शन-21 के बाद लैंड एक्विजिशन होने वाली है। यहां इस मंच पर विपक्ष में बैठ कर आप कह रहे थे कि मेरा ड्रीम प्रोजैक्ट है कि बल्ह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए। हमने आपके ड्रीम प्रोजैक्ट को भी रद्द नहीं किया। हमने इसको और एक्सटेंशन दे दी और यह मामला भारत सरकार से उठाया। इस बार जब मैं प्रधान मंत्री जी से मिलने गया तो मैंने कहा कि श्री जय राम ठाकुर जी का बल्ह का एयरपोर्ट है और यह उनका ड्रीम प्रोजैक्ट है तथा आप हमें उसके लैंड एक्विजिशन के पैसे दें। आप हमें कांगड़ा एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन के पैसे दीजिए क्योंकि उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। इन्होंने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को 1 करोड़ रुपये इक्विटी दी और कहा कि प्रोजैक्ट लाओ। जहां 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, वहां 1,000 करोड़ रुपये की इक्विटी से क्या कुछ होता है? यह कांगड़ा का नाम लेकर कह रहे थे। मैं आपकी चौथी बात क्लीयर कर दूं। आप कह रहे थे कि हमने ए0डी0बी0 के प्रोजैक्ट में सैंक्शन लेकर एक

04.09.2024/1140/एन.एस.-ए.जी./2

इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया था। ए0डी0बी0 से अभी तक समझौता ही नहीं हुआ है। हमें भी दो साल हो गए और दो साल से ये भी यहीं है। अब हम समझौता करने जा रहे हैं।

जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और मण्डी का शिव धाम जिसका आपने शिलान्यास किया और कुछ पैसा खर्च किया, उसे भी हम बनाएंगे तथा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी हम बनाएंगे। यह कन्वेंशन सेंटर तपोवन विधान सभा के बाहर एक ग्राउंड है जहां जल शक्ति विभाग का विश्राम गृह है, वहां बनना है। हमने कहा कि उसके लिए हम कोई और जगह तलाश रहे हैं और उस जगह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। आपकी भावना अच्छी हो सकती है लेकिन ए0डी0बी0 के प्रोजैक्ट से अभी कोई पैसा नहीं आया है। मैं इनकी कन्फयूजन को दूर करना चाहता हूं। आप या आपके माननीय सदस्य टूरिज्म प्वाईंट ऑफ व्यू से और भी कुछ बोलेंगे, हम सबकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और कोई अच्छा सुझाव देंगे तो उस पर अमल भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मण्डी में 600 बीघे जगह कुलाधार में है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय की एक डायरेक्शन है। हम इसको भी टूरिज्म प्वाईंट ऑफ व्यू से विकसित करने की योजना बनाने जा रहे हैं। बिलासपुर में वे-साइड अमेनटीज़ दोनों साइड करने जा रहे हैं और विद हेलीपोर्ट करने जा रहे हैं तथा इसका हमने शिलान्यास कर दिया है। 18 महीनों में ओहर का भी आएगा और जहां हमने शिलान्यास किया है, वे भी आएंगे।

अध्यक्ष : बहुत एग्जॉस्टिव रिप्लाई आ चुका है और अगर अभी भी कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप इसे नियम-61 में लाएं।

प्रश्न संख्या : 2004 आर0के0एस0 द्वारा ------ जारी

04.09.2024/1145/RKS/AG-1

अध्यक्ष .... जारी

<u>प्रश्न संख्याः 2004</u>

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इन छोटी-छोटी सूचनाओं को एकत्रित करने में

कितना समय लगेगा? मेरा प्रश्न था कि वर्ष 2022 से पहले जिन ठेकेदारों ने काम किया है उनको आजतक पेमेंट नहीं हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि उन ठेकेदारों को कब तक पेमेंट हो जाएगी? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वर्ष 31.07.2024 तक कितने ठेकेदारों को कार्य आबंटित किए गए तथा कितने ठेकेदारों को पेमेंट की गई? मेरा यह भी प्रश्न है कि गत वर्ष बरसात के कारण कुल कितनी सड़कें खराब हुईं और आजतक कितनी सड़कों को बहाल कर दिया गया है? जो सड़कें खराब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए कितनी मशीनें और टिप्पर लगाए गए हैं? पिछली बार मंत्री जी ने जवाब दिया था कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो सड़कें खराब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए 114 मशीनें और टिप्पर लगाए गए थे। लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वे सड़कें अभी भी ठीक नहीं हुई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री रंगीला राम राव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि सरकारघाट डिविजन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा आग्रह है कि आप इसकी प्रोपरली जांच करवाएं। दूसरा, जो मैंने ठेकदारों की देनदारियों का ब्यौरा मांगा है उसका जवाब आप मुझे चरणबद्ध तरीके से दें। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2022 से पहले और वर्ष 2022 के बाद आबंटित कार्यों की कितनी पेमेंट पेंडिंग है?

04.09.2024/1145/RKS/AG-2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकारें निरंतरता में चलती हैं। सरकारें वर्ष 2024 या वर्ष 2022 नहीं देखती। The liabilities of the previous Government also is incumbent upon the present Government to meet those liabilities. So we are duty bound **और जो माननीय सदस्य ने चार प्रश्न पूछे हैं उन चारों प्रश्नों की सूची बनाई जा रही है। जैसे ही यह सूची बन जाएगी हम उस सूची को आपके साथ सांझा करेंगे। कितनी पेमेंट हुई, कितनी नहीं हुई उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।** जो आपने तथाकथित घोटाले की बात की है आप उसकी जानकारी हमें लिखित में दें। जब इसकी सारी सूचना आ जाएगी on the basis of the records and facts, अगर हमें लगेगा कि कुछ कमी-पेशी है तो उसमें administrative action लिया जाएगा।

04.09.2024/1145/RKS/AG-3

प्रश्न संख्या : 2005

उद्योग मंत्री : सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री हरदीप सिंह बावा : सर, मैं सूचना से संतुष्ट हूं।

04.09.2024/1145/RKS/AG-4

प्रश्न संख्या : 2006

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले सवाल के संदर्भ में सूचना दी गई है कि एक वर्ष में प्रदेश में 5,293 नये उद्योग स्थापित हुए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन उद्योगों में हिमाचल प्रदेश के कितने लोगों को रोजगार दिया गया?

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1150/बी.एस./ए.एस-1

प्रश्न संख्याः 2006 क्रमांगत...

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि 5,293 पिछले डेढ़ सवालों में उद्योग आरंभ किया गए हैं। मुझे इसकी एग्जेक्ट नम्बर मालूम नहीं है कि इनमें कितनों लोगों को रोजगार दिया गया है। मगर यह एक बहुत बड़ी उपब्लधि है। क्योंकि कुछ यूनिट्स की आपके समय में रजिस्ट्रेशन हुई थी। उद्योगों को लगाने में दो-तीन साल लग जाते हैं। यह कंटिन्यू प्रोसेस है। जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद भी अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है, हिमाचल प्रदेश में 402 नये प्रोजक्टों की सिंगल विंडो से क्लीयरेंस हुई है। चाहे वह मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो क्लीयरेंस थी। 10 करोड़ रुपये से छोटे यूनिट्स होते हैं उनकी निदेशक,

उद्योग क्लीयर करता है। जिसमें कोई 8,459 की इंवेस्टमेंट है, 29,970 लोगों को इसमें रोजगार दिया जाएगा।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, 01 जून, 2023 से 30 जून, 2024 के बीच 5,293 नये उद्योग लग गए। उद्योग मंत्री जी, ये तो मुझे लगता है कि मजाक किया गया है। 5,293 नये उद्योग लग गए। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि नये उद्योगों में यह परिभाषा भी आती है कि मान लीलिए किसी ने पहले उद्योग लगाया हुआ है और वह इसकी एक्पेंशन करता है तो क्या आप उसे नया उद्योग मानते हैं? दूसरा, किसी ने पहले से किराये पर यूनिट लगाया है और उसके बाद में उस यूनिट को अपनी जमीन खरीद करके लगा दिया तो क्या उसे भी आप नया यूनिट मान रहे हैं? आप इन नये उद्योगों को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? क्या आप इसमें एक्सपेंशन ले रहे हैं? इसे आप क्लीयर बता दीजिए। उसके बाद आपने बोला कि केवल एक उद्योग किरण पी. प्राइवेट इंडस्ट्री जो हरियाणा को चली गई है। आप सारे सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपकी बिजली मंहगी होने के बाद जिस प्रकार से सब्सिडी को कम किया है उसके बाद जिस तरीके का रवैया उद्योगों के साथ रखा है। मैंने अभी मोटी-मोटी बात की है। हिन्दुस्तान लीवर, सर्वोतम केयर, मेरिको, जॉन्शन, फैविली, हिल फूड, एस.एम.एस. लिमिटेड

04.09.2024/1150/बी.एस./ए.एस-2

ये सभी उद्योग चले गए हैं। आप बोल रहे हैं कि केवल एक ही उद्योग गया है। ये प्रश्न के उत्तर में क्यों नहीं बताया गया कि ये सभी उद्योग यहां से चले गए हैं। उसके बाद विप्रो, कोलगेट, प्राक्टल एंड गैम्बल, इन्होंने प्रोडक्शन डायवर्ट कर दिया है। आपके गलत फैसलों से पिछले दो सालों के अन्दर जिस तरह से आप उद्योगपतियों को हतोत्साहित कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप निर्णय ले रहे हैं उसके कारण उद्योग यहां से जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने यह गलत जवाब क्यों दिया? ये उद्योग यहां से गए हैं, बाकी यहां पर जो उद्योग बचे हुए उन उद्योगों को रोकने के लिए सरकार जिस प्रकार की पोलिसी थोप रही है, क्या उसके ऊपर पुनर्विचार करेगी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। पहले तो 5,293 के आंकड़े को आप चेलेंज कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जो 5,293 का आंकड़ा है इनमें से आपके समय में भी रजिस्ट्रेशन हुई थी और उन्होंने आपके समय में उद्योगों को लगाना आरंभ किया है। क्योंकि उद्योग ऐसा तो नहीं है आज लगाया और कल कार्य कारंभ कर देगा। ये समय लेते हैं। इन 5,293 उद्योगों में मिनी है, माइक्रो है और मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के यूनिट्स भी सम्मिलित हैं। प्रधान मंत्री स्वावलंबन योजना उसके यूनिट्स भी हैं। मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना में 103 प्रकार के यूनिट्स लगते हैं, आपको यह सारा पता है। इन सब को इसमें एड किया गया है। अब आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेंशन को नहीं मानते हैं, वह तो पहले से ही रजिस्टर्ड है। हमारे पास अब तो यह प्रावधान है कि भारत सरकार का जो पोर्टल है उस पर ही उद्योगों को रजिस्र्टड किया जाता है और जो आप उद्यागों को बंद करने की बात कर रहे हैं, उद्योग बंद होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर साल कोई-न-कोई उद्योग बंद होते हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

3.09.2024/1155/डी0टी0/ए0एस0-1

प्रश्न संख्या 2006 जारी...

उद्योग मंत्री जारी...

मैं इस मान्य सदन को बताना चाहूंगा कि 100 यूनिटस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लीज को ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसलिए वह उद्योग बंद हो रहा है। किसी उद्योग के मालिक की वित्तीय स्थिति खराब है, किसी यूनिट को घाटा हो गया या कोई अन्य कठिनाई खड़ी हो गई तो ऐसे उद्योग भी बंद होते रहते हैं। अगर कोई अपना उद्योग बंद करता है या उसे किसी और को ट्रांसफर करता है या अपना उद्योग बेचता है तो वह व्यक्ति हमें नहीं बताता कि मैं ऐसा कर रहा हूं। किसी की मार्केटिंग होगी और उसका प्रोडक्ट आउट-डेटिड हो गया तो वे भी अपनी यूनिट को बंद कर देगा या अपनी फैक्टरी की लीज को किसी और को बेच देगा। किसी ने अगर उद्योग विभाग से लीज ली होगी तो उस लीज को ट्रांसफर करने के लिए वह प्रार्थना करता है। उद्योग विभाग के पास 100 केसिज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लीज को दूसरे व्यक्ति या उद्योग के नाम ट्रांसफर करने के

लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब है कि वे यूनिटस बंद हैं। उन्होंने हमें नहीं बताया है कि हमारी यूनिट बंद है। उद्योग विभाग ने हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड से पूछा है कि कितनी यूनिटस ने बिजली के कनैक्शन डिसाकॉनेक्ट करने के लिए अप्लाई किया हुआ है? हमारी जानकारी में लगभग 80 से 100 यूनिटस के मालिकों ने बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा है। अगर उन्होंने कनेक्शन डिसकनेक्ट करने के लिए लिखा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी यूनिट में प्रोडक्शन बंद कर दी है। कई यूनिटस ऐसी हैं जिन्होंने अपना जी0एस0टी0 सरंडर कर दिया है। हमने आबाकारी एवं कराधान विभाग को पूछा है कि प्रदेश में ऐसे कितने उद्योगपति हैं जिन्होंने अपना जी0एस0टी0 नम्बर सरंडर किया है। जिन यूनटिस ने अपना जी0एस0टी0 नम्बार सरंडरड किया है इसका अर्थ है कि उन्होंने अपना यूनिट बंद रखा है। मैं यहीं कहना चाहता हूं उपरोक्त कारणों से जब कोई यूनिट बंद होती है तो उसकी सूचना हमें नहीं दी जाती। लेकिन इस प्रकार की सूचना अब हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्रिज बंद होना एक नोर्मल प्रोसैस है। किसी को घाटा पड़ जाता है, किसी का सामान मार्केट में नहीं बिकता, किसी के पारिवारिक कारण होते हैं, किसी को वित्त संबंधी दिक्कते हो जाती हैं, इन कारणों से भी कई बार यूनिटस बंद की जाती हैं। व्यवधान.... श्री बिक्रम सिंह जी मैंने आपको विस्तृत उत्तर दे दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि 100 फैक्ट्रियों ने अपनी लीज ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि ऐसी 100 फैक्ट्रियां बंद हुईं हैं। इस समय मेरे पास एग्जेक्ट

3.09.2024/1155/डी0टी0/ए0एस0-2

फिगर नहीं हैं लेकिन मैं इस संबंध में आपको सूचना दे दूंगा। ये जो बात कह रहे हैं, मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि 100 फैक्ट्रिज बंद नहीं हुईं हैं वह ऐसी 100 फैक्ट्रिज हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेची जा रही हैं। जब इन फैक्ट्रिज को और व्यक्ति खरीदेंगे तो ये फिर से स्टार्ट होंगी। ये यूनिट पूरी तरह से बंद थोड़ी हुईं हैं, ये तो टेंपरेरी बंद हुईं हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात मैं इस मान्य सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस संबंध में एक बैठक की और मैं भी उस बैठक में उपस्थित था। जिसमें ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्रीज का सबसे बड़ा इंसेंटिव या चार्म बिजली है। मैंने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में

हिमाचल प्रदेश में जो पॉवर का टेरिफ वह कम हो। मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। अभी तो सब्सिडी कंटिन्यू कर रही है और मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य चाहे उत्तराखंड है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, उससे हिमाचल प्रदेश की बिजली लगभग एक रुपया कम रहेगी ताकि हिमाचल प्रदेश से उद्योग पलायन न करें। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को इंसेंटिव देंगे। इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी आप भी कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, चलिए पूछिए।

3.09.2024/1155/डी0टी0/ए0एस0-3

श्री जीत राम कटवालः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगा कि जो उत्तर उन्होंने दिया उससे परिभाषा में ही फर्क पड़ गया है। 5293 यूनिटस के बारे में इन्होंने कहा लेकिन हमारा प्रश्न पलायन के संबंध में है। ये कॉटेज इण्डस्ट्री या घरेलू उद्योग की बात नहीं है। इस संबंध में आप हमें लिस्ट उपलब्ध करवा दीजिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी कहूंगा कि इसके संबंध में हम शीतकालीन सत्र में फिर से आपसे प्रश्न पूछेंगे तब तक आप इस संबंध में पूर्ण और सटीक जानकारी तैयार रखियेगा। ये उत्तर देने का तरीका सही नहीं है, ये एक गलत तरीका है। मेरे पास ही ऐसी 10 यूनटिस की सूचि है जो प्रदेश से पलायन कर चुकि हैं। ये गलत सूचना है जो माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा इस सदन मे दी गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शीतकालीन सत्र में इस सूचना को सही करके आप इस सदन में रखें। हमारे पास ये सूचना है कि यहां से कई यूनिटस शिफ्ट हुईं हैं और जो ये 5293 का आंकड़ा यहां दिया गया है, ये बिल्कुल गलत आंकड़ा है। माननीय उद्योग मंत्री जी आप हमें इससे संबंधित लिस्ट उपलब्ध करवा दीजियेगा।

अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

04-09-2024/1200/डी.सी.-एन.जी/1

अध्यक्ष :...(व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल आपने माननीय सदन की बैठक के अंतिम समय में एक व्यवस्था दी कि आप Zero Hour शुरू कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी सिर्फ इतनी बात है कि इसके लिए आपने सरकार को विश्वास में नहीं लिया। ...(व्यवधान) मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग कहते हैं कि स्पीकर साहब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। It is an example जहां पर हिमाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला कर दिया और सरकार को पूछा तक नहीं। ...(व्यवधान) इस तरह से स्पीकर साहब न्यूट्रल हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो Zero Hour शुरू किया है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि शून्य काल की क्या modalities होंगी? इसमें यह भी होना चाहिए कि सत्तापक्ष व विपक्ष के माननीय विधायक किन-किन मुद्दों को उठा पाएंगे। ऐसा न हो कि माननीय विधायक राजनीतिक स्कोर हासिल करने के लिए मुद्दों को उठा लें। यह बात ठीक है कि आज हम सत्ता में हैं, कल आप भी सत्ता में होंगे और इस प्रकार से आना-जाना लगा रहेगा। लेकिन इसकी exact modalities क्या हों और माननीय विधायक उस पर वर्कआऊट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि Business Advisory Committee (BAC) में श्री जय राम ठाकुर जी व विपक्ष के अन्य विधायक और हम सत्तापक्ष के लोग बैठकर इसकी modalities तय करें ताकि इसकी smooth functioning हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपके पास प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है और इसके माध्यम से आप किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका दे सकते हैं। यदि कोई माननीय सदस्य आपके चैम्बर में आ कर आपसे चर्चा करे, जब हम विपक्ष में थे तब डॉ0 राजीव बिन्दल जी व श्री विपिन सिंह परमार जी स्पीकर थे और हम इनके चैम्बर में जा कर अपनी बात को कह देते थे कि हमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में अपनी बात उठाने का मौका दीजिएगा।

उस समय स्पीकर महोदय को यदि उचित लगता था तो माननीय सदन में 12 बजे के बाद हमें मौका दिया जाता था। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें माननीय सदस्य अपने इश्यू को भी उठा पाएं और उनकी संतुष्टि होना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई माननीय विधायक अपने इश्यू को उठा कर अपनी बात को रख लेगा और सरकार व मंत्री उसके उत्तर के लिए तैयार नहीं होगा तो ठीक नहीं रहेगा। ...(व्यवधान) आप (श्री जय राम ठाकुर की ओर ईशारा करते हुए) संसद की बात कर रहे हो। संसद में तो एक माननीय सांसद चर्चा करने के लिए मामला उठा देगा और उसके बाद मीडिया में आ जाएगा कि सांसद ने यह बात संसद में उठाई। लेकिन उस मामले का समाधान होना भी तो जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था निकाली जाए कि इसकी modalities क्या होंगी, इसके क्या पैरामीटर्स होंगे और एस.ओ.पी आदि क्लीयर हो जाएं तो बेहतर होगा in the interest of the democracy and in the interest of the House.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा, आप अपनी बात रखिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी (***) इन्होंने चेयर के निर्णय को भी ...(व्यवधान)

Parliamentary Affair Minister (Industry Minister): Sir he is using wrong words, it is objectionable. I am objecting it. ...(Interruption).

श्री रणधीर शर्मा : इसमें किस बात का ऑब्जैक्शन है? ...(व्यवधान) बाद में ऑब्जैक्शन कर लेना।

Speaker: These words (***) will not be part of the record. I am removing them from the record.

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04-09-2024/1200/डी.सी.-एन.जी/3

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, (***) मेरा यह कहना है कि Zero Hour की डैफिनेशन, जैसे प्रश्न काल की डैफिनेशन एक घण्टा होती है, इसी प्रकार शून्य काल की डैफिनेशन भी एक घण्टे की होती है। मेरा आग्रह है कि लोकसभा व राज्यसभा की तर्ज पर इसे शुरू किया जाए। यह ठीक है कि उसकी modalities तय की जाएं परंतु

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

04.09.2024/1205/केएस/डीसी/1

श्री रणधीर शर्मा जारी--

हमारी मांग तो यह है कि वह एक घंटे के लिए शुरू हो क्योंकि डैफिनेशन ही यह है। ज़ीरो आवर की डैफिनेशन यह है। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऑब्जैक्शन यह है कि जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, ये स्पीकर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं,

Speaker: I have removed those words from the record. ...(interruption).

Parliamentary Affair Minister (Industry Minister): I am not challenging the authority of the Speaker. मैं विपक्ष से निवेदन करुंगा कि please don't use such type of words जिससे हममें आपस में फिर टकराव हो। मैंने क्या कहा? मैंने तो पहले ही स्वागत किया। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं तो इसमें ऐड कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

Speaker: Hon'ble Member Shri Randhir Sharma ji please be seated. …(interruption) No interruption please. Let the Hon'ble Parliamentary Affair Minister complete.

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : मैंने क्या कहा? सर, मैंने यह कहा है कि स्पीकर ने गवर्नमैंट को कॉंफिडेंस में नहीं लिया। इसमें क्या बुराई है? नहीं लिया, हमारी सरकार में सच्चाई बोलने का दम तो है। आप तो हर बात छिपाते थे। उसमें क्या हो गया? स्पीकर कांग्रेस पार्टी से हैं। हमें नहीं पूछा तो क्या हो गया? मगर मैंने तो स्पष्ट रूप से बात कही है। अब मेरी बात को अगर आप चैलेंज कर रहे हो और तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हो ताकि सदन में झगड़ा हो। It is wrong and it is highly objectionable.

अध्यक्ष : सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द रिकॉर्ड से निकाल दिए जाएंगे। ...(व्यवधान) उसके बाद मैं आपको चांस दूंगा।

04.09.2024/1205/केएस/डीसी/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विधान सभा अध्यक्ष हर बात के लिए सरकार से परामर्श करने के लिए या सहमति लेने के लिए बाध्य हैं? विधान सभा अध्यक्ष का बहुत ऊंचा ओहदा होता है। यह दोनों सदनों से ऊपर है। हम आपका मान-सम्मान करते हैं। ...(व्यवधान) परंतु ऐसा कहकर कि सरकार को विश्वास में नहीं लिया, इन्होंने आपके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, हमें उसकी चिंता है।

Speaker: I will clarify the situation.

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बार-बार कह रहा हूं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। ये क्या कह रहे हैं? ...(व्यवधान) रणधीर शर्मा जी, आप बैठे-बैठे न बोलिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अथॉरिटी या बात को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एक बात सदन में रखी है। मैं यह कह रहा हूं कि कोई फैसला जिसका प्रभाव सरकार पर पड़ता

हो या सरकार से सम्बन्धित हो, वह सरकार से पूछ लेनी चाहिए। ...(व्यवधान) आपने नहीं पूछा, हमारा ऑब्जैक्शन नहीं है मगर they(Hon'ble Members of Opposition) should not use such type of words. ...(Interruption).

अध्यक्ष : ठीक है, आपका प्वाइंट आ गया। The objection will be taken care off. माननीय राजस्व मंत्री जी, आप बोलिए।

04.09.2024/1205/केएस/डीसी/3

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसी बहाने चलो कम से कम विपक्ष के साथियों ने आपके पद की गरिमा की बात तो मान ली। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके इस फैसले का स्वागत करता हूं। जब हम विपक्ष में थे और जय राम जी इस तरफ थे, उस तरफ हम भी मांग करते थे। आज विपिन सिंह परमार जी सदन में नहीं हैं, आपने ज़ीरो आवर के सम्बन्ध में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे पहले यहां पर एक गलत परम्परा थी कि हम प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर सारे लोकहित के मुद्दों को लाते थे जो कि उस रूल के तहत नहीं ला सकते। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर व्यवस्था का प्रश्न होता है। जो इसके रूल बने हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन में अगर कहीं कोई ऊपर-नीचे हो जाए तो उसको उठाने के लिए होता है। विपक्ष के साथी जो हमेशा झगड़ते रहते थे, अब हमें एक अधिकार मिल गया है कि हम इस प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के ज़रिए लोकहित की किसी भी बात को उठाए। अभी लोकसभा और लगभग 10 प्रदेशों की असेंम्बली में ज़ीरो आवर का प्रावधान है। इसका एस.ओ.पी. ऑलरेडी बना हुआ है। क्योंकि ज्यादातर रूल्ज़ हमने लोकसभा से ही लिए हैं। वहां पर एक घंटे का प्रावधान नहीं है, 30 मिनट का ही है और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.09.2024/1210/av/hk/1

राजस्व मंत्री---------- जारी

माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा है कि हमारे 68 लोग हैं और संसद में 545 हैं। यहां तीस मिनट्स का समय बहुत है और उसमें लोक हित के मुद्दे लिए जाएंगे जिसका जवाब नहीं दिया जाता। यहां पर जो मुद्दा रखा जाएगा उसके बारे में संबंधित संदस्य को लिखित रूप में उत्तर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने यह एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सरकार का यह प्रयत्न है कि किसी-न-किसी तरह से आपको दबाव में रखा जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का सीधे तौर पर यह कहना कि आपने सरकार को विश्वास में नहीं लिया, आप यह भी तो कह सकते थे कि इस सारे मामले में हम सब लोग सहमत हैं। लेकिन इसकी औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जल्दबाजी न की जाए और हम बैठकर बात करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) नहीं, आपने आरोप लगाया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने चेयर को कहा कि आपने विश्वास में नहीं लिया और यह एक 'आरोप' है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह चेयर के ऊपर एक आरोप है। इसलिए मुझे लगता है कि इस शब्द को वापिस लिया जाए क्योंकि यह कार्यवाही में आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, बहुत मुश्किल से तो हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन हम सही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसका स्वरूप कैसा होगा, आप ये सारी बातें तय कर लें। लेकिन हमारा पूरा विपक्ष इसके समर्थन में हैं और यह होना चाहिए। आप इस बारे में अगर जल्दी-से-जल्दी फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका लाभ रहेगा क्योंकि नियमों के अनुसार जब हम नोटिसिज देते हैं तो आपकी भी एक लिमिटेशन रहती है और सभी को निश्चित दिन के बिजनैस में शामिल कर पाना सम्भव नहीं हो पाता। लेकिन उस सूरत में हम यहीं पर जनहित के मामले को उठा सकते हैं। अगर कोई मंत्री उसी वक्त जवाब देने की स्थिति में होता है तो उसी समय उत्तर दे सकते हैं। अगर उस समय न भी हो तो सूचना एकत्रित करके उसकी सूचना बाद में देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष इसके लिए बहुत खुश नहीं है। यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री

जी की तरफ से जो बात आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो यहां पर केवल जनहित के मुद्दे उठाएंगे और पूछने वाले ज्यादातर विपक्ष की ओर से होते हैं बाकी तो हां-की-हां करेंगे, यह मुझे मालूम है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको जल्दी-से-जल्दी इसी सत्र से लागू करना चाहिए। आप इस बारे में एक फॉर्मल मीटिंग करें और उसमें चर्चा करने के बाद हम इस संदर्भ में आगे बढ़ें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हरेक संस्था की अपनी गरिमा है। विधान सभा की अपनी गरिमा है और सरकार व न्यायपालिका की अपनी गरिमा है तथा लोकतंत्र इसी मायने में आगे बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की बात की है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपका यह कहना कि यह चुनौती है, तो इन्होंने अध्यक्ष महोदय के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी है। ठीक है, अध्यक्ष महोदय ने कल कहा कि 'जीरो आवर' होना चाहिए। संसद में जो जीरो आवर होता है उसमें किसी जनहित के मुद्दे को उठाने पर उसका उत्तर एक महीने के बाद आता है। अगर यह व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने दी है तो इसमें कुछ एस0ओ0पीज0 बनाने की जरूरत है। यह क्वेश्चन-आंसर की तरह नहीं चलेगा। मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि इसको लागू करने से पहले हम इस संदर्भ में आपके साथ एक बैठक कर लेते हैं और जब से आप लागू करना चाहते हैं, हमें उसमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है।

टी सी द्वारा जारी

04.09.2024/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-1
मुख्य मंत्री ..... जारी

लेकिन अब इस सत्र के केवल 3-4 दिन ही शेष है। हम आने वाले सत्र से पूर्व आपके साथ बैठक करेंगे कि इसको कैसे लागू करना है और उस व्यवस्था को आगे सुचारु रूप से चलाएंगे। ऐसा न हो कि आप पूछते रहे और हम कुछ जवाब ही न दे पाएं। अध्यक्ष महोदय ने जो फैसला लिया है हमारी सरकार इसका स्वागत करती है लेकिन इसकी एस0ओ0पी0

का क्या करना है? इसके लिए अगला सत्र या बजट सत्र आने से पूर्व इनके साथ बैठक करके चर्चा करेंगे। हमें जीरो ऑवर्स लागू करने से कोई परहेज थोड़े ही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : जीरो ऑवर्स से क्या अभिप्राय है, यह माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसा समय जब जनहित के मुद्दे माननीय सदन के जन प्रतिनिधियों के द्वारा उठे, वही जीरो ऑवर्स है और जीरो ऑवर्स में जो विषय उठेंगे वे अर्जेंट इम्पोर्टेंस के होंगे। जो विषय नियमों के तहत लिस्ट न हों पाएं या किसी-न-किसी वजह से वे विषय माननीय सदन के ध्यान में न आएं तो ऐसे विषयों को माननीय सदस्य उठा सकते हैं। ऐसे विषयों की गम्भीरता को देखते हुए अधिकार क्षेत्र अध्यक्ष के पास रहता है कि उसकी इजाजत दी जाए या न दी जाए। इसलिए मैं ऐसे विषय की गम्भीरता को देखूंगा और मैं ही उसकी इजाजत दे रहा हूं। यह ठीक है कि विषय उठने के बाद यह स्वाभाविक नहीं है और न ही जरूरी है कि उसी समय उस विषय का उत्तर दे दिया जाए। अगर माननीय मंत्री उस विषय से अवगत है और वे उत्तर देना चाहें तो वे उत्तर दे सकते हैं अन्यथा अगर वे उत्तर न दे पाएं तो वह सूचना मंत्रालय को जाती है और उसके बाद 2 या 3 दिन में जब चाहे उसका उत्तर दे सकते हैं। उस विषय को बार-बार भी नहीं उठाया जा सकता है। एक बार जीरो ऑवर्स में जो विषय उठ गया और सूचना प्राप्त हो गई तो अन्य नियमों के तहत आप उसका स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं न कि जीरो ऑवर्स में दूसरे दिन उस विषय को उठा सकते हैं। इसलिए विषय नया होना चाहिए। इसकी एस0ओ0पीज0 वही है जो लोकसभा की है। बहुत-सारी विधान सभाओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। लाइव प्रोसीडिंग्ज की शुरुआत करने वाली हमारी ही विधान सभा है और लीडिंग विधान सभा है। देश में सबसे पहले ई-विधान (प्रणाली) हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई और जब कभी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कॉन्फ्रेंसिज होती है तो उनमें हमारा

जिक्र होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें तो इसमें लीड करना चाहिए था। अभी भी 10 राज्य पहले से ही इसको लागू कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके संदर्भ में किसी प्रकार की शंका किसी माननीय सदस्यों या सरकार में रहनी चाहिए। किसी विषय

की गम्भीरता को समझते हुए उसकी चर्चा की इजजात यह चेयर देगी और वह विषय लम्बा नहीं होगा। उस विषय को 2-3 मिनट के अंदर यहां रखा जाएगा। यदि माननीय मंत्री या मुख्य मंत्री जी जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं अन्यथा प्रशासनिक दृष्टि से सचिव उसकी कॉग्निजेंस लेंगे and they will act upon those issues. अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इस पर कोई बातचीत करनी है तो की जा सकती है। मेरा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन जीरो ऑवर्स शुरू होगा, यह मैं स्पष्ट कर दूं। अभी इस सत्र के तीन दिन शेष हैं, आज भी हमारे कुछ विषय हैं और बहुत-सारे माननीय सदस्य अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने ठीक सुझाव दिया कि अभी उसको प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के रूप में अलाउ करता हूं। मैं विषय की गम्भीरता को देखते हुए उसको अन्यथा भी अलाउ कर सकता हूं। कुछ माननीय सदस्य अपने हाथ उठा रहे हैं इसी लिए मैंने इस जीरो ऑवर्स शुरू करने का फैसला लिया था। इसके एस0ओ0पीज0 हम बना लेंगे और आपसे चर्चा भी कर लेंगे। अभी कुछ विषय हैं जो माननीय सदस्य यहां सदन में उठाना चाहते हैं। इसको जीरो ऑवर्स ले लीजिए या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिए उसके तहत ही ये विषय यहां सदन में उठेंगे।

मुख्य मंत्री एन0एस0 द्वारा शुरू .....

04.09.2024/1220/एन.एस.-वाई.के./1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई भी विषय समय के अनुसार उठना चाहिए। अगर आप जीरो ऑवर चाहते हैं तो अभी सरकार तैयार नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर दूं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एस0ओ0पी0 बना कर हम आगे कुछ दिनों में इसे उठाएंगे और मैं आपकी भी बात रखना चाह रहा हूं लेकिन ऐसा कहना कि आज उठेगा या कल उठेगा, आप इसे प्वाईंट ऑफ ऑर्डर से कहिए। मैं चाहता हूं कि आप एस0ओ0पी0 बना कर जीरो ऑवर स्टार्ट करें। सरकार ने रिप्लाई देना है। मुझे आपसे, मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों से बात करनी है तो मैं चाहूंगा कि आप हमसे बात करके जीरो ऑवर की व्यवस्था स्टार्ट करें और तब तक आप प्वाईंट ऑफ ऑर्डर ही कहें। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि इसको शुरू करना है तो हम सहमत हैं लेकिन आज करना है तो हम आज तैयार नहीं हैं।

इसलिए आप इसके लिए समय निकालें और फिर एस0ओ0पी0 निकालें तथा फिर हम आगे बढेंगे।

अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो जाएगी। मैंने पहले ही कह दिया है कि इसके एस0ओ0पी0 बन जाएंगे। आज बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, I am allowing them. माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज।

04.09.2024/1220/एन.एस.-वाई.के./2

व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 जनक राज : मैं सदन और सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मणिमहेश यात्रा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान समय में यह यात्रा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आयोजित की जाती है। जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक इस यात्रा का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष यात्रा का दायरा और यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार ने कुछ प्रबंध किए परन्तु वे प्रबंध नाकाफी हैं। मैं कुछ विषयों को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। सरकार ने प्रत्येक यात्री की रजिस्ट्रेशन के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया। मेरे अनुसार यह शुल्क नहीं होना चाहिए। वहां पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां बहुत ट्रेफिक जाम हो रहा है और न ही पार्किंग की व्यवस्था है। वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त भरमौर के पूरे कस्बे से लेकर यात्रा का जो पूरा मार्ग है, वहां भी अव्यवस्थाओं का आलम है। वहां पर लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस वर्ष के अभी तक के आंकड़े अनुसार इस यात्रा में लगभग डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु जा चुके हैं। पिछले कल भी वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर्ज की टैक्सियों के चालान कर दिए गए कि आपने 10 की बजाए 12 लोग बैठाए हैं। एच0आर0टी0सी0 की गाड़ियों में लोगों को भेड़-बकरियों की तरह भरा जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि इस धार्मिक विषय पर कोई राजनीति न करते हुए मणिमहेश यात्रा के दायरे को देखते हुए सरकार इस पर कोई मास्टर प्लान बनाने की तैयारी करे ताकि भविष्य में वहां पर लोगों को यात्रा के दौरान सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस यात्रा का

दायरा प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा। हमें इस यात्रा को वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है और सरकार इस यात्रा का दायरा बढ़ाए तथा इस यात्रा को राज्य स्तरीय महत्व दिया जाए।

04.09.2024/1220/एन.एस.-वाई.के./3

Speaker : I agree with the Hon'ble Member Dr. Janak Rajji because the influx of the pilgrims is too much. The infrastructure which we have, either in Bharmour or in Chamba, that cannot cater this much pilgrims . Obviously, infrastructure was required to be improved. However, the same has not been done from the previous years also. So the focus should be for infrastructure enhancement i.e. the roads and other related things. I think the administration will take a cognizance of it with the help of the Hon'ble Chief Minister. माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है क्योंकि माननीय श्री जय राम ठाकुर जी का कांगड़ा के लिए जो प्रेम है तो उन शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ई0एन0सी0 प्रोजैक्ट का ऑफिस था और इस ऑफिस में चार प्रमुख सिंचाई की स्कीमों के ऑफिस थे। पहली शाह नहर,दूसरी फिन्ना सिंह, तीसरी सूखा हार और चौथी सिद्धाता कनाल है और उस दफ्तर को कांगड़ा के फतेहपुर से उठा कर मण्डी भेज दिया गया है। मैंने श्री जय राम ठाकुर जी का कांगड़ा के बारे में कंसर्न सुना और उसमें मेरा प्रश्न है कि क्या इस दफ्तर को वापिस कांगड़ा के फतेहपुर में ला सकते हैं क्योंकि ये चारों प्रमुख सिंचाई स्कीमें ई0एन0सी0 दफ्तर के बगैर बर्बाद हो गई हैं। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि

आर0के0एस0 द्वारा ------ जारी

04.09.2024/1225/RKS/YK-1

श्री भवानी सिंह पठानिया... जारी

यह कांगड़ा की जनता और किसानों के हित का बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इसमें थोड़ा दखल दें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रश्न किया था कि क्या सरकार नागरिक अस्पताल, ठियोग को उन्नयन करने का विचार रखती है? यदि, हां तो कब तक और यदि, नहीं तो कारण? इस प्रश्न का उत्तर आया है 'जी, हां; नागरिक अस्पताल, ठियोग को उन्नयन करके जिला अस्पताल बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है'। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि नागरिक अस्पताल, ठियोग को जिला अस्पताल बनाया जाएगा। हमारे शिमला जिला के सभी 8 विधायक इस अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने का समर्थन करते हैं और यह मुख्य मंत्री जी की घोषणा भी है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कई बार कहा कि हम इस अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित करेंगे। जब मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है तो फिर विचाराधीन वाली क्या बात है? मेरा आग्रह है कि जल्द-से-जल्द इन आदेशों को इम्प्लिमेंट किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप इस प्रश्न का जवाब देना चाह रहे हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने जो प्रश्न पूछा है **उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि जो जिला अस्पताल बनाने के बारे में घोषणा की है उसको आने वाले समय में बजट प्रावधान के अनुसार अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जाएगी।**

अध्यक्ष : श्री सुख राम चौधरी।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय लोक निर्माण मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। इंटर स्टेट कनैक्टिविटी के लिए सी.आर.एफ. के तहत यमुना नदी पर विकास नगर से नावघाट, भघाणी-सिंहपुरा ब्रिज बना है। उत्तराखंड की सरकार ने इस ब्रिज को 44 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कर दिया है। इस पुल का कार्य पूर्ण हुए दो या अढाई साल हो गए हैं। इस पुल की कनैक्टिविटी के लिए हमारी तरफ से एक सड़क बनाई जानी थी जिसके लिए हमें 650 मीटर जमीन एक्वायर करनी थी। उत्तराखंड की सरकार ने दो-अढाई साल में यह ब्रिज तैयार कर दिया है। वहां से ब्रिज तक गाड़ियां आ रही हैं लेकिन वे गाड़ियां हिमाचल में एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि हम वहां पर जमीन एक्वायर करके सड़क नहीं बना सके। इंटर स्टेट कनैक्टिविटी के लिए वह ब्रिज तैयार हो चुका है लेकिन सड़क न बनने की वजह से लोगों को उसका फायदा नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कब तक जमीन एक्वायर करके सड़क बनाने का काम करेगी ताकि उस ब्रिज का लाभ हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के लोगों को मिल सके?

Speaker : Please take the cognizance of the respective departmental. माननीय सदस्य, श्री संजय रत्न जी।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज प्रश्न पूछा था कि शिमला से बिलासपुर रोड किस विभाग के अधीन आता है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला है कि यह रोड NHAI और लोक निर्माण विभाग के अधीन है। इस रोड की कंडिशन बहुत खराब है। कई जगह इतने गड्ढे हैं कि उन गड्ढों में गाड़ियां तो टूटती ही है परंतु गाड़ियों में बैठे लोगों का भी बूरा हाल हो जाता है। जो लोग वहां से सफर करते हैं उन्हें डिस्क की प्रोब्लम आ गई है। पूरी सरकार उस सड़क मार्ग से सफर करती है। अभी मुख्य सचिव, और सचिव, लोक निर्माण उसी मार्ग से देहरा गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी गाड़ियों में झटके नहीं लगे होंगे। उस रोड का इतना बूरा हाल है कि वहां से सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि इस रोड की मरम्मत के लिए गत तीन वर्षों में 36.73 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1230/बी.एस./ए.जी.-1

व्यवस्था का प्रश्न जारी...

श्री संजय रत्न जारी...

मुझे समझ नही आता कि आपदा में जो डंगे गिर गए और सड़क बैठ गई थी वहीं पर यह पैसा खर्च हुआ। भराड़ीघाट में इतने गड्ढे हैं, बाघल में इतने गड्ढे हैं और चमाकड़ी पुल के पास इतने गड्ढे हैं, यदि ये रोड एन.एच.ए.आई. के पास आत है तो एन.एच.ए.आई. को डायरेक्शन दें। जब तक आपकी सड़क नई नहीं बनती है तब तक इसकी रिपेयर तो करें। अगर लोक निर्माण विभाग के पास आता है तो जितना-जितना हिस्सा आता है कम-से-कम उन गड्ढों को तो भर दें। दूसरा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कुछ शहरों में बाईपास बन रहे हैं, जैसे मेरे ज्वालाजी का बाईपास है या हमीरपुर में बाईपास बन रहा है, कई जगह बाईपास बन रहा है परंतु बीच में जो वास्तविक रोड है जो लोक निर्माण विभाग का रोड है, उस पर एन.एच.ए.आई. कोई भी रखरखाव नहीं कर रहा है और न ही लोक निर्माण विभाग कर रहा है। यह दिक्कत सभी लोगों को हो रही है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप लोक निर्माण विभाग और एन.एच.ए.आई. को निर्देश दे कि इन रोडो को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए ताकि गाड़ियां भी न टूटे और बंदे भी न टूटे।

04.09.2024/1230/बी.एस./ए.जी.-2

लोक निर्माण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो विशेष इंटरवेंशन हमारे माननीय सदस्य सुख राम चौधरी जी ने की है। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार गंभीर है और अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड गया था और वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी से हमने इस विषय को विशेष रूप से उठाया है और भी बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें हमने उनके साथ उठाया है। जहां तक इस पुल की बात है यह सी.आर.एफ. में यह ब्रिज बना है। यह सत्य है कि इसकी जो लैंड एक्वायर होनी है ये पहले तो हम चाह रहे थे कि जिस व्यक्ति की निजी भूमि है उससे बातचीत करके हम इसे एक्वायर करें। इमारे संबंधित

एक्सियन ने भी उनसे बात करने की कोशिश की मगर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मैंने आप से इसके बारे में चर्चा की है अगर कोई भी बात नहीं बनती तो **we will go in for compulsory acquisition of land because connectivity of Uttarakhand and Himachal Pradesh, particularly, on this bridge is of prime importance.**

दूसरा विषय जो माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी ने उठाया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है मगर अध्यक्ष महोदय इसमें एन.एच.ए. आई. के साथ हमारे मसले हैं और कुछ सड़के जहां-जहां पर एन.एच.ए.आई. अब नए प्रस्तावित सड़कों के साथ आगे बढ़ रही है और कुछ हमारे जो एन.एच. डिवीजन लोक निर्माण के पास हैं जो पुरानी सड़के हैं, because we are in continuous state of ambiguity, उसका जो मेंटेनेंस है, बजट है वह हमें एन.एच.ए.आई. के माध्यम से डिपोजिट में मिलना है जिससे उन सड़कों की मरम्मत होनी है। हमने अभी दो दिन पहले ही जो यहां के एन.एच.ए.आई. के आर. ओ. हैं उनके साथ बैठक की है और दिल्ली में भी हम गए थे। वहां पर भी हमने संबंधित मंत्री जी से इस विषय को टेकअप किया है। मैं सदन को भी यह बात बताना चाहता हूं कि as a whole प्रदेश की जनता को यह बात पता नहीं है कि क्या differences एन.एच.ए.आई. और लोक निर्माण विभाग की सड़कों में हैं। सारा जो गुबार है वह लोक निर्माण विभाग पर फूटता है। अब इसमें हमारा जो Ministry of MoRTH है उन्होंने इसमें Operation Based Management Contract के माध्यम से जो एन.एच.ए.आई. और हमारी एन.एच. की सड़कें हैं उसके लिए बजट देना शुरू कर दिया है। उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे एन.एच. विंग की एक समय हुआ करती थी उसमें कंटीन्यूअस कम होती जा रही है। इस बार तो we went to the extent of requesting the Hon'ble Central Minister for

04.09.2024/1230/बी.एस./ए.जी.-3

Road, Surface and Transport, अगर इसी तरीके से इसे करना है तो हमारा एन.एच. डिवीजन पी.डब्ल्यू.डी. का है उसे बंद कर दें। यह हम सब चीजें एन.एच.ए.आई. को ही देने के लिए तत्पर हैं। मगर जो रिक्वायर्ड बजट है उसके लिए आपको मरम्मत के लिए पैसा नियमित रूप से एन.एच. की सड़कों के लिए आता था और अब तबदील किया जा

रहा है। So this is a very serious issue क्योंकि हमारा अपेक्षित स्टाफ चाहे वह आपके सेक्शन हैं, सब डिवीजन्ज हैं, चाहे आपके एक्सियन हैं। आज भी जगह-जगह एन.एच. के ऊपर तैनात हैं। मगर उसके लिए जो सैलरी मिलनी चाहिए और अपेक्षित स्टाफ मिलना चाहिए उसके लिए जो अपेक्षित व्यय केन्द्र सरकार से मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए यह इश्यू है। परंतु जो कांगड़ा वाला इश्यू आपने उठाया है यह निश्चित तौर से आधे हिमाचल को कवर करता है और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। हमने प्राथमिकता के तौर पर आपका एक ब्लॉक लिया है और आने वाले समय में इसकी मरम्मत और मेंटेनेंस in the interim period जब तक आपका फोर लेन का काम शुरू नहीं होता है इसकी मरम्मत के लिए एन.एच.ए.आई. और MoRTH से उठाएंगे। इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

04.09.2024/1235/डीटी/एजी-1

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महादेय, आज सितम्बर माह की 4 तारीख हो गई है लेकिन कर्मचारियों व पेंशनर्ज के खातों में अभी तक सैलरी नहीं आई है। हमने नियम-67 के अंतर्गत इस विषय पर अविलंब चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था। यह स्थिति सामान्य परिस्थिति नहीं है। आपने कहा था कि 28 तारीख को आपको इसी विषय पर चर्चा करने के लिए नियम-130 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ था। जिसका जवाब भी सरकार से मांगा गया है और वह जवाब भी आ गया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। नियम-130 के अंतर्गत उस विषय पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वह चर्चा आज के एजेंडे में नहीं है। कल प्राइवेट मैंबर्स डे है। उसके बाद फ्राइडे है और फिर सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम इस विषय को नियम-67 के अंतर्गत उठाना चाह रहे थे। लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि हमें सारी चीजों को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। मुख्य मंत्री जी का जवाब सुबह कुछ और आता है और शाम को कुछ और आता है। सुबह कहते हैं कि आर्थिक हालात ठीक है और दोपहर को

कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह प्रदेश जानना चाहता है कि वास्तविकता क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। हम इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो सैलरी और पेंशन अभी कर्मचारियों के खाते में नहीं आई है इस संदर्भ में सरकार अपना स्पष्टीकरण दें। क्या वित्तीय संकट इस तरह आ गया है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। अगर ऐसा है तो कृपया इसके बारे में बताया जाए और देनी है तो कब तक देनी है? आज कर्मचारी बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने जो बजट के अनुसार ई.एम.आई. प्लान की होती है। उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यही स्थिति पेंशनर्ज की भी है। प्रदेश बहुत संकट में है। आपने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। कृपया आप इसका जवाब दें।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

04.09.2024/1235/डीटी/एजी-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज कर्मचारियों के हितैषी वे बन रहे हैं जिन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें फैंकी थीं। इस स्थिति के बारे में पूर्व मुख्य मंत्री जी को पता है। गढ़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हमे स्पष्टता से बताना चाहिए कि जिसको पांच साल तक आपकी सरकार छिपाती रही उसे हम जनता के पास उसको ले जाना चाहते हैं। मैं हमेशा कहा कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये बात मैंने हमेशा कही है और आज मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि प्रेदश में जब 11 दिसम्बर, 2022 को हमारी सरकार बनी थी, उस समय प्रदेश में आर्थिक संकट था। क्या मेरी बात प्रतिपक्ष के नेता सुन रहे हैं? वर्ष 2022 में जब आप सत्ता छोड़ कर गए और 11 दिसम्बर, 2022 को जब हमने सत्ता सम्भाली

श्री एन जी.द्वारा जारी

04-09-2024/1240/ए.एस.-एन.जी/1

मुख्य मंत्री.....जारी

तो उस समय की प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की दिशा में प्रथम बजट से लगी हुई है। इसमें अड़चनें और तकलीफें बहुत हैं लेकिन हमें फैसला करना होगा। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता को साथ लेकर, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर और उनके सामने जो चुनौतियां आई हैं उन्हें सामने रख कर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमने कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और उसी दिन से हम व्यवस्था परिवर्तन करने में लग गए हैं। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो आर्थिक संकट वर्ष 2022 में था, हम उससे आगे बढ़ते हुए **financial discipline** की तरफ बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक संकट पैदा कैसे हुआ, इसकी जानकारी भी इस माननीय सदन को होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय पर चर्चा ही करवा दीजिए। ...(व्यवधान)

Speaker : Let him complete. आपका जो कंसर्न है ...(व्यवधान) Please take your seats.

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

मुख्य मंत्री : सैलरी और पेंशन के लिए ऐसे ही उठ जाते हैं। ...(व्यवधान)

Speaker : Let the him complete his reply. ...(Interruption) Please take your seats.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कर्मचारी/अधिकारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है और हमने इसके लिए नियम-67 व नियम-130 के तहत चर्चा करने हेतु नोटिस भी दिए हैं लेकिन अभी तक वह नहीं लगे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान करें। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मैं सैलरी व पेंशन की ही बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) बैठिए तो सही।...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Members (Opposition) please take your seats. ...(Interruption) माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी आप बैठ जाइए। Let him complete. ...(Interruption)...(व्यवधान) चर्चा हो जाएगी। ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी, प्लीज़ बैठ जाइए। ...(व्यवधान) Let him complete. उसके बाद आपका इश्यू आ जाएगा। ...(व्यवधान) Let him complete. I will allow you. ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की सैलरी व पेंशन से संबंधित बोल रहा हूं। इन लोगों (विपक्ष के लोगों) को बीच में बोलने की आदत पड़ी हुई है। ...(व्यवधान) आप लोग (विपक्ष) बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

Speaker : No confrontation please. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : आप लोग (विपक्ष) बोलने देंगे मैं तभी तो बोलूंगा। ...(व्यवधान)

Speaker : Please take your seats. ...(Interruption) Please maintain order in the House. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister speak. No interruption please. ...(Interruption) Nothing will go on record except the Chief Minister's statement.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)

04-09-2024/1240/ए.एस.-एन.जी/3

Speaker : No interruption please. ...(व्यवधान) इसके बाद आपकी क्वारीज़ आ जाएंगी। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं...(व्यवधान)

Speaker : I will be giving the ruling for that ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को...(व्यवधान) यह स्टेटमेंट है। ...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : जब आप (श्री जय राम ठाकुर की ओर ईशारा करते हुए) प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब क्या आप इस माननीय सदन में स्टेटमेंट नहीं दिया करते थे?...(व्यवधान)

Speaker : Please take your seats. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister complete. ...(Interruption) I am not allowing.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष : ठीक है, श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने वाजिफ प्रश्न उठाया है कि पेंशनर्ज़ को पेंशन नहीं मिली और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, यह आज की तारीख में गम्भीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी बात को माना और आपने कहा कि इस विषय को नियम-130 के तहत चर्चा के लिए लगाएंगे लेकिन आज यह विषय नहीं लग पाया। ऐसे में हमने कहा कि हमें लगता है कि इसकी urgency है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा के बाद मुख्य मंत्री जी अपना जवाब देंगे। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने तो अभी से ही बोलना शुरू

कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपसे अनुमति लेनी चाहिए कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं।...(व्यवधान) ऐसा नहीं होता...(व्यवधान)

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

04.09.2024/1245/केएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुर जारी ---

ऐसा नहीं होता। ...(व्यवधान) मैंने तो इशू रेज़ किया। इशू रेज़ करने के साथ-साथ इस पर हमारी चर्चा है कि हालात क्या बने? आप जय राम को कब तक दोषी ठहराते रहेंगे? सरकार को बने हुए दो साल का समय होने जा रहा है। आप कब तक जय राम और मोदी जी को दोष देंगे? आज की तारीख़ में आप मुख्य मंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी है। आपको अच्छा भी सुनना होगा और बुरा भी सुनना होगा। कामयाब होते हैं तो वह श्रेय भी आपको जाता है और नाकामयाब होते हैं तो भी श्रेय आपको जाता है। इस बात को राजनीतिक दृष्टि से आप क्यों देख रहे हैं? जब मैं मुख्य मंत्री था तो हमारे समय में कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलती थी। हमारे समय में पैंशन भी समय पर मिलती थी । आपके समय में नहीं मिल रही है और हम इस बारे में पूछ रहे हैं। अगर हम दोषी हैं तो बात वर्ष 1993 के बाद की सरकार पर भी जाएगी जबसे हिमाचल को आर्थिक दृष्टि से पटरी से उतारा गया, अनावश्यक लोन लिया गया। ...(व्यवधान) इसलिए जय राम दोषी, जय राम ने यह किया, मोदी जी ने यह किया, यह कहना उचित नहीं है। आज कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार का नेतृत्व मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं। सुक्खू जी, जिम्मेवारी आपकी है और आपको इसे स्वीकार करना चाहिए कि आपकी सरकार में ये हालात बने। दो साल का कार्यकाल बहुत लम्बा होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपने पहले दिन से क्यों नहीं सोचा? इसलिए यह स्टेटमेंट और इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जवाब प्रॉपर होना चाहिए। जवाब तब होना चाहिए जब चर्चा हो।

उप-मुख्य मंत्री : आपने सवाल पूछा तो क्या उसका जवाब नहीं लोगे?...(व्यवधान)

04.09.2024/1245/केएस/एएस/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इनके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब दे रहा था, ये अब फिर बोल रहे हैं। इन्होंने जो सवाल किए, ...(व्यवधान) सुन तो लो, यह बड़ी विचित्र बात है, स्टेटमैंट देने से पहले जो आपने सवाल पैदा किए, मैं उसका जवाब दूं या न दूं? आपने जो हाथ खड़ा करके सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूं या न दूं? अगर आप बोलते हैं तो देता हूं नहीं तो दूंगा ही नहीं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, इन्होंने जो बात रखी है, स्टेटमेंट देने से पहले मैं इनकी बात का जवाब तो दे दूं। हम जिम्मेवार हैं, हमारे दो साल पूरे हो रहे हैं,उसका जवाब देना तो बनता है। उसके बाद मैं स्टेटमेंट भी दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि दो साल के लिए भी हमारे पास तीन महीने का समय बाकी है। ...(व्यवधान) मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, कर्मचारियों के बारे में स्टेटमैंट मैं उसके बाद दूंगा और जवाब देना चाहिए। इन्होंने खुद हाथ खड़ा किया नहीं तो मैं तो स्टेटमैंट देने जा रहा था। जब आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए और यही प्रथा है और इसी से लोकतंत्र मज़बूत होता है जब आप में सुनने की क्षमता होगी।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि दो साल में हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल है और जब कोई प्रदेश का मुख्य मंत्री बनता है तो उसकी यह जिम्मेवारी बनती है। मैं समाज और हिमाचल की जनता को भी बताना चाहता हूं कि क्या कारण था कि वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में रेवन्यू सरप्लस रहने के बावजूद भी आप कर्मचारियों के वेतन, पैंशन पर डी.ए. की लायबिलिटी को डैफर करते रहे? हमारे पास रेवन्यू था जो आज आप सैलरी की बात कर रहे हैं। रेवन्यू सरप्लस थे। डी.ए. 10 हजार करोड़ रुपये का कर्मचारियों को दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया, उसके क्या कारण थे? ...(व्यवधान) फिर चुनाव आए, ठीक है, चुनाव से 6 महीने पहले आपने घोषणाएं कीं। आपने कहा फ्री पानी, किसी का होटल चल रहा है, जो इन्कम टैक्स देता है, उसको फ्री पानी की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई। आपने कहा कि फ्री बिजली, हम एक रुपये सब्सिडी देंगे और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.09.2024/1250/av/dc/1

मुख्य मंत्री---------- जारी

आपने टैक्स पेयी जितने भी बड़े-बड़े होटल थे, ताज और ओबरॉय जैसे जो 10-10 करोड़ रुपये इंकम टैक्स देते थे उनको आपने बोला कि एक रुपये की सब्सिडी देंगे। इस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश सरकार पर 2200 करोड़ रुपये की लायबिलिटी डाल दी। बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट दी गई। इसके अतिरिक्त चुनाव से पहले लगभग 600 नये संस्थान खोल दिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, फ्रीबीज इन्होंने बांटी और चुनाव हुआ। उसमें जनता ने इनको नकारा और हमारी सरकार आई। हमारी सरकार आने पर सबसे पहले हमने आर्थिक संकट में सुधार किया जिससे कि एक साल में अर्थ-व्यवस्था में 20 प्रतिशत तक का सुधार हुआ और हमने 2200 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया। अब हम फिस्कल प्रूडैंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ चलें। अब मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं।

04.09.2024/1250/av/dc/2

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 तारीख अर्थात दिनांक 5 सितम्बर, 2024 तथा पेंशनर्ज को पेंशन 10 तारीख अर्थात दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को दी जाएगी। वेतन तथा पेंशन पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 तारीख ...(व्यवधान) अब स्टेटमेंट तो पढ़ने दीजिए, इसमें तो रुकावट न डालो। वेतन तथा पेंशन पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 तारीख तथा 10 तारीख को देने का मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार खर्चे की प्रतियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है जो हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह के प्रबंधन से हमने

राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कर्ज़ पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया है। राज्य सरकार को सैलरी तथा पेंशन की अदायगी हर महीने की पहली तारीख को करनी पड़ती है जबकि भारत सरकार से निश्चित तिथि में निम्नलिखित मुख्य राशि प्राप्त होती है। पहले इसको छुपाया जाता था और मैं इसको पब्लिक में लाना चाहता हूं। हमें 520 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 (रैवन्यू डेफिसिट ग्रांट) 6 तारीख को आती है और 10 तारीख को शेयर इन-सेंट्रल टैक्सिज के अंतर्गत 740 करोड़ रुपये आते हैं। पहली तारीख को सैलरी तथा पेंशन की अदायगी के लिए राज्य सरकार को बाज़ार से लगभग साढ़े सात प्रतिशत की दर से अग्रिम ऋण उठाकर अनावश्यक रूप से ब्याज का बोझ वहन करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा फिस्कल प्रूडैंस के लिए एक्सपेंडिचर का रिसिप्ट के साथ मैपिंग करने का प्रयास किया गया है ताकि ऋण राशि उठाकर ब्याज के अनावश्यक बोझ को घटाया जा सके। इस प्रकार से सरकार द्वारा व्यय कर रिसिप्ट के साथ मैपिंग करके हर महीने लगभग तीन करोड़ रुपये की राशि बचाई जाएगी और इस तरह से एक साल में 36 करोड़ रुपये की राशि बचेगी।

टी सी द्वारा जारी

04.09.2024/1255/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

मुख्य मंत्री ..... जारी

हम पहली तारीख को जो सैलरी और पेंशन देते थे उसको हम लोन उठाकर देते थे। हमारा हर महीने सैलरी पर 1200 करोड़ रुपया और पेंशन पर 800 करोड़ रुपया खर्च आता है यानी हर महीने 2000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको दिया जाता है। इस तरह से साल का 24000 करोड़ रुपया हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को देते हैं। इसके लिए हम पहली तारीख को 5 दिन के लिए जो लोन उठाते हैं उस पर हम 3 करोड़ रुपया साल का ब्याज देते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए पेंशन की अदायगी 10 तारीख को और सैलरी की अदायगी 5 तारीख को की जाएगी। अगले महीने इस पर फाइनेंशियल

डिसीप्लेन देखने के बाद 28 या 29 तारीख को इस पर फिर से फैसला लिया जाएगा क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ई0एम0आई0 एक तारीख को जाती है। उस बारे में भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है कि अगले महीने से सैलरी और पेंशन की अदायगी एक तारीख को कैसे दी जा सकती है? अध्यक्ष महोदय, हम 5 दिन का लोन उठाते हैं क्योंकि 5 या 6 तारीख को हमारी आर0डीज0 आती है और इस पर हमारा 3 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस 3 करोड़ रुपये से हम किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, किसी महिलाओं के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। यह डिले सैलरी और पेंशन में ही नहीं किया गया है बल्कि और भी जो खर्चे हैं उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जैसे किसान को मिल्क सैस के पैसे देने हैं, उनकी आय बढ़ानी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है इनमें भी हमने बदलाव किए हैं जो आने वाले समय में, मैं विधान सभा के पटल पर रखता जाउंगा। हमने 40 साल में पहली बार जनता और सदन को बताने की कोशिश की है कि सिस्टम क्या है? इस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर भी बढ़ने जा रहे हैं। यह व्यवस्था सरकार के बोर्ड और निगमों व बैंकों के लिए नहीं होगी जो अपने संसाधनों का आकलन करके खुद निर्णय लेते हैं। इसलिए विद्युत बोर्ड या अन्य बोर्डों में कर्मचारियों को सैलरी मिल गई है। मैं यह भी प्रयास कर रहा हूं कि जो भी बोर्ड इनकम टैक्स देता है, कई बहुत बड़े बोर्ड/बैंक हैं जो 20-20 करोड़ रुपया देते हैं। उनके कर्मचारियों को डी0ए0 भी मिलना चाहिए और उनको इंसैंटिव भी मिलने

04.09.2024/1255/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

चाहिए। जो बोर्ड अपने को बचाकर मजबूती प्रदान करता है, हम उस बारे में भी जल्दी ही फैसला करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को यह भी अवगत करवाना चाहता हूं कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बाजार से ऋण उठाने के लिए 2317 करोड़ रुपये की बकाया राशि बची है जिसका राज्य सरकार को आगामी चार महीने अर्थात् सितम्बर से दिसम्बर तक विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व है लेकिन मुख्य मंत्री होने के नाते मेरा कुछ और दायित्व होता है। आज फाइनेंस मिनिस्टर होने के

नाते अगर हम इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और इस प्रदेश के खजाने को लुटाते जाएंगे, चाहे मुख्य मंत्री कोई आएं, सरकारें कोई आएं,

एन0एस0 द्वारा जारी ...

04.09.2024/1300/एन.एस.-एच.के./1

मुख्य मंत्री -------जारी

अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से कार्य नहीं करेंगे तो ऐसी स्थितियां रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद आर्थिक संकट आया, हमने उस पर कड़े फैसले किए और उसमें मजबूती प्रदान की है। मैं आपको इस सदन के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संकट नहीं है। Fiscal Prudence and Fiscal Discipline के माध्यम से हम और विषयों पर सुधार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में और कड़े फैसले लेंगे। हम किसी को फ्री बिजली नहीं देना चाहते। जब से फ्री बिजली दी है, एक परिवार ने 4-4 मीटर लगा दिए हैं। अब आपने एक परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री रखी और परिवार ने 4 मीटर लगा दिए तो 600 यूनिट बिजली फ्री हो गई। हमने इस पर भी फैसला करना है। आपने पानी का कोई बिल नहीं लिया। अगर पानी की स्कीमों के बिजली बिल का पता करें तो 135 करोड़ रुपया जल शक्ति विभाग ने बिजली बोर्ड का देना है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं और विपक्ष इसका बुरा न माने कि राजनैतिक लाभ के लिए हम चुनावों से पहले जो घोषणाएं कर देते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। ...(व्यवधान)

Speaker: Hon'ble Chief Minister please conclude your statement.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने माननीय सदन से बहिर्गमन किया)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत कड़े फैसले करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।

अध्यक्ष : यह जो विषय है इसको मैं शुक्रवार की कार्यसूची में लगा रहा हूं। 'प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, इसके ऊपर यह माननीय सदन गंभीरता से विचार करे।' इस विषय को इस माननीय सदन में शुक्रवार को चर्चा के लिए लगा रहे हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

04.09.2024/1400/RKS/वाईके-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य विनियम (प्रथम संशोधन) व्सवसायों की आय का उपचार, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/420, दिनांक 15.05.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.05.2023 को प्रकाशित;

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी-एफ(1)-3/2018, दिनांक

02.06.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित;

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/ एच(1)-36/2021,दिनांक 2.07.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2023 को प्रकाशित;

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) विनियम (पांचवां संशोधन), 2023 जोकि

04.09.2024/1400/RKS/वाईके-2

अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/414/ (प्रतिभूति जमा), दिनांक 21.08.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.08.2023 को प्रकाशित;

(vii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना तथा टैरिफ निर्धारण के लिए नियम व शर्तें (सातवां संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428, दिनांक 22.09.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.09.2023 को प्रकाशित;

(viii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय व्हीलिंग टैरिफ एवं खुदरा आपूर्ति टैरिफ) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी-एफ(1)-67/2023, दिनांक 29.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.12.2023 को प्रकाशित;

(ix) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कनेक्टिविटी का अनुदान, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के अंर्तराज्य-(तीसरा संशोधन) खुली पहुंच और संबधित मामले विनियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/418, दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.02.2024 को प्रकाशित; और

(x) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन विनियम टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याःएचपीईआरसीएफ(1)-68/2023, दिनांक 14.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2024 को प्रकाशित।

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1405/बी.एस./वाई के-1

कागजात सभा पटल पर जारी...

अध्यक्ष : अब उप-मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 109 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव सोसाइटीज (अमैण्डमेन्ट) रूल्ज, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः कूप-ए(3)-2/2020, दिनांक 14.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.03.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-II (एफ)1-1/2023, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2024 को प्रकाशित;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(बी) के अन्तर्गत हिमाचल राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21(विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित);

04.09.2024/1405/बी.एस./वाई के-2

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सहायक भू-विज्ञानी, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए- ए003/11/2021, दिनांक 27.05.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2024 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सूचना का अधिकार- एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेगें। निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

04.09.2024/1405/बी.एस./वाई के-3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अनिल शर्मा सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 273वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 102वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 278वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 103वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के 205वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 255वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

04.09.2024/1405/बी.एस./वाई के-4

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री संजय रत्न, सभापति, जन प्रशासन समिति, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा मांग संख्याः 22- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

04.09.2024/1405/बी.एस./वाई के-5

अध्यक्ष : अब श्री नन्द लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन जोकि शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब केवल सिंह पठानिया सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का अष्टम प्रतिवेदन जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 27वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा मांग संख्याः 14- पशुपालन विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 10वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा मांग संख्याः 18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित है।

04.09.2024/1405/बी.एस./वाई के-6

नियम-62 अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। इसमें मेरे पास दो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये हैं। अब श्री बलबीर सिंह वर्मा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे तथा इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी का भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, वह भी अपना विषय उठा सकते हैं। यदि दोनों माननीय सदस्य चाहें तो मेरी अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इस चर्चा का उत्तर लोक निर्माण मंत्री जी देंगे। आदरणीय बलबीर सिंह वर्मा जी अब चर्चा में भाग लेंगे, कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव पस्तुत करता हूं कि "संजौली (शिमला) में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर उत्पन्न हुए तनाव पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।" अध्यक्ष जी, यह सिर्फ किसी धर्म स्थान के निर्माण की बात नहीं है। यह एक ऐसी जगह निर्माण हुआ है जहां उसके बिल्कुल नजदीक अन्य धार्मिक स्थान पहले बने हुए हैं। इनमें गुरुद्वारा साहिब, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, सत्संग भवन, साई सत्संग भवन, उसके साथ ही ढिंगू माता मंदिर भी बिल्कुल साथ में लगता है। बहुत सारे संस्थान भी वहां पर साथ में है। इनमें से वरिष्ठ माध्यमि पाठशाला, संजौली और मोनाल पब्लिक स्कूल भी है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

4.09.2024/1410/डी0टी/एजी-1
श्री बलबीर सिंह वर्मा ... जारी

और पुस्तकालय भवन , डिग्री कॉजेल भी ज्यादा दूर नहीं है। उस बिल्डिंग के इर्द-गिर्द बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्ज हैं। यह संजौली बाजार में है। जहां यह बिल्डिंग बनी हैं वहां 99 प्रतिशत लोग एक ही धर्म के रहते हैं। वहां स्थिति इसलिए खराब हो रही है क्योंकि वहां पर

10,20 या 50 या 100 लोग नहीं अपितु 500 लोग अपने धार्मिक स्थान पर धर्म के प्रचार के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां मस्जिद में स्पीकर लगता है और स्पीकर लगने के कारण जो वहां 99 प्रतिशत लोग दूसरे धर्म के रहते हैं उन्हें काफी डिस्टर्बेंस होती है। जिस बिल्डिंग का निर्माण वहां हुआ है, उसके लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए हैं, लगभग 35 से 40 बार उन्हें नोटिस दिए गए लेकिन इसके बावजूद भी उस निर्माण को तोड़ा नहीं गया है। हिमाचल प्रदेश एक शांत राज्य है। इस प्रदेश को देव भूमि के नाम से जाना जाता है। संजौली में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की जो स्थिति बनी है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के लोग ही वहां रहते हैं, सभी क्षेत्रों के लोग संजौली में रहते हैं। उन सब ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया है। किसी भी पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर सब लोगों ने उसमें ऑब्जेकशन किया है। जहां पर 99 प्रतिशत लोग एक ही धर्म के रहते हैं वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को किसी भी तरह कि डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वहां पर लोगों में रोष है। अभी जिला प्रशासन व जिला पुलिस प्रशासन ने और उनके साथ नगर निगम के आयुक्त ने आश्वासन दिया है क्योंकि कोर्ट में ये केस लगा है इसलिए शनिवार तक इसमें कोई निर्णय लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी आपके के माध्यम से सरकार से ये विनती है कि जो भी वहां धर्म के नाम पर प्रचार हो रहा है, धर्म के नाम पर कार्य हो रहा है, तुरन्त उसको बंद किया जाये और 99 प्रतिशत जो दूसरे धर्म के लोग हैं वह डिस्ट्रब न हों जिससे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति वहां पर न बिगड़े। वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कांग्रेस के पार्षदों के साथ और भी कई लोग वहां पर उपस्थित थे। वैसे तो श्री अनिरूद्ध सिंह माननीय मंत्री जी को भी वहां आना चाहिए था और आदरणीय श्री हरीष जनारथा जी को भी वहां आना चाहिए था, क्योंकि वहां पर एक ऐसा सेंसटिव माहौल वहां बन गया था जिससे कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी अनहोनी न हो जिससे हिमाचल प्रदेश बदनाम हो। वहां पर ऐसा कोई प्रोटेस्ट दोबारा न शुरू हो जाये उससे पहले मेरी सरकार से विनती है कि उस भवन से संबंधित सभी गतिविधियों को सीज किया जाये ताकि दूसरे धर्म के लोगों को किसी प्रकार की

डिस्ट्रबेंस न हो। इनमें कुछ लोग ऐसे है कि जब उनका कोई आदमी शिमला या हिमाचल में आता है तो वह अपने साथ पच्चास आदमी और लाता है उसके बाद सड़क वह लोग सड़कों के किनारे बहुत छाबे लगा कर काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई सब्जी का छाबा लगा लेता है, कोई फलों का छाबा लगा लेता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई छानबीन नहीं की जाती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का भी पूरा रिकार्ड पुलिस में होना चाहिए कि वह व्यक्ति कब आया और किस मंशा से आया और उसका बेकग्राउंड किया है? ये सारी जानकारी लेने के बाद ही उसको यहां पर रहने की इज़ाजत मिले। ये मेरी सरकार से विनती है ताकि संजौली जैसी परिस्थिति दोबारा न बने। ये किसी पार्टी से संबंधित बात नहीं है ऐसा भी नहीं है कि ये किसी धर्म की बात है। ये तो संजौली क्षेत्र में ऐसा न्यूसेंस क्रिएट हो गया कि जहां 99 प्रतिशत लोग एक धर्म के रहते हैं उस क्षेत्र में बीच में एक ऐसी बिल्डिंग बन गई जिसमें 500- 600 लोग एक ही दिन अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं जिसके कारण एक न्यूसेंस क्रिएट हुई है। इसे कैसे रोका जा सकता है इस पर तुरन्त सोचने की जरूरत है और मेरी सरकार से विनती है कि इस मामले पर हस्तक्षेप कर इसे रोका जाए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी क्या आप भी कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

04-09-2024/1415/ए.जी.-एन.जी/1

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे इस इश्यू पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मेरा विषय माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी के साथ क्लब किया गया है। मैंने इस विषय को किसी और तरीके से रखना चाहा था लेकिन यहां पर प्रस्ताव आया है कि "संजौली (शिमला) में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर उत्पन्न हुए तनाव पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे"। It is clubbed in. वहां पर जो लड़ाई या झगड़ा हुआ तो ऐसी परिस्थिति क्यों क्रिएट हुई है और वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर क्यों डिस्टर्ब हुआ है, मेरा प्रश्न इस इश्यू पर था।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने कहा है कि वहां पर शनिवार व रविवार की रात को एक झगड़ा हुआ है। वहां पर हमारा अपना लड़का व छोटा भाई ही था जिसके साथ यह झगड़ा हुआ है। वह हमारे अपने ऐरिया का ही आदमी था। उनकी आपस में तैश-तैश में कोई समस्या क्रिएट हो गई और वह झगड़ा बढ़ते-बढ़ते संजौली तक पहुंच गया। जब इस प्रकार के इश्यूज़ उठने शुरू हो जाते हैं तो वे कोई और ही रंग में चले जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और यह झगड़ा मस्जिद के पास पहुंच गया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए और इस पर अन्य संज्ञान भी लिए जा रहे हैं। हम भी इसमें मदद करेंगे कि जो गलत है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाए। दूसरा इश्यू, जब संजौली आते हैं, मस्जिद पर आते हैं और वहां पर कुछेक लोग, जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा कि कांग्रेस के भी लोग थे, बीजेपी के भी लोग थे लेकिन वहां पर जो भी लोग थे वे सब हमारे ही लोग थे। वहां पर आप-पास के ही लोग पहुंचे थे और अपने सैंटिमेंट्स लेकर आए थे। हमने इस मामले पर जांच की है कि इस मस्जिद का निर्माण कब से शुरू हुआ है। यह मस्जिद वक्फ़ बोर्ड की जमीन पर बनी है। 1950 से पहले यह केवल एक मंजिल हुआ करती थी। इसका निर्माण कब शुरू हुआ उसके बारे में माननीय शहरी विकास मंत्री (लोक निर्माण मंत्री) जी बताएंगे। मेरे अनुसार इसका निर्माण 10-15 साल पहले शुरू हुआ। यह बात सरकार के जहन में आई और सरकार ने इन्हें नोटिस भी दिया। उसके बाद वक्फ़ बोर्ड इसका केस लड़ने लगा कि आस-पास की सारी जमीन वक्फ़ बोर्ड की है। उस जमीन पर जो बिल्डिंग्स बनी हैं वह भी वक्फ़ बोर्ड की हैं और वहां पर कुछ निजी बिल्डिंग्स भी बन गई हैं। उन वक्फ़ बोर्ड की बिल्डिंग्स में हमारे लोग टेनेंट्स हैं। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां पर यदि वक्फ़ बोर्ड एक्शन लेता है तो हमारे लोग सफ़र करते हैं। अनाधिकृत

04-09-2024/1415/ए.जी.-एन.जी/2

कंस्ट्रक्शन की जो बात है तो हमारे इस टैन्योर (लगभग 20 माह) में उस ऐरिया में एक ही अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन हुई थी और वहां पर जून माह में 5-6 टॉयलेट्स बनाए गए थे। वहां के लोगों ने यह बात हमारे संज्ञान में लाई और 3 दिन के भीतर ही वह सारा कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया था। मैं इसका रिकॉर्ड भी पेश कर सकता हूं। वह केस एम.सी. में लगा हुआ है। हम एम.सी. के माध्यम से अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि कहीं अन्य जगह पर भी अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन होती है

तो उसमें तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। यह केस इतना लम्बा क्यों चल रहा है? Take action against it. जो इसमें अफैक्टिड पार्टी है या जिन्होंने गलत किया है वह अपना रास्ता ढूंढ लें। नगर निगम की ओर से इस केस में निर्णय करना बहुत जरूरी है। जहां एग्रीवेट करने की बात है तो माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी थोड़ा एग्रीवेटिड भी बोल रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें शायद संजौली के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है और ये वहां पर ज्यादा रहे भी नहीं हैं। हम तो बचपन से वहीं पर रहे हैं। इसमें जो लोग शामिल हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद हैं तो वे भी वहीं पर पले-बढ़े हैं। हम सब लोग साथ में रहे हैं। मेरा मेन इश्यू यह है कि इस मामले को बिना मतलब के तूल न दिया जाए। It is not a small issue. मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं। जहां पर गलत हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास प्रशासन है, कानून है और पुलिस भी है। वे अपना एक्शन लेंगे। आप कहते हैं कि स्कूल, मन्दिर आदि का डिसटेंस बहुत नजदीक है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मंदिर कहीं सड़क से ऊपर है, मस्जिद कहीं और है, स्कूल कहीं और है, यह हर लोकैलिटी में all over Himachal Pradesh or India में ऐसा ही है। ...(व्यवधान)

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

04.09.2024/1420/केएस/एएस/1

श्री हरीश जनारथा जारी..

हम आपसे पहले से इस शहर में रहते हैं और इसी शहर में पले-बढ़े हैं और उसी प्वाइंट पर रह रहे हैं। हम आपको इस चीज़ को क्लीयर करना चाहते हैं। I know better what I am doing in my town. Hon'ble Speaker, Sir, ask him not to interfere when I am speaking. If he wants to say something he can say but let me finish first.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखें। उनकी तरफ ध्यान मत दो। आप इस तरफ देख कर अपनी बात कहिए।

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, यह हमारी आपस की बात है इसलिए इनको थोड़ा बताना चाहता था। दूसरा, आप कहते हैं कि वहां पर 99 परसेंट लोग एक ही धर्म के रहते हैं। यह भी गलत है। वहां पर हमारे चौपाल के, कोटखाई और आसपास के क्षेत्रों के, हमारे

अपने पहाड़ी लोग हैं जो इस धर्म को फॉलो करते हैं। वे भी वहीं रह रहे हैं। उसी वक्फ् बोर्ड के एरिया में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर एक ही धर्म के लोग रहते हैं। **2.15**... । am not shielding. क्योंकि इसको धर्म का इशू बना रहे हैं, उस बात को ले कर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक शिमला में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम इस चीज़ को खत्म करना चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे हिमाचल में ऐसी बात कहीं न हो।

अध्यक्ष महोदय, ये अनॉथराइज्ड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। चलो, यह तो अभी हाउस में इन्होंने कहा इनकी एक क्लिपंग भी आ रही है कि अचानक यह मस्जिद बन गई। वर्ष 2007-08-09 से तो इसके ऊपर केस ही चल रहे हैं। हम इस बारे में डिसिज़न का वेट कर रहे हैं। What we can do is कि हम इस डिसिज़न को जल्दी रिक्वेस्ट करके, प्रीपोन करके, अभी तो यह शनिवार को लगा है, कानूनी कार्रवाई में हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते परंतु हम चाहेंगे कि इस पर जल्दी से जल्दी डिसिज़न आए। उसके बावजूद जहां ये पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं कि 500-700 आदमी आते हैं। उस एरिया में एक ही मस्जिद है। ढली, मशोबरा, मल्याणा, चमियाना,ठियोग और चौपाल से लोग वहां आ कर नमाज़ पढ़ते हैं। एक दिन के लिए आते हैं। हमने वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए बोला है। इस घटना के बाद हम वहां लोगों के बीच गए, हमने उनसे पूछा कि आपको क्या समस्या है? हम पुलिस में भी गए, हमने पूछा कि क्या कोई चोरी या बदतमीज़ी की कोई

04.09.2024/1420/केएस/एएस/2

एफ.आई.आर. लॉज हुई है। उसके भी कोई कागज़ात हमारे पास नहीं हैं लेकिन भगवान की कृपा रही कि जब हम पावर में आए, हमने उसी समय कहा कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके कागज़ात भी मैं लाया हूं और मैं आपको एक मिनट में सारी चीज़ बता देता हूं। हमारे पास शिमला शहर के अंदर कुल 190 लोग हैं। जिनमें से लीगली रजिस्टर्ड 90 व्यक्ति मुस्लिम हैं, कश्मीरी 15, नेपाली 15 और अन्य समुदाय के 9 यानि 115 लोग हैं। मैं प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि असलियत कुछ ज्यादा है।। would request the Police and the District Administration कि सभी की रजिस्ट्रेशन की जाए। वैसे प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी इसका पूरा डाटा हम यहां नहीं ला सके। बाकी

तहबाजारी वाले भी 90 लोगों में से ही हैं। उनकी भी रजिस्ट्रेशन हुई हैं और मेरे पास उसके कागज़ात भी है, if you want I can table it in front of you. बाकी यहां पर कोई जमात के आते हैं। इस साल जमात के 146 लोग आए हैं। इनमें 02.06.2024 को 11, 05.06.2024 को 24, 09.06.2024 को 7, 28.06.2024 को 17, 30.06.2024 को 13, 06.07.2024 को 17, 07.07.2024 को 11, 10.07.2024 को 21, 06.08.2024 को 12 और 08.08.2024 को 13 लोग आए हैं। 146 आदमियों का यह रिकॉर्ड भी हमारे पास है। हम प्रशासन, खासकर पुलिस से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आपके पास इन सभी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो कि जरूरी है। इसके बावजूद झारखंड, यू.पी., बिहार से जो भी लोग आते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी होती है। लेबर वालों की लेबर ब्यूरो भी करती है और पुलिस करती है। इस इशू में हम यही कहना चाह रहे थे कि जैसे आपपे कहा कि वहां पर अनिरुद्ध जी होने चाहिए थे या मैं होना चाहिए था, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था परंतु,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.09.2024/1425/av/as/1

श्री हरीश जनारथा---------- जारी

यह बात हमारे संज्ञान में ही नहीं है। मुझे इस बारे में किसी ने फोन नहीं किया, आप मेरा फोन अभी ले सकते हैं। आप इस बारे में कहीं से भी पता कर लीजिए और न ही मुझे इस बारे में किसी ने बोला कि शिमला में ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि यह रुख़ उस तरफ जा ही नहीं रहा था। यह सिर्फ लड़ाई-झगड़े का रुख़ था। बाद में वह बात पता नहीं कहां-से-कहां पहुंचा दी और अब बिना बात के सनसनी फैलायी जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि किस चीज़ की सनसनी फैलायी जा रही है, अगर गलत है तो तोड़ेंगे और उसके लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि गलत-तो-गलत ही होता है। वह चाहे प्राइवेट स्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो या कोई रिलिजियस स्ट्रक्चर हो उसको तोडेंगे। यहां तक कि हमारे अपने घर टूट जाते हैं अगर हम अनऑथोराईज कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके लिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। वहां इस दुर्घटना से पहले ही नॉन वैंडिंग जोन भी दे दिया। We will give a

vending zone and preferably we are making a policy on the intervention of the Apex Court or High Court. We are making a vending policy. उसमें हमने वैंडर्स देखने हैं और हम चाहेंगे कि उसमें अपने बोनाफाइडी लोगों को ज्यादा प्रैफ्रैंस दें। हमें भी इस लड़ाई-झगड़े के कारण दुःख हुआ है। वहां हमारे लड़के गए हैं और उनके ऊपर चोटें लगी हैं। परंतु इसके पीछे क्या कारण है, यह कानून ने डिसाईड करना है।

अध्यक्ष महोदय, आप मुद्दे से संबंधित जो भी रिकॉर्ड चाहेंगे हम उसे सदन के पटल पर रख देंगे। इसके अतिरिक्त जो कुछ अनऑथोराईज हुआ है तो इस संदर्भ में शहरी विकास मंत्री जी ने मीटिंग ली है, he can also look into it. Thank you.

04.09.2024/1425/av/as/2

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी, आप बोलिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने मुझे माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी और श्री बलबीर सिंह वर्मा जी द्वारा नियम-62 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।यहां पर जो लड़ाई-झगड़े की बात हुई और हमने अखबारों के माध्यम से भी देखा। लेकिन वह लड़ाई कहीं और जगह हुई तथा मुद्दा शिमला शहर के अंदर आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाना चाहता हूं। यह लड़ाई-झगड़ा मलयाणा में हुआ और उसको लेकर 6 लोगों के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई जिसमें से दो माइनर थे। मेरी जानकारी के अनुसार वे सभी मुज़फरनगर के वांशिदें थे। उस लड़ाई-झगड़े के संदर्भ में पुलिस ने कार्रवाई की है और मैं उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एकदम से एक्शन लिया और उनको अरैस्ट करके उन पर केस दायर किया। लेकिन उनके खिलाफ मॉब का आक्रोश है परंतु सवाल यह है कि वह आक्रोश क्यों है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। हमारे प्रदेश में चम्बा, पांवटा साहिब, नाहन, कसुम्पटी, चौपाल इत्यादि क्षेत्रों में एक समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन प्रदेश में ऐसा लड़ाई-झगड़ा पहले कभी नहीं हुआ और न ही उन लोगों की इस प्रकार के लड़ाई-झगड़े की प्रवृत्ति रही है। सभी शरीफ और बाल-बच्चेदार लोग हैं। कोई बागीचा लगा रहा है तो कोई खेत-खलियान में मज़दूरी कर

रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी उस समुदाय के लोग रहते हैं। पहले ऐसी दुर्घटना कभी नहीं घटी लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? यहां पर अब रोज़ नये लोग आ रहे हैं। कोई ज़मात वाले आ रहे हैं जिनका कोई अता-पता नहीं है। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं खुद एक-दो व्यक्तियों को जानता हूं जोकि बंगलादेश से आए हैं और उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यहां पर अभी 190 का उल्लेख किया गया कि यहां पर 190 लोग रजिस्टर्ड हैं तो उनकी संख्या 1900 कैसे हो गई? आप चाहे संजौली बाज़ार चले जाएं या ढली,

04.09.2024/1425/av/as/3

कसुम्पटी और लक्कड़ बाज़ार चले जाएं। वहां पर लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको हटाया जाए और 190 लोगों की वेरिफिकेशन की जाए और बाकियों को साफ किया जाए। It is not a question about legal or illegal, कोर्ट में केस चलते हैं। एम0सी0 में भी कइयों के केस चल रहे हैं। हम लोगों के भी चलते हैं, उसमें क्या है? मैं आपके सामने उसकी स्थिति लेकर भी आ रहा हूं।

टी सी द्वारा जारी

04.09.2024/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री..... जारी

मैंने नगर निगम से इसकी रिपोर्ट मंगवाई है जिस पर बाद में माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रशासन से इस मस्जिद को खोलने की मंजूरी ली गई थी? क्योंकि यदि कोई मंदिर खुलता है तो वहां पर प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, कोई भी धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं लेकिन उसको खोलने के लिए सरकार की परमिशन जरूरी है। इन्होंने वर्ष 2010 में बिना परमिशन के इस बिल्डिंग का काम शुरू किया और उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। उस समय 2500 स्क्वेयर फुट की इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी। उसके बाद वर्ष 2012 में इस केस की पुनः

सुनवाई हुई। इसके पश्चात् भी ये लोग नहीं माने और अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल यह है कि यदि कोई लोकल आदमी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको उसी दिन तोड़ दिया जाता है जो कि शर्म की बात है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26.06.2013 को मामले की सुनवाई के दौरान मस्जिद को प्रपोज्ड प्लान में माना गया और उसमें त्रुटियां पाई गईं। इनसे फ्रैश ड्राइंग भी मांगी गई। यह हैरानी की बात है कि प्रतिवादी पर वर्ष 2010 से केस चल रहा था और वर्ष 2019 तक चार अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण किया गया। यह नोट करने वाली बात है कि जब केस चल रहा था तो वर्ष 2019 तक ये चार मंजिलें कैसे बन गईं? नगर निगम प्रशासन कहां सो रहा था? उस अवैध कंस्ट्रक्शन को उस समय क्यों नहीं तोड़ा गया, फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि अवैध कंस्ट्रक्शन क्यों की गई? इसके साथ ही आज जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 590.82 वर्गमीटर यानी 6,357 स्क्वेयर फुट अवैध निर्माण किया गया जो बड़ी शर्म की बात है। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम को वर्ष 2023 में पता चला कि जो व्यक्ति इस मामले में सुनवाई में आ रहा है उसका तो इस केस से कोई लेना-देना ही नहीं है। क्या नगर निगम के अधिकारियों ने उसके कागज चैक नहीं किए? वर्ष 2023 में नगर निगम के ध्यान में आ कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है वह तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता है। उस समय इसको वक़्फ़ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। यह सारी रिपोर्ट मैं यहं सदन के पटल पर रखने जा रहा हूं (रिपोर्ट ले की गई)। जो जमीन प्रतिवादी की बताई जा रही है उसका मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है और वह सिर्फ कब्जाधारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा

04.09.2024/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

कि उस जमीन से उसका कब्जा हटाया जाए और उस जमीन का कब्जा हिमाचल प्रदेश सरकार अपने पास लें। जहां तक धरने देने की बात है कि कसुम्पटी या चौपाल विधान सभा क्षेत्र से लोग आए तो हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क है और आजादी ऐसे ही नहीं मिली इसमें पूरे देश के लोग शामिल थे। मैं तीनों पार्षदों का धन्यवादी हूं जिन्होंने वहां पर खड़े होने की हिम्मत रखी और सभी लोगों का भी धन्यवादी हूं जो-जो उस आंदोलन में आए। मैं उस आंदोलन की पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूं। हम और हमारी सरकार किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सबका स्वागत है लेकिन

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि हमें इन पर चैक रखने की जरूरत है। सबसे पहले पुलिस प्रशासन से यह जानकारी ली जाए कि कितने लोग चिट्टे में सम्मिलित हैं और वे लोग कहां के रहने वाले हैं? आज संजौली बाजार में ही नहीं लोअर बाजार में भी महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है। उनको भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं। मैं इस बात का गवाह हूं। आज ड्रग्ज का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रहीं हैं। लव-जिहाद पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो कि हमारे देश और प्रदेश के लिए खतरनाक है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

04.09.2024/1435/एन.एस.-डी0.सी./1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ----- जारी

वायलेंस हो रहा है, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। क्या हिमाचल के लोकल लोगों ने वायलेंस शुरू किया है। इसका भी पता किया जाए। पहले वायलेंस उन्होंने शुरू किया और उसके बाद लोगों ने पुलिस थाने का घिराव किया और उस क्षेत्र का घिराव किया तथा धरना प्रदर्शन भी किया। अध्यक्ष महोदय, घरेलू हिंसा को भी कंसीडरेशन में रखा जाए। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए अगर प्रदेश में कोई भी बाहर से काम करने के लिए आएगा। प्रदेश हिमाचलियों के लिए है। पहले आएंगे, बैठेंगे और फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे तथा बाद में कोर्ट चले जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते। माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी 190 मुसलमानों का बहुत बढ़िया डेटा लेकर आए हैं। केवलमात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए और वही तहबाजारी हो सकता है तथा यह कानून आना चाहिए। इसके लिए पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। जो अन-ऑथोराइज्ड बैठ रहे हैं, उन पर बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। ये लोक निर्माण विभाग और एम0सी0 की सड़कों पर बाहर से आकर बैठ रहे हैं, इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी कोर्ट में पेशी दिनांक 07 सितम्बर, 2024 को शनिवार को लगी है। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि वर्ष 2010 से वर्ष 2024 यानी 14 सालों का समय हो गया है और अभी तक 44 पेशियां लग चुकी हैं। इनको यही नहीं पता कि जमीन किसके नाम पर है? सरकार की जमीन के ऊपर नक्शा कैसे पास हो सकता है चाहे कब्जाधारी हों? एम0सी0 क्या दूसरे का नक्शा पास करता है? उन्होंने उसकी रिपोर्ट कैसे

ली और उन्होंने नक्शा कैसे सब्मिट किया। अगर कब्जाधारी हैं तो सबसे पहले नक्शा रद्द किया जाए और जो अवैध 4 मंजिलें बनी हैं उसके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र एक्शन हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि 44 पेशियों में कोई फैसला न हो पाए। मैं समझता हूं कि यह टालने वाली बात है। मस्जिद का उत्तर भी दिया गया और शौचालय का भी बताया गया है। ये तब भी नहीं मान रहे हैं। ये proclaimed offender है, इनको ऑफेंड करने की आदत है मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है। वर्ष 2010 में पहले एक मंजिल बनाई और अभी तक पांच मंजिलें बन गई हैं। अभी भी इन्होंने वहां पर बाथरूम बनाए। मैं माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी का धन्यवादी हूं कि इन्होंने वहां खड़े होकर शौचालय तुड़वाये। वर्ष 2024 के जून माह

04.09.2024/1435/एन.एस.-डी0.सी./2

में ये तोड़े गए हैं और मेरे पास इसकी रिपोर्ट है। मैं ऑन रिर्काड और बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र इस बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए जो अवैध घोषित की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए क्योंकि मुझे कहा गया है कि कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, कोर्ट से जायज फैसला ही आएगा। अगर माननीय उच्च न्यायालय में जाना है तो हाई कोर्ट के जज देखेंगे कि किसकी जमीन है और फैसला देंगे। यहां क्यों टाल मटोल हो रही है? अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी प्रॉपर जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है? क्या वह नक्शा जमा करवाने के लिए अधिकृत है और 10 सालों में उन्होंने कितनी मंजिलें बनाई? मैं जानना चाहता हूं कि काम रोकने के लिए इनका बिजली व पानी क्यों नहीं काटा गया? जब कानून बना है तो दूसरों का एकदम बिजली व पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं तो इनके कनैक्शन आज तक क्यों नहीं किए गए? ये मिलीभगत है। इस पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये अवैध है और इसकी पेपर्ज में भी रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अंत में बोलना चाहूंगा कि हम जितने भी माननीय सदस्य इस माननीय सदन में बैठे हैं, हम हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह हमारा कर्तव्य है तथा मेरा धर्म भी यही है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष : यह नियम-62 की चर्चा है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी उत्तर देंगे। ...(interruption) You(Shri Balbir Verma) can ask clarification thereafter. Let the Hon'ble Minister reply.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री बलबीर सिंह वर्मा व श्री हरीश जनारथा जी लेकर आए हैं और इसके ऊपर बड़े विस्तारपूर्वक दो अलग-अलग विषयों का संगम करके बात करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विषय है

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

04.09.2024/1440/RKS/एचके-1

लोक निर्माण मंत्री... जारी

जिसमें हमें बहुत रिस्ट्रेंट व हर व्यक्ति की भावना को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय के लिए हर क्षेत्र और हर जाति के लोगों का विकास करने के लिए वचनबद्ध रहा है।I am talking about successive Governments, whether it was the Congress Government or whether it was BJP Government. इस मामले को जिस तरीके से पेश किया गया है, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह प्रयास सदन के माननीय सदस्यों ने किया है लेकिन इसमें कहीं-न-कहीं ऑवर टोन लाने की कोशिश की जा रही है। As a Member of this Hon'ble House I would request the Hon'ble Members that we have to tread a very cautious path. Because a small thing like this can ignite the sparks which will not controlled by anybody in this House. इसलिए हम सबकी भावनाओं की कद्र करते हैं। मैं सदन को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून लाया था। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारा दायित्व बनता है कि हम न्यायपूर्वक within the ambit of law,

within the ambit of Constitution and in this particular context the ambit of the MC Act, सरकार का दायित्व बनता है कि हम इस पर न्यायपूर्वक कार्रवाई करें। Being a responsible Minister of the Council of Ministers, इसमें जो सरकार का पक्ष है उसको मैं इस सदन के अंदर पढ़ना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, संजौली क्षेत्र में राजस्व अभिलेख अनुसार एक मस्जिद बहुत पुराने समय से स्थित थी। हाल ही में मस्जिद निर्माण को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके बारे में अवगत करवाया जाता है कि यह मामला नगर निगम शिमला के संज्ञान में वर्ष 2010 में आया था कि पुरानी मस्जिद को तोड़ कर ग्राउंड फ्लोर का पुनः निर्माण बिना किसी पूर्व स्वीकृति प्रदान किया गया था। जिसमें नगर निगम शिमला द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 253 व 242 के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए अवैध निर्माण बारे मामला आयुक्त, नगर निगम शिमला के न्यायालय में सुनवाई हेतू लगाया गया था और वर्तमान में विचाराधीन है। अवैध निर्माण का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

Column to column = 110.11 sqm, Chajja front Total area = 7.26 sqm =117.37 Sqm है।

04.09.2024/1440/RKS/एचके-2

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी द्वारा वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 16.10.2012 को जारी अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जोकि प्रधान, संजौली मस्जिद कमेटी के पक्ष में निम्न आशय के साथ जारी किया गया था। "This office has agreed to grant you NOC for reconstruction of this mosque on the Waqf Board land situated at Sanjauli Shimla." "The superstructure to be constructed as per plan to be approved by the local authorities."

इसके अतिरिक्त दिनांक 26.06.2013 को मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने मस्जिद का Existing/proposed plan कुछ दस्तावेजों के साथ दर्ज किया। तत्पश्चात् दिनांक 21.12.2013 को सुनवाई के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा दर्ज किये गए नक्शे में त्रुटियां पाई गई व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को fresh drawing दर्ज करने हेतू निर्देश दिये गये। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त सुनवाईयों के दौरान बिना नगर निगम की

अनुमति के चार अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण वर्ष 2018 से पहले कर दिया था जिस हेतू नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 254(6) के तहत सम्पूर्ण उल्लंघन को वर्णित करते हुए दिनांक 06.03.2019 को पुनः संशोधित नोटिस जारी किया गया तथा मामला आयुक्त, नगर निगम शिमला के न्यायालय में सुनवाई हेतू लगाया गया।

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1445/बी.एस./एच के-1

लोक निर्माण मंत्री जारी...

जिसका विवरण निम्नलिखत हैः-

"In continuation to earlier notice issued vide order No. MCS/AP/Sanjauli/ Comm/09 revised notice is issued for raising further construction i.e. First, second & Third Floor + roof the details of measured area is as under :- Total Area i.e. Ground, First, Second & Third Floor =590.82 Sqm." जिस बारे में हमारे माननीय सहयोगी और मंत्री जी ने विवरण दिया कि दिनांक 15.07.2023 न्यायालय की सुवाई के दौरान ये पाया गया है कि प्रतिवादी जिसके विरुद्ध अवैध निर्माण हेतु मामला चलाया गया था वह न तो वक्फ बोर्ड का अधिकारी है और न ही मस्जिद कमेटी का पदाधिकारी है। इसलिए वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी बनाते हुए सुनवाई हेतु समन जारी किया गया है। दिनांक 04.11. 2023 को प्रतिवादी वक्फ बोर्ड ने इस पर उत्तर दिया कि उक्त मस्जिद बोर्ड के संचालन एवं नियंत्रण में है। अतः मामले बारे वक्फ बोर्ड को भी न्यायायिक कार्रवाई में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया जाए। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2018 के पश्चात प्रतिवादी ने जून, 2024 में यथा स्थिति का उल्लघंन करते हुए मस्जिद के साथ अतिरिक्त शौचालय का निर्माण किया था। जिसको नगर निगम द्वारा जून, 2024 में गिरवा दिया गया है। वर्तमान में यह मामला आयुक्त, नगर निगम शिमला के न्यायालय में लंबित है और दिनांक 07.09. 2024 को यानी आज से तीन दिन बाद सुनवाई हेतु लगा है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन और निर्णय होने के उपरांत यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो नियमों के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं इसके अलावा भी

बहुत कुछ बोलना चाहता हूं परंतु संविधान की बाधाओं में रह कर जिम्मेवार तरीके से इस चीज पर within the ambit of law and within the ambit of Constitution and particularly जैसा मैंने कहा that within the ambit of the MC Act which is in place in this particular instance. इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। जहां तक इसका दूसरा पहलू है that aspect is concerning the Home Department and the Police Department उस पर भी एक्शन लिया गया है and I am sure the Hon'ble Chief

04.09.2024/1445/बी.एस./एच के-2

Minister will intervene या Home Department की तरफ से उस पर कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा करवाई जा रही है। जिसमें मल्याणा में जो कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है according to process of law. जो पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती थी वह की गई है और उसमें अरेस्ट भी किया गया है और दो उस में से नाबालिग हैं पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ढली थाना में अभियुक्तों को उनके सुपुर्द कर दिया गया है। I want to assure the Hon'ble House whether it is from the civil side or whether it is from the Police side, दोनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मेरा अंत में अध्यक्ष महोदय, सदन से यह निवेदन रहेगा, और फिर से निवेदन कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के निर्माता, डॉ0 वाई. एस. परमार जी ने जिन मूल्यों के साथ हिमाचल प्रदेश को बनाने में योगदान दिया है, successive Chief Ministers and successive Governments ने उसे आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है। We are a very strong part of the Union of India. हमारी एक अलग पहचान एक देव भूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश की पूरे देश के अंदर जानी जाती है और उसकी मर्यादाओं को बनाए रखना, मैं समझता हूं कि हमारा दायित्व बनता है और इस तरीके के कोई भी घटना है, उन्हें ज्यादा तुल देना या राजनीतिक लाभ से उनको आगे ले करके जाना मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के हित में नहीं है। मेरा यह विनम्र निवेदन रहेगा कि कानून को अपनी कार्रवाई

करने दें और उसमें सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए वह निश्चित तौर से होगी यह अध्यक्ष महोदय, आपको और सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को पूरा आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

4.09.2024/1450/डी0टी/वाई0के0-1

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत उत्तर दे दिया है। The issue has raised by Shri Balbir Singh Vermaji and Shri Harish Janarthaji. So only two clarification, I will allow. Shri Balbir Singh Vermaji you want to say something.

श्री बलबीर वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जमीन वक्फ बोर्ड की है लेकिन वो जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। मैं इस बात को थोड़ा और क्लीयर करना चाहता हूं। बहुत साल पहले एक टेलर यहां पर आया था जिसने एक ढारा वहां बनाया। मैंने संजौली क्षेत्र में बहुत सारे भवन बनाएं हैं और वहां पर काम भी किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संजौली की एक-एक इंच-इंच की जानकारी मुझे भी है। जिस टेलर की बात मैं कर रहा हूं उसका नाम शायद वसीम था वही अपने साथ कभी एक कभी दो आदमी लाता रहा और धिरे-धिरे उसके ढारे ने वहां पर भवन का रूप ले लिया। पहले वह मकान था मस्जिद नहीं थी। ये जो भवन आज वहां खड़ा है वह पहले ढारा था और ढारे से कंवर्ट होकर आज वह भवन बन गया है। ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है ये जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। वो टेलर एक एन्क्रोचर था। दूसरे प्रदेश का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आता है और एन्क्रोचमेंट की जमीन पर पांच मंजिला भवन बना लेता है और अगर उसपर सरकार तुरन्त कार्रवाई नहीं करेगी तो गलत होगा। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है जब तक इस ममाले में कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता तब तक इस भवन को सीज़ कर दिया जाये और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि न हो।

4.09.2024/1450/डी0टी/वाई0के0-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी।

श्री हरीश जनारथाः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा की माननीय सदस्य श्री बलबीर वर्मा जी ने वहां पर एन्क्रोचमेंट की बात कही। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि may be he is right, लेकिन मैं अपना व्यू-प्वाइंट रख रहा हूं। उस क्षेत्र में दो मस्जिदें हैं और ये दोनों मस्जिदें लद्दाखी मस्जिदें थीं। एक मस्जिद को छोटा मस्जिद कहते थे और एक को बड़ा मस्जिद। ये हमारे समय से भी बहुत पहले की बात है। जो छोटा मस्जिद था वह लद्दाखी मस्जिद थी और जो बड़ा मस्जिद था जब हमारा तिब्बतन हाइवे बोर्डर रोड जब बन रहा था उस दौरान ये मस्जिद यहां पर बनी थी। दो मस्जिदें अभी भी वहां एक्सिसट करती हैं। इस मस्जिद को लद्दाखी लोगों से छीनकर दूसरे set of Muslims के पास आ गई और उन्होंने ये काम वहां पर शुरू किया है। कहने का मतलब ये है कि वो जमीन किसी के नाम पर है, साफतौर से तो मुझे भी नहीं पता but existence of the Masjid was there. किसके नाम पर जमीन है उसका मुझे ज्ञान नहीं है और वो चीज तो सरकार देखेगी।

Hon'ble Speaker, Sir, the second issue is that, I would like to thank Hon'ble Minister Shri Vikramaditya Singhji and Hon'ble Minister Rural Development and Panchayati Raj Shri Anirudh Singhji and specially the PWD Minister क्योंकि आपने डिटेल में बात इस सदन में बता दी है। श्री अनिरूद्ध सिंह जी आपका भी धन्यवाद जब आप बोल रहे थे तो विपक्ष की ओर से ज्यादा तालियां बजाई जा रही थी। Because he is addressing the Hon'ble Chief Minister और मैं भी इन्हीं को एड्रेस कर रहा हूं। सिर्फ इतना कहने की जरूरत है कि हम भी वहां से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप चाहे पार्षद का धन्यवाद करो या किसी और का धन्यवाद करो that is your prerogative and my area is my prerogative. कम-से-कम मुझे तो पूछ लेते कि धरना दे रहें या कुछ और कर रहे हैं, झगड़ा कहीं और हुआ। ज्यादा भावनात्मक होकर भी इस चीज मे घुसने की जरूरत नहीं है। ये चीज हम कभी होने नहीं देंगे। नियमों के विपरीत वो भवन बना है तो उसे कल ही तोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। आखिरकार हमारी भी रिस्पेक्ट है और अगर मैं किसी और के

निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा करूं तो उसको कैसा महसूस होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक दूसरे के निर्वाचन क्षेत्र में इंटरफेयर करना बंद किया जाये। रिटेलिएशन में तो काफी कुछ हो जाता है, मुद्दा पीछे रह जाता है और हम आपस में बहस करते रहते हैं।

4.09.2024/1450/डी0टी/वाई0के0-3

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका व्य-प्वाइंट आ गया। Hon'ble Public Works Minister you want to clarify.

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून के हिसाब से जो इसमें डेट लगी है we will try and expedite the matter because this matter has been going on for a very long period of time. We will request the Hon'ble Commissioner of MC Shimla to expedite the matter. जैसे इस में निर्णय आता है उसके बाद जो संशय हैं वह सारे दूर कर दिए जायेंगे।

अध्यक्ष श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

04-09-2024/1455/वाई.के.-एन.जी/1

लोक निर्माण मंत्री के पश्चात.....जारी

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

04-09-2024/1455/वाई.के.-एन.जी/2

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) पुरःस्थापित हुआ।

04-09-2024/1455/वाई.के.-एन.जी/3

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

विचार-विमर्श :-

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2 024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं तथा माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर देंगे। जो भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें वे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी द्वारा इस पर एक संशोधन भी प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी से आग्रह है कि इस पर अपने विचार प्रकट करें।

04-09-2024/1455/वाई.के.-एन.जी/4

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) लाया गया है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उपधारा (2) में दूसरे पैरे पर लिखा गया है कि "परंतु यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसके द्वारा पहले से ली गई पेंशन की रकम ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जैसी विहित की जाए।" इसको विलोप करने के लिए मैंने संशोधन दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी में इन सारी बातों को लेकर यह संशोधन लेकर आए हैं। मुख्य मंत्री जी, आप कुछ चीजों को तय कर लेते हैं फिर उसको लेकर माननीय सदन में चर्चा भी होती है लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि चाहे यहां (विपक्ष) के सदस्य हों, चाहे वहां (सत्तापक्ष) के सदस्य हों, पिछले कल भी टी.सी.पी. एक्ट पर आपकी ओर के माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव देते हुए कहा कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी को जाए, लेकिन कल आपने उसे भी पास करवा दिया।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

04.09.2024/1500/केएस/एजी/1

श्री राकेश जम्वाल जारी---

इसको ले कर भी मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी संशोधन आता है, वह पूर्व प्रभावी न हो। इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पुनर्विचार करें। सिलेक्ट कमेटी को भेजें और बड़े आराम से, हर विषय पर, हर पहलू पर विचार करने के बाद निर्णय लें, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। कोई भी अमेंडमेंट आती है तो जैसे इसमें लिखा गया है लेकिन थोड़ा भाषा का जो प्रयोग किया गया है, मैं भी चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट हो, इसमें लिखा गया है- परंतु यदि कोई व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन पैंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसके द्वारा पहले से ली गई पैंशन की रकम ऐसी रीति से वसूल की जाएगी जैसे विहित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है कि आप भी इसमें थोड़ा स्पष्ट कर देंगे। कोई भी अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती प्रोस्पेक्टिव हो सकती है। पूर्व से लागू नहीं होता, भविष्य के लिए यह हो सकता है लेकिन मैं तो इस बिल के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सिलैक्ट कमेटी बनाकर उसको यह बिल भेजें उसके बाद ही इस पर फैसला हो। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

04.09.2024/1500/केएस/एजी/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट माननीय मुख्य मंत्री जी लाए हैं, मैं मानता हूं कि यह संशोधन बदले की भावना से लाया गया है। हम सब जानते हैं कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में जो इस प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम घटा उसके तहत राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार प्रदेश से बाहर का है और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। राज्यसभा में वोट देना कोई दल-बदल नहीं है। वोट दिखाना आवश्यक है, इन्होंने दिखाया परंतु इन्होंने दल-बदल नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने विवेक से कार्रवाई की, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता परंतु इन्होंने जो पार्टी बदली, जिसमें दल-बदल कानून की बात आ रही है, जो संविधान का 10वां शैड्यूल है, वह दल-बदल तो बाद में हुआ। आपने तो उनकी सदस्यता पहले ही रद्द कर दी। सदस्यता रद्द होने के काफी दिनों बाद वे

लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। अगर सदस्यता रद्द होने से पहले जाते, फिर सदस्यता रद्द होती और वह दल-बदल कानून के अंतर्गत आती। इसलिए यह जो अमेंडमैंट लाई जा रही है, इसका कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है। जिस उद्देश्य से ये इसको ला रहे हैं, वह उद्देश्य इनका पूरा नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी, इस तरह बदले की भावना से कानून नहीं बदले जाते। आप अपना आत्मचिंतन करें कि आपसे विधायक क्यों नाराज हुए। आपकी कार्य पद्धति में कोई कमी थी, आपके निर्णय लेने में कोई कमी थी, आप उसका आत्म चिंतन करें। आप भगवान का शुक्र अदा करें कि आप 40 के 40 सदस्य फिर से हो गए परंतु उसके बाद अभी भी आप उसी भावना से काम करेंगे तो यह न तो प्रदेश हित में होगा, न सरकार के हित में होगा और न ही आपकी पार्टी के हित में होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार को यह संशोधन वापिस लेना चाहिए और वापिस लेने में कोई अहम आड़े आता है तो सिलेक्ट कमेटी को भेजें परंतु मुझे लगता है कि सिलेक्ट कमेटी की भी आवश्यकता नहीं है। इस अमेंडमेंट को लाने की ही आवश्यकता नहीं थी। अपने पर्सनल स्कोर सैटल करने के लिए कानून नहीं बनते। बदले की भावना के लिए, स्कोर सैटल करने के लिए कानून नहीं बनते। कानून बड़े व्यापक उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए बनाए जाते हैं इसलिए जो संकीर्ण मानसिकता का परिचय इस अमेंडमेंट में दिख रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं और आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस अमेंडमैंट को तुरंत वापिस लिया जाए। धन्यवाद।

राजस्व मंत्री अ0व0 की बारी में...

04.09.2024/1505/av/एजी/1

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) पर जो चर्चा हो रही है इसके द्वारा आम जन-मानस के बीच में गलत बात गई है। इस बिल के अंतर्गत वर्तमान विधायकों के वेतन या पूर्व विधायकों की पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही है। इस बिल में दल-बदल रोकने की बात कही गई है और आया राम-गया राम की स्थिति से जो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, उसके लिए टैंथ शैड्यूल बना। उसमें यह डिसक्वालिफिकेशन दिया गया कि अगर कोई दल बलदता है तो वह डिसक्वालिफाई होगा। अगर 2/3 लोग मर्ज़ हो जाए तब उसको दल-बदल नहीं माना जाएगा। अगर बीच में कोई इस संख्या से कम दल बदलता है तो उसको दल बदलू माना जाएगा। दल बदलू लोग जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं,

उनको एक किस्म से सजा तो मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने की घिनौनी हरक़त की है। हमारे विपक्ष के साथियों में इस बारे में विरोधाभास है। यहां पर माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट आगे से करो, पीछे से नहीं करो। लेकिन पीछे वालों को क्यों माफ किया जाए, उन्होंने कोई महान काम किया है जो उनको माफ किया जाए। ...(व्यवधान) आप कह रहे हैं कि यह रैट्रोस्पैक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों रेट्रोस्पैक्टिव नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने टैंथ शैड्यूल का उल्लंघन किया है वे पेंशन के हक़दार नहीं हो सकते। उनको जनता ने एक पार्टी के सिम्बल पर चुनकर भेजा और वे दूसरे सिम्बल के साथ हाथ मिलाते हैं तथा दल बदलते हैं। यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? हमारे यहां पर कितने विकास कार्य रुके, अगर हर तरह से देखा जाए तो हमारे यहां पर कितना नुकसान हुआ। हमारे हिसाब से यह सही है। मैं इसमें सिर्फ इस बात के लिए सहमत हूं कि अगर इसको सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको भी मौका मिलना चाहिए और हम सिलैक्ट कमेटी में लड़े-झगड़ें और देखें कि इसमें क्या कमी है। उस समय ये लोग जरूर मानेंगे कि यह होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो और तरीकों से दल बदलने की परम्परा शुरू की है, वह भविष्य में इनके साथ भी होता रहेगा। हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में जिसका अपना एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है, यहां पर पहली बार बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र हुआ। यहां पर कुछ विधायकों से दल तो बदलवाया ही परंतु साथ में धन-बल का प्रयोग भी हुआ।

04.09.2024/1505/av/एजी/2

ठीक है, राज्य सभा में छूट है कि किसी को भी वोट दे परंतु वह पार्टी को इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि पार्टी ने यह देखना होता है कि किसी के साथ ग़द्दारी तो नहीं की है। ...(व्यवधान) ग़द्दार को ग़द्दार कैसे नहीं कहेंगे, जिसने पार्टीलाइन से ग़द्दारी की है वह ग़द्दार ही माना जाएगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) प्रस्तुत किया गया है।

यहां पर माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने भी संशोधन के सिलसिले में बात कही है। लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिसका राजनैतिक भावना के साथ काम करने का एक बहुत लम्बा संदेश जाता है। हम राजनैतिक क्षेत्र में हैं और जो हो गया, सो हो गया। हमें आगे बढ़ने की भी सोच रखनी चाहिए। इस बिल में संशोधन लाने के पीछे आपकी राजनैतिक प्रतिशोध की भावना झलक रही है। दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें दल-बदल का विषय कहां से आया? वे सदस्य जिनके लिए आप यह सारा इंतज़ाम कर रहे हैं, उन्होंने राज्य सभा के लिए वोट दिया है। परंतु राज्य सभा के चुनाव में भाजपा को वोट दिया और कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, इस आधार पर सदस्यता कहीं नहीं जाती।

टी सी द्वारा जारी

04.09.2024/1510/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री जय राम ठाकुर..... जारी

यह नियम में बड़ा साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनकी सदस्यता इसलिए गई कि फाइनेंशियल बिल पर व्हिप जारी हुआ था और ये सदन में उपस्थित नहीं थे। आपने उस व्हिप के आधार पर इन पर कार्रवाई की और इनकी सदस्यता समाप्त की गई। इनकी सदस्यता दल-बदल कानून के आधार पर समाप्त नहीं हुई है। जब आपने उन पर कार्रवाई कर दी और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई तो वे विधान सभा के सदस्य तो रहे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो वे कई सप्ताह के बाद बनें यानी जब उन्होंने दल बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो उस वक्त तो वे इस सदन के सदस्य ही नहीं थे। इसलिए जिस 10वें शेड्यूल का यहां पर जिक्र किया गया है ये उसकी परिधि में तो आ ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी बहुत जल्दबाजी में हैं। कई बार रहम करना भगवान को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वे भी हम और आप पर रहम करते हैं। हर आदमी कहीं-न-कहीं गलती करता है, हररोज गलती करता है, आदमी

गलती का पुतला है और हम पर रहम करने वाले ऊपर हैं। अगर आज आप यहां पर हैं तो आप भी रहम किया करो। मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी।
अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदन के सदस्य उसको कितनी गम्भीरता से लेंगे। हम लोगों की पेंशन और भत्तों के पक्ष में हम 68 के सिवाय कोई और नहीं है। कहीं कोई किसी का समर्थन करता होगा तो पता नहीं लेकिन मुझे लगता है कि कोई नहीं करता है। एक बार इसको छेड़ेंगे तो यह बात बहुत दूर तक जाएगी। आपने देखा होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? आपने आज सिर्फ बिल लाया है लेकिन उसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि हम सबकी पेंशन बंद कर दी जाए। इस बात को बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है लेकिन मैं बोल रहा हूं और मुझे इसका भुगतान भी करना पड़ेगा, यह भी मुझे मालूम है। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। अगर एक बार यह मामला उलझ गया तो अभी तक भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसी जगह उलझ जाएं और उनको मौका मिले। आखिरकार यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोई कारोबार है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें अधिकांश सदस्य वे हैं जो सैलरी,

भत्ते या पेंशन पर ही अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा। इस बात को कोई नहीं बोलेगा। हम पहले भी भुगतें हैं और आज भी इस बात को बोल रहा हूं लेकिन यह हकीकत है। ...(व्यवधान)... आप तो इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां रुक जाना चाहिए लेकिन इससे आपकी मंशा जाहिर हो गई है। परंतु यदि यह मामला कोर्ट-कचहरी में चला गया तो वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें किस बात का भत्ता, किस बात की पेंशन इन सारी चीजों को लेकर कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जिसके कारण उन लोगों के लिए भी संकट हो जाए जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका इस बिल में आपने जिक्र किया है। इसलिए कुछ मामलों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हम राजनैतिक दृष्टि से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और

लड़ना भी चाहिए। उसमें जो होना था वह हो गया और राजनैतिक लड़ाई पूरी हो गई। मेरा मानना है कि इस बिल को तुरंत वापिस लेना चाहिए और सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा जाना चाहिए।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

04.09.2024/1515/एन.एस.-ए.एस./1

अध्यक्ष : आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी। इतना ही पर्याप्त है और इस पर जिद्द करने का सवाल नहीं होना चाहिए। यह अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष : आपने नेता प्रतिपक्ष के बाद बोलना है। श्री विपिन सिंह परमार जी आप बोलिए।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने टिप्पणी की कि नेता प्रतिपक्ष जी ने सारा विषय रख दिया। मुझे भी यहां से ऐसा आभास हो रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो मूल भावना है कि जो अमेंडमेंट लाया गया है, यह बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। इसकी भावना के पीछे मुझे लगता है कि यह अमेंडमेंट पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैं तथ्यात्मक बातें कहना चाहता हूं। जब चुनाव हो रहे थे तो सत्ता पक्ष की ओर से बड़ी टिप्पणियां हो रही थीं कि दलबदल हो गया। दलबदल कहां हुआ? अध्यक्ष महोदय, आपने नियमों के अनुसार जो भी जैसे निर्णय किया होगा लेकिन वह तो व्हिप का उल्लंघन हुआ था। उस विषय में हम नहीं बोलना चाहते। यहां पर कहा जा रहा है कि नोट के बदले वोट लिया। उसको प्रमाणित करने के लिए आप पिछले 4-5 महीनों से काफी कोशिश कर रहे हैं परंतु वह कड़ियां कहीं पर जुड़ नहीं रही हैं। अब जबरदस्ती ही पुलिस के दबाव में इन सारी बातों को सत्यापित करने का प्रयास हो तो समाज की नजरों में छवि ठीक नहीं है। इस माननीय सदन में हम 68 विधायक जीत कर आते हैं और ये 6 लोग जनता के दरबार में गए जिनमें से कुछ जीत कर आ गए तथा कुछ रह गए। परंतु यह जरूरी नहीं है कि वर्ष 2027 में क्या होगा? हम सभी का यह फैसला जनता करती है और जनता जो फैसला करती है उसे स्वीकार करना पड़ता है। अब अगर इस भावना से कि ऐसे व्यक्ति जो डिसक्वालिफाई हो गए जैसा नेगी जी कह रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने तो हिम्मत

दिखाई और इन्होंने आपको ही वोट दिखाया क्योंकि आप वहां पर बैठे हुए थे। अगर डरपोक होते तो ये सुबह-सुबह ही वोट डालकर आ जाते या 5.00 बजे ही वोट डालने जाते। आपके चेहरे पर उस समय पसीना था और मैंने देखा था। आप दौड़े-दौड़े मुख्य मंत्री जी के पास आए थे। आप सुन लीजिए। मैं कोई राजनैतिक स्कोर सैटल करने की बात नहीं कर रहा हूं। शायद इनके मन में कुछ प्रश्न होंगे और वे प्रश्न सत्ता पक्ष से नहीं सुलझे होंगे। वह सत्ता पक्ष की कमी होगी और मैं इस दल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो अनगिनत प्रश्न होंगे, उसका परिणाम यह था कि इन्होंने मन और आत्मा की आवाज से फैसला किया कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ नहीं चलेंगे और हम

04.09.2024/1515/एन.एस.-ए.एस./2

श्री हर्ष महाजन जी के साथ चलेंगे। आप यह कहां पर प्रमाणित कर रहे हैं कि नोट के बदले वोट दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपने जो फैसला किया उसके उपरांत ये जनता की अदालत में गए और जनता ने जो फैसला किया, इन्होंने उसको स्वीकार किया। अब एक दुर्भावना से, जल्दबाजी से मन में जो बोझ है कई बार होता है कि राजनैतिक रंजिशें हर पार्टी में होती होंगी तो उनको भुला देनी चाहिए। ये कुर्सियां किसी की कभी स्थायी नहीं रही हैं। कल्याण करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूर्व की पीढ़ियां, मुख्य मंत्री और जो सरकारें रही हैं, लोग उनको याद रखेंगे। यह मैं यहां पर कहना चाहता हूं। इसलिए जो संविधान की सेक्शन-10 का उल्लेख यहां पर हो रहा है शैड्यूल में उसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। मेरे और आपके लिए जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

04.09.2024/1520/RKS/DC-1

श्री विपिन सिंह परमार...जारी

और उस अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है। यहां पर एक फ्लैग की बात की गई। इस सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से भी कई बार इस प्रकार की राजनीति की जाती है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिल पर ही अपनी बात रखें।

श्री विपिन सिंह परमार : सर, यह बात बिल स्पेसिफिक ही है। मैं इस आसन की बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि जब श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय जो बड़े अधिकारी यहां कुर्सियों में बैठे हैं हमने इनके साथ इस संस्थान को मजबूत करने के लिए एक नहीं बल्कि 15 बार बैठकें की हैं। मुख्य मंत्री जी आप सबसे पहले इस बात को रखने के लिए आते थे। यहां पर मुख्य सचिव, सचिव रेवेन्यू, सचिव जी.ए.डी. और जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हैं ये सब जानते हैं कि अंत में हम उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। जो माननीय राजस्व मंत्री वेतन और भत्तों का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में अखबारों में कुछ और ही छप रहा है। यानी हम व्यवस्था की बात करें तो सोशल मीडिया में ऐसे-ऐसे कमेंट आते हैं जिन्हें पढ़कर मन बहुत व्यथित होता है। हम इस विधान सभा के 68 लोग प्रदेश की उन्नति व खुशहाली के लिए चिंतन व योजनाएं बनाते हैं।

हम उस व्यवस्था में फ्लैग को लेकर भी आए थे लेकिन कुछ साथियों ने हमारा सहयोग किया और कुछ ने कहा कि यह फ्लैग क्यों होना चाहिए। हम जिस पार्टी के हैं वह फ्लैग हमारी पहचान है और आप जिस पार्टी के हैं उस फ्लैग की पहचान आपके साथ है। हमें बताइए कि इस व्यवस्था में किसके पास झंडी नहीं है? लेकिन जब हम ऐसा विषय लेकर आते हैं तो उसे पंचर करने की योजना यहीं से बनाई जाती है। मुख्य मंत्री जी बड़े व्यक्ति को बड़े मन से काम करना चाहिए। आप हैड ऑफ दि स्टेट हैं, आप इस सदन के नेता हैं। आप जो इस विषय को लेकर आए हैं कृपया इसे विद्ड्रा करें। इस विषय को सिलैक्ट कमेटी में ले जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा आग्रह है कि आप इस विषय को आज ही समाप्त करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम 5 साल तक लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन जब हम एक्स विधायक या मंत्री हो जाते हैं तो हमारी पहचान का संरक्षण यह आसन करता है। यह आसन हमारा पैटर्न होना चाहिए और आपको इस पर योजना बनानी चाहिए। हम अपने वेतन/भत्तों व बड़े पद की बात नहीं करते। इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम जनता द्वारा चुनकर यहां आए हैं। हम जिन परिस्थितियों में यहां पहुंचते हैं, हम चाहते

हैं कि एक्स होने के बाद यह आसन हम सभी विधायकों के संरक्षण के रूप में काम करें। यहां जो संशोधन लाया गया है कृपया आप इसे विद्ड्रा करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका आभार।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री आशीष शर्मा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री आशीष शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर चर्चा करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भगवान व हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे दूसरी बार विपरीत परिस्थितियो में यहां चुनकर भेजा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल द्वेष की भावना से संशोधन के लिए लाया गया है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने 6 लोगों को पार्टी बदलने वाले या दल-बदलू कहा है। मैं यहां पहली बार इंडिपेंडेट विधायक के रूप में चुनकर आया था। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता था। मैंने अपना वोट डाला और इंडिपेंडट होने के नाते में मैं किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाल सकता था।

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1525/बी.एस./.डी.सी-1

श्री आशीष शर्मा जारी...

लेकिन कुछ कमियां मुख्य मंत्री में रही और कुछ सरकार में रही जिसकी वजह से जो यह परिस्थिति आई और मैंने वोट वहां पर नहीं डाला। मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाला। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति प्रदेश में देखने को मिली वह सही नहीं है। यह ठीक है चुनाव हुए कुछ जीते कुछ हार गए, मैं तो पहली बार विधान सभा में चुन करके आया था और किस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया? पुलिस की एफ.आई.आर्ज. मेरे खिलाफ की गईं। किसने विधायकों की खरीद-फरोख्त की? मुख्य मंत्री जी के कहने पर हुई हैं या प्रशासन काम कर रहा है यह मुझे नहीं पता? चुनावों के समय मुझे प्रताड़ित किया गया। इन लोगों ने यहां पर मुझे तीन-तीन दिन तक थानों में बिठा करके रखा। अगर प्रशासन ने काम करना है तो प्रशासन अपना काम करे, मैंने तो

कहीं भी भाग नहीं जाना था। कृपया, मुझे बोलने दीजिए। आप भी अपना हाथ खड़ा कीजिए और अपनी बात कह लीजिए। लेकिन फिर भी अधिकारियों द्वारा मुझे यहां पर बुलाया गया और जब चुनाव चले हुए थे उस वक्त भी मुझे पूरा-पूरा दिन बिठा करके रखा गया। मैंने उस वक्त निवेदन भी किया था।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि यह केवल और केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से सब किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज जो सत्ता में है वे कल विपक्ष में भी आएंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है और यह सिलसिला चला रहेगा। लेकिन इस तरह की भावना रखना, जैसे परिवारों को प्रताड़ित करना और परिवारों के कारोबार को प्रताड़ित करना, मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना न तो मुख्य मंत्री जी को रखनी चाहिए और न ही सरकार को रखनी चाहिए। जो हो चुका है वह बात बीत चुकी है और वह बात सबके ध्यान में है। मैं उस वक्त निर्दलीय विधायक चुन करके आया था, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। अब मुझे पार्टी ने टिकट दिया है इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं और हमीरपुर की जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहां पर पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि इस बिल को वापिस लेना चाहिए और यह जो भावना है इसे भी मुख्य मंत्री जी को बड़ा दिल दिखा करके खत्म करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

04.09.2024/1525/बी.एस./.डी.सी-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे है।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है और जिस पर विचार-विमार्श हो रहा है, मैं पूर्व में जो हमारे विपक्ष के साथियों ने बोला उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। किसी ने भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि इस बिल को लाने की वजह क्या रही और इसका क्या उद्देश्य है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि इस तरह का बिल आज यहां पर लाना पड़ा। पूर्व में जिस तरह का घटना क्रम हुआ, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। आज आपके सामने नेता प्रतिपक्ष भी यह कह रहे थे कि आप संरक्षक हैं, इन्होंने सही कहा, आप संरक्षक नहीं होते

तो आज वर्तमान में जो स्वरूप सदन का है वह नहीं होता। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। उसको आपने अपने अधिकारों से रोका। हिमाचल प्रदेश देव भूमि है, विधान सभा की स्थापना प्रथम मुख्य मंत्री स्वर्गीय वाई.एस. परमार जी ने जिस तरह से इसकी शुरूआत की, पूर्व में हमारे साथी कह रहे थे। इसके बाद अन्य मुख्य मंत्री बने सरकारें बदलती रहीं लेकिन सबने अपने-अपने प्रयास किए। जिस तरह का घटना क्रम हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा किया गया यह पहली बार हुआ। इसे ये राज्य सभा चुनावों के साथ जोड़ रहे हैं। राज्य सभा चुनाव तो एक मात्र ट्रेलर था लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि डिसक्वालिफिकेशन जो हुई उसका एक कारण जब बजट पास हो रहा था।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

4.09.2024/1530/डी0टी/एच0के0-1

श्री संजय अवस्थी जारी...

और उसके लिए व्हीप जारी हुआ और व्हीप जारी होने के बाद दल के सभी सदस्यों का सदन में उपस्थित होना अनिवार्य था इसलिए इनको भी सदन में रहना चाहिए था लेकिन वह सदन में उपस्थित नहीं थे। ये भी एक बड़ा कारण उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का कारण रहा। लेकिन आज ऐसे कानून की जरूरत है इसी बात को समझते हुए आज माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा ये विधेयक इस सदन में लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं अपने विपक्ष के साथियों से ये भी कहना चाहता हूं कि स्वस्थ मानसिकता से आप सदन में आएं। सत्र को शुरू हुए इतने दिन हो गये और इन दिनों में लगी चर्चाओं में से कितनी चर्चाओं में इन्होंने भाग लिया? इन्हें इस बात का भी मंथन करना चाहिए आत्म चिंतन करना चाहिए। सदन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है। जब आज इतना महत्वपूर्ण विषय लगा है। लेकिन जो कारण विपक्ष के साथी दे रहे हैं वह ये है कि पूर्व में अयोग्य ठहराये गये सदस्य अगर कोर्ट में चले गये तो हमारे भत्ते बंद हो जाएंगे। मैं यहां पर इस बात को कहना चाहूंगा कि हम विधायक भत्ते लेने के लिए नहीं बनते। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कर रहा हूं। हम लोग यहां पर सेवा भाव से आये हैं जिन लोगों ने हमें चुनकर यहां पर भेजा है उनकी समस्या का निदान करने के लिए हम

सदन में आते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि कल को इसका कोई उलटा अर्थ न हो जाए कहीं कल को हम पर बात न आ जाए, इस तरह का चोर इनके मन में होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो नैतिकता को फॉलो करता है वह इस बिल का समर्थन करेगा। हमारे जो विधायक साथी यहां पर बैंठे हैं वह कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जिस तरह नैतिकता का पतन और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बजट सत्र के दौरान किया गया ऐसा भविष्य में न हो, इस बात को रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है।

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये व्यवस्था परिवर्तन है और ये व्यवस्था परिवर्तन का स्वरूप है जो आज मुख्य मंत्री जी अपने विजन को प्रदेश की जनता से शेयर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

4.09.2024/1530/डी0टी/एच0के0-2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष भी सदन में आ जाएं। (नेता प्रतिपक्ष सदन में आए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल के संशोधन के बारे में तो मैं बाद में चर्चा करूंगा क्योंकि बिल पर तो विपक्ष के किसी सदस्य ने बात कही नहीं, सभी ने राजनैतिक बातें की हैं। श्री राकेश जम्वाल जी की ओर से एक संसोधन भी आया है इन सभी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। क्योंकि जो राजनैतिक बातें यहां पर कहीं गईं हैं उनका उत्तर भी राजनैतिक तरीके से ही मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उसका कानूनी तरीके से तो उत्तर दिया नहीं जायेगा। मैं अगर सोच कर चलता हूं कि मैं मुख्य मंत्री हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि मैं आज के लिए मुख्य मंत्री हूं कल की सोच कर मैं नहीं चलता। जो आगे का यानी 2027 या 2032 के बारे में सोचते हैं वे लोग अवसरवादी हैं। हम जनता और समाज की सेवा के लिए सत्ता में आयें हैं। मैं एक बात और इस मान्य सदन में कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की। इसके लिए जुलाई में पहला अटेम्प्ट हुआ।

क्योंकि मैं अभी बिल पर कोई बात नहीं कर रहा जो राजनैतिक बातें यहां की गईं, उनका जवाब दे रहा हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को गिराने का जुलाई में पहला

अटेम्प्ट हुआ। एक सदस्य मेरे पास आये और मेरे पैर पकड़े और कहा कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हमने कहा कि चलिए रात गई बात गई। एक सदस्य जो अभी बाहर बैठे हैं वह भी मेरे पास आए। कई लोग जानते भी हैं उस समय भी हमनें बातचीत की और बातचीत करने के बाद हमनें कहा कि सब कुछ भूल कर हम आगे बढ़ेंगे। राज्य सभा का चुनाव आया रात को सभी कांग्रेस विधायक दल के लोग हमारे साथ खाना खा रहे थे, अगले दिन राज्य सभा के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के दिन, ठीक है, उन्होंने दिखा कर अपनी वोट डाली। हमारे जो एजेन्ट थे श्री जगत सिंह नेगी, उन्होंने कहा कि डिफेक्शन हुआ है, हमनें मान लिया। 34-34 वोट दोनों पक्षों के लिए पड़े और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी की पर्ची निकली और उनको हारा माना गया और किस्मत ने जिसका साथ देना उसका साथ दिया, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

04-09-2024/1535/एच.के.-एन.जी/1

मुख्य मंत्री.....जारी

बजट पास होना था। आम लोगों और जनता से जुड़ा हुआ बजट था। बजट पर चर्चा चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि बजट पास होने के समय 9 विधायक उठ कर चले गए और व्हिप जारी था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि व्हिप जारी है और ये 9 सदस्य कहीं चले गए हैं। उसके अगले दिन फिर बजट पास हुआ। उस समय जिस प्रकार का हल्ला हुआ, जिस प्रकार की गुंडागर्दी का खेल माननीय सदन में किया गया, पेपर्स फैंके गए, माननीय अध्यक्ष के आसन के पास आकर हल्ला किया गया और उन 9 विधायकों का मामला भी अध्यक्ष महोदय के पास लम्बित है। वह तो अगली बात होगी लेकिन हमने इसके बाद ...(व्यवधान) मैंने नहीं सोचा, हमने तो अध्यक्ष महोदय के पास अपील की है और यह स्पीकर साहब की कुर्सी है तथा श्री जगत सिंह नेगी जी की पटिशन भी पेंडिंग पड़ी है। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने वोट नहीं डाला और इन्हें

पकड़े भी कैसे क्योंकि ये हैलिकॉप्टर में अन्नाडेल से उड़ जाते और फिर बाद में अन्नाडेल में ही उतर जाते।

अध्यक्ष महोदय, सरकार और आपने एक ऐतिहासिक फैसला दल-बदल के विरूद्ध किया। जब आपने इन्हें डिसक्वालिफाई किया तो उससे पहले 29 तारीख को श्री जय राम ठाकुर जी सुबह 7 बजे माननीय राज्यपाल जी के पास चले गए। ...(व्यवधान) 7:30 बजे सुबह आपकी फोटो आई है। आप याद नहीं रखते। अध्यक्ष महोदय, आपने 29 तारीख को एक ऐतिहासिक फैसला किया और उसके बाद सब सदस्य माननीय सूप्रीम कोर्ट गए तथा वहां पर अपील करी। माननीय सूप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कौन ऐसे माननीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने ऐसा फैसला लिखा। आपकी (विपक्ष) तरफ से एक हरीश साल्वे जी वकील थे। माननीय सूप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई स्टे नहीं मिलेगा। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है। उनके शब्द दूसरे थे लेकिन कहने का भाव यही इंगित करता था। उस फैसले पर कोई स्टे नहीं हुआ और उनकी डिसक्वालिफिकेशन हो गई।

04-09-2024/1535/एच.के.-एन.जी/2

उसके बाद एक माह तक, ये जो आज बड़े ईमानदार व सदाचारी बने हुए हैं, एक माह तक कभी पंचकूला के होटल में, कभी हरिद्वार की गंगा में, कभी ऋषिकेष में और कभी गुड़गांव के सुख विलास होटल में उन 9 विधायकों को घूमाते रहे। बेचारे माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी और श्री बिक्रम सिंह जी चौकीदार बन कर उनके साथ जाते रहे। दोनों चौकीदार बने रहे।...(व्यवधान) मैं पिछले कल श्री राकेश जम्वाल जी से बात कर रहा था कि एक माह तक कहां-कहां रहे और कोई फोन कॉल भी नहीं किया। ये मुझे बोल रहे थे कि हम कहां-कहां घूमे, कौन-कौन से होटल थे, इस बारे में हमें पता ही नहीं था। यह कल की ही बात है क्योंकि इससे पहले तो कभी इनसे बात हुई ही नहीं। ये कुल 9 आदमी थे और उनमें से एक के परिवार ने मुझसे सम्पर्क किया, तो अब मैं कहा ढूंढू। एक जगह (पंचकूला) में तो श्री विक्रमादित्य सिंह जी भी गए कि चलो भाई, आपको ले चलते हैं लेकिन फिर भी

नहीं आए। जब विक्रमादित्य जी वहां पहुंचे तो अगले दिन एक छोटा जाहज चण्डीगढ़ ऐयरपोर्ट पर 1:10 बजे लैंड करता है। देहरादून के ऐयरपोर्ट का मैं नाम भूल रहा हूं। फिर उसके बाद गंगा जी में एक महाराज नहा रहे थे, वे कुटलैहड़ के विधायक थे और उनकी फोटो वायरल हो गई। एक तरफ जहां पर प्रदेश की सी.आई.डी. थी वहीं दूसरी ओर हमारे अपने संगठन की भी सी.आई.डी. थी। वे गंगा में नहा रहे थे और उनकी फोटो वायरल हो गई। फिर बेचारे ऋषिकेश चले गए। डिसक्वालिफिकेशन के बाद एक माह तक इसलिए भागते रहे कि शायद माननीय सूप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाएगी। फिर इनके जो सांसद सदस्य चुन कर गए हैं, जो आज कल मास्टर माइंड है और जिसके दबाव में आज पूरी बीजेपी काम कर रही है, आप पर अभी उसका और असर होने वाला है, इंतज़ार करिए क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, उसका असर इन पर पक्का होगा, वे इनको दीपकमल में ले गए और पटके पहनाया। तीन विधायकों का भी फैसला आपने करना था और उस पर भी हमने अपील की हुई थी।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

04.09.2024/1540/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी---

तीन विधायकों ने इस्तीफा कब दिया? दीप कमल में अलग से तीनों ने बी.जे.पी. ज्वाइन की, फिर हैलीकॉप्टर आया और त्रिलोक जम्वाल जी उससे उतरे। हमारे लोग अनाडेल से लाइव दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, त्रिलोक जम्वाल जी उतरे, आपके सचिव महोदय के पास काफी भीड़ ले कर आए और कहने लगे कि हम तीनों आजाद विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं, जो अभी बात कर रहे थे कि मैं तो आजाद था। इन्होंने दीप कमल में जा कर पटका पहना। हमने आपके पास अपील की कि इनको भी डिसक्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया, बाद में दिया और पार्टी इन्होंने बाद में ज्वाइन की, उसकी अपील भी अध्यक्ष जी, आपके पास है। आपके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

आता है कि कोई स्टे नहीं मिलेगा। इनके पास चारा ही क्या बचा था? ये जो 9 विधायक यहां से गए हैं, मैं दो-तीन आजाद विधायकों के बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन बाकियों को तो मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। कुछ दिनों में इनकी वजह से आप पर ही तनाव आने वाला है, फिर मैं आपसे मिलूंगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से सचेत कर रहा हूं। मैं उन गुणवानों को अच्छी तरह से जानता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज एक्ट में डिसक्वालिफिकेशन का मामला क्यों आ रहा है? पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार की घटना पहली बार घटी है। इन्होंने राज्यसभा में वोट डाल दिया। इनको हमसे नाराज़गी थी तो हमारे पास आते, पार्टी से तो कोई नाराज़गी नहीं थी। आते, हमारे बजट का समर्थन करते तो अध्यक्ष जी, आपने इनको कभी डिसक्वालीफाई नहीं करना था। मैं आपके स्वभाव को जानता हूं आप बहुत ही लॉयर हैं, हर चीज़ को जानते हैं। आपने ऐसा कभी नहीं करना था। आप भी बच जाते और 9 के 9 विधायक यहां आ जाते और आज हमें तंग कर रहे होते। अब आपको तंग कर रहे हैं। आपने इसी सदन में कहा कि अरे भाई इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। ये भला-चंगा सत्ता में थे जो कि इन्होंने गवां दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है, यह बात सही है। न हरदीप सिंह बावा को मौका मिलता, न विवेक को मिलता और

04.09.2024/1540/केएस/वाईके/2

कालिया जी तो पहले भी विधायक रहे हैं परंतु पहली बार बनने वालों को मौका नहीं मिलता। ...(व्यवधान) कमलेश ठाकुर का नाम आपने ही ले लिया। नाम भी तो आपसे बुलवाना है। मुझे पता है कि आपका रिएक्शन होगा तो मैं वही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज केंद्र में इनकी सरकार मज़बूत है। कल कोई दूसरी या तीसरी पार्टी मज़बूत होगी। सत्ता कभी किसी के साथ नहीं रही है, कुर्सी कभी किसी के साथ नहीं जाती। लेकिन सिद्धांत हमेशा जिंदा रहते हैं, नियम हमेशा जिंदा रहते हैं। यह दल-बदल नहीं है। 10वें शैड्यूल में दल-बदल कानून की बात तो राजस्व मंत्री जी ने की क्योंकि इन्होंने पढ़ा है

लेकिन यह तो पार्टी के साथ धोखा था। पार्टी को धोखा देने की प्रक्रिया थी। जो आज पार्टी को धोखा दे सकते हैं, कल वे आपकी पार्टी को भी धोखा देने में देरी नहीं करेंगे, यह बात आप याद रखना। मैं यह भी कह सकता हूं कि हम किसी द्वेष भावना से इस एक्ट को ले कर नहीं आए हैं। यह उन लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत करने के लिए लाया गया है जो हिमाचल की राजनीति स्वच्छ बहस करने के लिए जानी जाती है। इस बार आप 10 दिन का ऐतिहासिक मॉनसून सत्र लाए हैं। बहस होती है, चर्चा होती है, विचार-विमर्श होता है, नारे लगते हैं लेकिन निष्कर्ष के बाद कोई फैसला किया जाता है। उस परम्परा को जिंदा रखने के लिए भी इस सेक्शन की ज़रूरत है। बिल तो पहले से ही है। यह भी सच है कि कुर्सी किसी के साथ नहीं जाएगी लेकिन कुर्सी में रहने वाले जो सिद्धांत बनाकर जाएंगे, उनको जनता हमेशा याद रखती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने जो बात कही है, अब मैं इस बिल पर चर्चा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जो भी डिसक्वालिफिकेशन है, यह एक लैंडमार्क बिल है। आज सुबह से दिल्ली के कई टी.वी. चैनलों पर इस बारे में न्यूज़ चल रही है। मुझे तो पता नहीं है लेकिन नेशनल टी.वी. वाले दो-तीन लोग विधान सभा में बैठे हुए हैं और वे इसी बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फाइनेंशियल अमरजेंसी की न्यूज़ जो एक-दो टी.वी. चैनलों ने चलाई थी, वह चर्चा तो बंद हो गई अब तो इस पर चर्चा हो रही है। आज सुबह ही मुझे एक बहुत बड़े पत्रकार का फोन आया कि यह बिल क्या है। मैंने कहा कि जिस परम्परा को राजीव गांधी जी ने मज़बूत किया था,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.09.2024/1545/av/वाईके/1

मुख्य मंत्री---------- जारी

हम उसको और ज्यादा स्ट्रैंथन कर रहे हैं। आप जिस पार्टी से जीते हैं उसी पार्टी में रहिए, आपकी पेंशन कौन काटेगा? श्री जय राम ठाकुर जी, आप पेंशन काटने की बात कहां से ले आए, वह अलग सैक्शन है। हमने इस सैक्शन में एक प्रोविज़ो डाला है। जिसमें हमने प्रावधान किया है कि टैंथ शैड्यूल के हिसाब से जो डिसक्वालिफाई होगा, अध्यक्ष महोदय,

एंटी पार्टी एक्टिविटी प्रीच में उसकी प्रिविलेज एण्ड पेंशन बंद हो जाएगी ताकि भविष्य में पैंसों के बल पर इस प्रकार के राजनैतिक मूल्यों को कमजोर करने वाली हरक़तें रुके। हमने इस शैड्यूल में यह प्रोविज़न किया है। इसमें क्या कमी है, 6 विधायक हैं और उनमें से दो-तीन तो जीतकर आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि स्वच्छ और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। यह बिल कोई आपकी पेंशन से जुड़ा हुआ नहीं है और यह किसी की पेंशन पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप तो वकील है। संसद ने सभी विधान सभाओं को अधिकार दिया है और सांसदों को भी पार्लियामेंट एक्ट के तहत पेंशन मिलती है, उसका भी अधिकार दिया है। यहां पर कहा गया कि सोशल मीडिया में बात आएगी, मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया मत देखो। मुझे तो रोज़ गाली पड़ रही है कि आज पेंशन नहीं मिल रही है। अगर मैं भी सोशल मीडिया को देखकर कानून बनाता रहूंगा तो समाज क्या सोचेगा। सोशल मीडिया से थोड़ी रोजनीति चलती है, यहां तो फैसले करने पड़ते हैं। मैं आज इस फैसले के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा करने के लिए यह बिल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर जैसे माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने कहा कि आगे से लगना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। उन दो-चार लोगों को भी लगना चाहिए और वे कोर्ट में जाएं तथा बोलें कि हमें यहां से लगना चाहिए था। मैंने इस बिल की कॉपी के सैक्शन भेजने के बाद दिल्ली के बड़े वकीलों से भी बात की थी और सबने कहा कि भविष्य में जहां पर भी डिफैक्शन होगी तो अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका नाम आएगा तथा फिर इस बिल का नाम आएगा। यह बिल लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए हैं और भविष्य में अब कोई भी डिफैक्शन करने की हिम्मत नहीं करेगा। राजनीति में भी पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता होनी चाहिए। हमने नैतिकता को मजबूत करने के लिए यह बिल इस माननीय सदन में लाया है। मैं चाहूंगा कि इस बिल को वॉयस वोट से पास किया जाए।

04.09.2024/1545/av/वाईके/2

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2, विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित को किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) पारित हुआ।

टी सी द्वारा जारी

04.09.2024/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए। इस पर यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकते हैं तथा माननीय कृषि मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय सरकार जो हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) संशोधन लेकर आई है, इसमें सरकार का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्वायतत्ता खत्म करना है और माननीय राज्यपाल महोदय की शक्तियों को खत्म करना है। जो धारा-12 का संशोधन है इसमें जहां पहले कुलाधिपति राज्यपाल महोदय होते हैं वे इन विश्वविद्यालय में प्रबंधन बोर्ड का गठन स्वयं करते थे। इस संशोधन में इन्होंने यह जोड़ दिया कि कुलाधिपति सरकार के परामर्श पर विश्वविद्यालय के लिए प्रबंधन बोर्ड बनाएंगे। इस संशोधन के माध्यम से राज्यपाल महोदय की विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड गठन करने की शक्ति को समाप्त करने का काम किया गया।
दूसरा, जो धारा-24 का संशोधन है, उसमें जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्यों के पद और ओहदों का उल्लेख इस बिल में पहले से ही है। इन्होंने उसमें संशोधन किया है कि कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सहायता और सलाह पर की जाएगी जबकि पहले यह था कि कुलपति की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस तरह से राज्यपाल महोदय के पास जो पावर थी

उसको भी इस संशोधन के माध्यम से छीनने का काम किया है। धारा-55 लाकर तो इस सरकार ने सारी सीमाएं ही लांघ दीं और नया नियम बना दिया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा। विश्वविद्यालय के लिए नियम भी अब प्रदेश सरकार बनाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यह जो संशोधन है यह मात्र राज्यपाल महोदय की शक्तियों को छीनने का प्रयास है और विश्वविद्यालयों की स्वायतत्ता समाप्त करने की कोशिश की है। यूनिवर्सिटीज स्वायतत्ता प्रदत्त संस्थान है। सरकार का सीमित दखल इन विश्वविद्यालय के संचालन में रहता है और रहना भी चाहिए परंतु इस सरकार ने इस संशोधन को लाकर इन विश्वविद्यालयों की स्वायतत्ता को समाप्त करके इन विश्वविद्यालयों को भी एक विभाग बना दिया जाए। यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के खिलाफ है और राज्यपाल की शक्तियों के हनन का भी प्रयास है। जहां तक केन्द्र सरकार का आग्रह है क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार पैसा इन्वैस्ट करती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इनमें केन्द्र सरकार का भी बजट लगता है। आज प्रदेश में जो 13 कृषि विज्ञान केन्द्र चल रहे हैं वे केन्द्र की आर्थिक सहायता से चल रहे हैं और इन विश्वविद्यालय में जो अनेक प्रोजैक्ट चल रहे हैं वे भी केन्द्र सरकार की सहायता से चल रहे हैं। ये विश्वविद्यालय

एन0एस0 द्वारा जारी ....

राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये विश्वविद्यालय रन करते हैं और यह संशोधन राज्यपाल महोदय की शक्तियों को खत्म कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सभी संशोधन वापिस ले, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ताकि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनी रहे।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी अपनी बात रखेंगे।

04.09.2024/1555/एन.एस.-ए.जी./2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिल के माध्यम से जो संशोधन आया है और हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। इसमें अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो राज्यपाल महोदय सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और बोर्ड या अन्य सदस्यों का नॉमिनेशन माननीय कुलाधिपति के द्वारा किया जाता है। हमारा फेडरल सिस्टम है और हमारा संविधान में जितनी भी कार्रवाई होती है या राज्यपाल महोदय जो भी काम करते हैं वह कैबिनेट की सिफारिश के ऊपर करते हैं। इसी बात को ध्यान में रख कर इस संशोधन को लाया जा रहा है ताकि चुनी हुई सरकार का मैनडेट होना चाहिए। फेडरल सिस्टम में गवर्नर और प्रेजीडेंट को इंडिपेंडेटली कोई कार्य नहीं है। उनको कैबिनेट की सिफारिश पर सब काम करना है। वही मंशा इस बिल में है। ऐसा बिल्कुल होना भी चाहिए। (***) Cabinet is supreme. यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए यह कहना गलत है। जो कहीं पहले गलती हुई उसको सुधारना है। बहुत सारे प्रदेशों में कुलाधिपति की पॉवर्ज ले ली गई हैं। हां, किसी समय में रखी गई थीं। बहुत से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से बड़े हैं जहां अनेकों यूनिवर्सिटीज हैं और वहां पर ऐसा किया गया है। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में गवर्नर को ये पॉवर्ज नहीं होनी चाहिए। यह बिल जनमानस के फायदे में है और जनहित में है तथा मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04.09.2024/1555/एन.एस.-ए.जी./3

अध्यक्ष : अब श्री राकेश जम्वाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय रणधीर जी ने भी कहा कि अमेंडमेंट जो आई है इसमें राज्यपाल महोदय के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया गया है। मंत्री जी ने भी कुछ बातें यहां पर रखी हैं और मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इससे पहले जो प्रावधान था तो वहां पर वाइस चांसलर प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष होता था और वित्त सचिव सदस्य होता था। अभी जो अमेंडमेंट लाई गई है उसमें कहा गया है कि वित्त सचिव

जो हैं वे अध्यक्ष होंगे और वाइस चांसलर उपाध्यक्ष होंगे और चीफ सेक्रेटरी सदस्य होंगे। यह सरकार करना क्या चाहती है? बहुत अच्छा व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। मंत्री जी आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में वित्त सचिव अध्यक्ष होगा और चीफ सेक्रेटरी सचिव होगा। आप यह किस प्रकार की अमेंडमेंट ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सरकार को अधिकार है। इस प्रबंधन बोर्ड में विधायक भी यहां से गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। हॉर्टिकल्चर यूनिवसिर्टी में वित्त सचिव चेयरमैन होगा और विधायक उसमें सदस्य होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह अमेंडमेंट किस भावना से लाई गई है और इसके पीछे क्या हेतु है? राज्यपाल महोदय से सरकार का किस प्रकार का वार्तालाप है और किस प्रकार की बातचीत है तथा उसमें क्या कमी आई है तो मुझे लगता है कि उसमें सुधार करना चाहिए। हम हर बार जिद्द को लेकर इन सारे परिवर्तनों को करेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने इन 3-4 विषयों का जिक्र किया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप कृषि मंत्री को कृषि विश्वविद्यालय में चेयरमैन बना दो। हम कह रहे हैं कि बनाया जाए, अगर अमेंडमेंट लानी है। आप वहां पर चेयरमैन होंगे तो अच्छा लगेगा। मुख्य सचिव व वित्त सचिव यहां पर हैं और विधायक भी वहां पर जाएं। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर अगर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में चेयरमैन हों तो ठीक है। इस प्रकार की अमेंडमेंट लाते तो हमें लगता कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये जो अमेंडमेंट आई है इसमें हमने देखा कि

श्री rks----- जारी

04.09.2024/1600/RKS/एएस-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में फाइनेंस सेक्रेटरी चेयरमैन होगा और चीफ सेक्रेटरी वहां पर सचिव होगा जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस अमेंडमेंट को वापिस लिया जाए।

04.09.2024/1600/RKS/एएस-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी ने जो होर्टिकल्चर और कृषि विश्वविद्यालय में अमेंडमेंट लाई है उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। ठीक है उस तरफ से व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र बार-बार हो रहा है। जब भी आप कोई विधेयक लाते हैं या सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हैं तो इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शायद यह आपकी टैग लाइन होगी। लेकिन शिक्षा संस्थानों में राजनीतिकरण हो जाए और यह राजनीतिकरण अपने स्वार्थ व विचार के लिए किया जाए तो यह शिक्षा पर एक बहुत बड़ी चोट होगी जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री रणधीर शर्मा और श्री राकेश जम्वाल जी ने इस विषय को रखा है। यहां पर होर्टिकल्चर और कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं। आपने यह संशोधन लाया है लेकिन आपने इस ओर अपनी नजर नहीं दी है। मैंने इस अमेंडमेंट को पढ़ा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब बैठकों का संचालन कौन करेगा? वहां फाइनेंस सेक्रेटरी चेयरमैन होगा और एम.एल.ए. उसके साथ बैठेगा। श्री जगत सिंह नेगी जी ने राज्यपाल महोदय के बारे में एक शब्द का प्रयोग किया है। आपने महाराज या ऐसे किसी शब्द का प्रयोग किया है और मैं चाहता हूं कि यह शब्द कार्यवाही से एक्सपंज होना चाहिए। इस व्यवस्था में जो जिस पद पर बैठा है उसकी गरिमा संविधान या नियमों के तहत है। यानी जो अमेंडमेंट यहां पर लाई गई है इसे निरस्त किया जाए। यह अमेंडमेंट स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में 14 महीनों से स्थाई वी.सी. नहीं है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी कोई स्थाई वी.सी. नहीं है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। फिर आप किस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं झमेलों में उलझते रहेंगे तो यह ठीक नहीं है। अगर कोई वी.सी. भी बनता है तो वह नियमों के तहत ही बनेगा। उसके लिए यहां से कोई सूची नहीं जाएगी। उसके लिए कोई-न-कोई पैरामीटर्ज़ या योग्यता निर्धारित है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस सारी व्यवस्था को अपने अनुकूल न बनाते हुए पारदर्शी तरीके से काम

किया जाए नहीं तो हमारे विश्वविद्यालयों की सेंटिटी पर बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बातें इस सदन के नेता के ध्यान में लाना चाहता था। धन्यवाद।

04.09.2024/1600/RKS/एएस-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी होर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए बिल लेकर आए हैं। ये बिल इसलिए लेकर आए हैं कि इन दोनों विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पिछले लंबे समय से कौन से ग्रेड में पहुंचे हैं। चाहे वह होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1605/बी.एस./.ए.एस-1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

यह ठीक कहा अगर सरकार विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देती है तो सरकार के परामर्श से वह विश्वविद्यालय देश में चलते हैं। पश्चित बंगाल पहला एक ऐसा राज्य था जिसने सारी शक्तियां अर्जित की हैं। उन्होंने बिल पर संशोधन किया और पिछले 6-7 सालों से इसी तरह से कार्य कर रहा है। यही नहीं इस तरह के अन्य राज्य भी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में गुणात्मक शिक्षा हो जो खासकर नियुक्तियां हों वे मेरिट पर होनी चाहिए। उसको ले करके जीता जागता उदाहरण है कि without Executive Council, ये बिल आपका बहुत अच्छा बिल है, बिना फुल ई.सी. के ये रूल्ज में है और बिना किसी फुल ई.सी. के क्योंकि उसके बाद की जो इंटरव्यू होंगे वे लिफाफे खोले जाएंगे। माननीय न्यायालय ने सूओ-मोटो लिया और दो नियुक्तियां हमारे विश्वविद्यालय में केंसिल कर दी और दोबारा वे हाई कोर्ट में स्टे ले करके आए हैं। यह बिल अच्छी मंशा से आया है। यही तो कहा गया है कि सर्च कमेटी बनेगी और जो वांछित योग्यता फुलफिल

करगे, हां यह जरूर कहा गया है कि सरकार अगर वित्तीय सहायता देगी तो सरकार के परामर्श भी उसमें लिया जाएगा। यह जो बिल ले करके आए हैं यह क्रिस्टल क्लीयर है। मैं इस बिल का समर्थन भी करता हूं और इस बिल से खास कर जो हमारे तीनों विश्वविद्यालय कौन से ग्रेड पर पहुंचे, क्योंकि विश्वविद्यालयों के अन्दर शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए और ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो लम्बे समय से, मैं कहता हूं कि अब इस मामले को माननीय न्यायालय देख रहा है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह अच्छी शुरूआ है चाहे वह कृषि विश्वविद्यालय में हो या औद्यानिकी विश्वविद्यालय है, धन्यवाद।

04.09.2024/1605/बी.एस./.ए.एस-2

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय जय राम ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन का दौर प्रदेश को जिस तरफ ले जा रहा है यह चीजें अच्छी नहीं हैं। विश्वविद्यालय का स्वायतत्ता प्रदान संस्थान होता है और you cannot run the university like a department. This is what you want to do. यही करना चाहता हैं कि आप विभाग की तरह विश्वविद्यालय को चलाना चाह रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज आप सत्ता में है इस प्रकार से आप नियमों में संशोधन कर रहे हैं और उनमें परिवर्तन कर रहे हैं। यह आप अपनी अनुकूलता के लिए कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी और हमारा परिचय बहुत वर्षों से है। छात्र जीवन से आप विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं। इस कारण से विश्वविद्यालय की राजनीति इनके दिल-दिमाग से नहीं निकल पा रही है। आप विश्वविद्यालय को विभाग की तरह चलाना चाह रहे हैं। जब सारी चीजें आप सरकारी स्तर पर यहीं करने के लिए बैठेंगे, मुझे यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात लगी कि जब माननीय मंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी के बारे में शब्द कहे हैं। मैं चाहूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज किया जाए। वह एक सवैंधानिक पोस्ट पर हैं और यह बिल भी उन्हीं के पास जाना है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य है कि मंत्री जी मेरे पड़ोसी हैं लेकिन किसके बारे में क्या कह देते हैं? कल आदरणीय सांसद कंगना जी के बारे में क्या कहा गया? वह शब्द भी एक्सपंज होने चाहिए। एक महिला के

बारे में इस प्रकार से कहना सही नहीं है, वे सांसद भी हैं। लेकिन सदन की कार्रवाई में थोड़ा सा परहेज तो करना चाहिए।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

04.09.2024/1610/डीटी/DC-1

श्री जय राम ठाकुर.... जारी

की मर्जी के मुताबिक चीजें होनी शुरू होंगी। सरकार की मर्जी के मुताबिक अप्वाइंटमेंट होगी। मुझे मालूम है कि ये क्या चाह रहे हैं। जिस पद में हम रहे हैं हमें भी थोड़ी देर के लिए यह लगता था कि ऐसा होना चाहिए। हमें लगता था कि यूनिवर्सिटी के सारे मामले मुख्य मंत्री या सरकार के पास नहीं आने चाहिए। अल्टीमेटली यह मामले सरकार के पास आएंगे। मैं सही बात कह रहा हूं लेकिन आपके सोचने का नजरिया ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर कितना गिर गया है। ...(व्यवधान) आप पांच साल तक मुझे ही दोष देते रहेंगे। आप अपनी जिम्मेवारी को कब महसूस करेंगे? आप यह कहते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं लेकिन जो मजबूत आदमी होता है वह यह कहता है कि यह आपकी कमी से नहीं मेरी कमी से हुआ है। आप कुछ चीजों को खुले दिल से स्वीकार कर लिया करो। यह अमेंडमेंट बेवजह की है और इससे यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी और कैंपस की सारी एक्टिविटी प्रभावित होगी। मुख्य मंत्री और मंत्री के कार्यालय से यूनिवर्सिटी का संचालन होगा जोकि उचित नहीं है। शिक्षा का स्तर ऊंचा हो ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा दे सकें। हिमाचल में जो पढ़ाई का माहौल है उसका हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। हम अपनी यूनिवर्सिटी का स्तर बढ़ा सकते हैं लेकिन जो आप करने जा रहे हैं उससे आप यूनिवर्सिटी को बहुत नीचे ले जाएंगे। मैं यह कहता हूं कि हम ऐसा करने से अंतिम पायदान पर चले जाएंगे। धन्यवाद।

04.09.2024/1610/डीटी/DC-2

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह दोनों यूनिवर्सिटीज का कंबाइंड बिल है। यहां पर शिक्षा के गिरते स्तर की बात की गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में यूनिवर्सिटी के स्तर को जहां पहुंचाया गया है वह चिंता का विषय है इसलिए हमने इस अमेंडमेंट को लाया है। क्योंकि वहां पर एक ही विचारधार के लोगों की सैंकड़ों में नियुक्तियां हुई हैं जिस कारण हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट आई है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैंने राज्यपाल महोदय के खिलाफ लिखा। मैंने जो गवर्नर संस्था की बात की है कि हमारे संविधान में राजा-महाराजाओं को हटाकर एक नई शुरूआत हुई जिसमें हैड ऑफ दी स्टेट या हैड ऑफ दी यूनियन प्रेजिडेंट या गवर्नर को रखा गया। मैंने यह कहा कि उन्हें कैबिनेट के फैसले को मानना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजा-महाराजाओं के आगे कोई अपील या दलील नहीं होती थी। वे किसी की बात नहीं सुनते थे। गवर्नर को चुने हुए लोगों की बात सुनना पड़ेगी। (***)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04.09.2024/1610/डीटी/DC-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महादेय, माननीय मंत्री जी इस बिल का उत्तर देंगे। श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा है कि एन.आई.आर.एफ. की रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी का नम्बर ही नहीं है। ...(व्यवधान) आप कह रहे हैं कि मुख्य सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी से नीचे होगा। हमने इस बिल में सर्विस कमेटी में फाइनेंस की अमेंडमेंट लाई है। जब इन विश्वविद्यालयों में पद स्वीकृत करते हैं तो उससे पहले कम-से-कम फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछ लिया जाए। इतनी सी बात है लेकिन आप इस बात को पता नहीं कहां ले गए। ...(व्यवधान)

श्री एन. जी. द्वारा जारी

04-09-2024/1615/डी.सी.-एन.जी/1

मुख्य मंत्री.....जारी

...(व्यवधान) मण्डी अलग बात है। ...(व्यवधान) माननीय श्री संजय अवस्थी जी के साथ मण्डी में हम अभी कॉन्वोकेशन करने की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि मण्डी विश्वविद्यालय पर आपको (श्री जय राम ठाकुर जी की ओर ईशारा करते हुए) पहले साल से ही काम करना चाहिए था। अभी मण्डी का कॉलेज कम्पलीट तो हुआ नहीं और माननीय सदस्य, श्री अनिल शर्मा जी बार-बार मुझे कहते हैं कि बिल्डिंग कम्पलीट करने को 2-3 करोड़ दे दो। ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए। जो गलती है उसे आप (श्री जय राम ठाकुर) स्वीकार करिए। हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे। ...(व्यवधान) आप ही ने तो कहा है कि जो बड़ा आदमी होता है वह अपनी गलती स्वीकार करता है। आप (श्री जय राम ठाकुर) बड़े आदमी हैं तो अपनी गलती स्वीकार करिए। ...(व्यवधान) मेरा कहने का मतलब यह है कि फाइनैंस सैक्रेटरी की पोजिशन केवल इतनी ही है। हम विश्वविद्यालय की स्वायता में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारी केवल इतनी ही मंशा है कि पोस्टें सैंक्शन करते समय फाइनैंस सैक्रेटरी को भी पूछा जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके (श्री रणधीर शर्मा की ओर ईशारा करते हुए) संशोधन आ गए हैं और मैं उसे इंटरड्यूज़ कर रहा हूं। You can speak on that. ...(interruption).

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल फाइनैंस सैक्रेटरी के प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष : ठीक है, श्री रणधीर शर्मा जी, आप बोलिए।

04-09-2024/1615/डी.सी.-एन.जी/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें वी.सी. की नियुक्ति में पहले रिकमेंडेशन दी गई और बाद में कह दिया कि एडवाइज़ होगी। आपने तो यह संशोधन लाया है कि विश्वविद्यालय के लिए नियम भी राज्य सरकार बनाएगी। इसे आप एक बार पढ़िए और यह एण्ड में लिखा हुआ है। जो धारा 55-क जोड़ी गई है उसके अनुसार तो इस विश्वविद्यालय के नियम भी सरकार बनाएगी। फिर विश्वविद्यालय की बॉडी , ई.सी. व प्रबंधन बोर्ड क्या

करेगा? वह तो एक प्वाइंट है कि फाइनैंस सैक्रेटरी चेयरमैन है और मुख्य सचिव क्या उसके अंडर मैम्बर रहेगा? एम.एल.ए. तो एक्स-ऑफिशिओ मैम्बर होता है। लेकिन क्या फाइनैंस सैक्रेटरी के अंडर चीफ सैक्रेटरी बैठेगा? यह तो एक प्वाइंट है लेकिन आपने वी.सी. की नियुक्ति में रिकमेंडेशन की बजाय कह दिया कि कमेटी एडवाइज़ देगी। आपने नियम बनाने की पावर ले ली कि सरकार नियम बनाएगी। इससे विश्वविद्यालय की स्वायता समाप्त हो जाएगी। हमारे चांसलर जोकि राज्यपाल महोदय होते हैं, उनकी शक्तियों का हनन होगा। अभी नेगी जी ने कहा कि वे (***) हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वे (राज्यपाल महोदय) ही इस बिल को पारित करेंगे, वे इस बिल को वापिस भी भेज सकते हैं और वे निरस्त भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी शक्तियों के बारे में आपका (श्री जगत सिंह नेगी) कमेंट ठीक नहीं है और अध्यक्ष महोदय, वह डिलीट होना चाहिए। यह चांसलर की शक्तियों के संदर्भ में बिल है और इस बिल पर ऐसा कमेंट दे देना बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है, इसलिए उन शब्दों को वापिस लें। इसके अलावा इन संशोधनों को भी वापिस लें क्योंकि ये दोनों विश्वविद्यालयों की स्वायता का सवाल है।

अध्यक्ष : ऐसा कोई भी शब्द जो माननीय राज्यपाल जी के सम्मान के विरूद्ध होगा उसको माननीय सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। अब माननीय सदस्य, श्री हरीश जनारथा, अपनी बात कहेंगे।

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ई.सी. व एफ.सी. मैम्बर होने के नाते एक बात क्लीयर करना चाहूंगा कि हमारे पास ऑटोनॉमस बोडी बेशक है लेकिन जो संशोधन काफी साल पहले सैक्शन 28-A में लाया गया था, उसमें हम बंध जाते हैं। वह संशोधन भी इस माननीय सदन से पास हुआ है। वह एक ऐसा सैक्शन है जिसमें जो भी financial restrictions हैं,

---

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04-09-2024/1615/डी.सी.-एन.जी/3

जैसे पोस्ट्स क्रिएट करना या सैलरीज़ का कोई इश्यू है, बढ़ाना है, ग्रेड देनी है, वह सभी फाइनैंस के थ्रू जाती हैं। उसमें कम्पल्सरी नहीं है कि Secretary Finance will take the

final decision. उसमें जो ई.सी. ने पास कर लिया ...(व्यवधान) सर, आप सब लोग तो वहीं से हैं और सब कुछ जानते हो...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : आप इसे पढ़िए, इसमें बहुत अंतर है। एच.पी. विश्वविद्यालय का अलग है।...(व्यवधान)

श्री हरीश जनारथा : सर, चांसलर तो गवर्नर साहब ही हैं।...(व्यवधान) ग्रांट तो सरकार ही दे रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री हरीश जनारथा जी यह बिल हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसके प्रोविज़न्ज़ से रिलेटिड बोलिए।

श्री हरीश जनारथाः अध्यक्ष महोदय, तीनों के चांसलर तो गवर्नर साहब ही हैं।

Speaker : That is apart from the issue.

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट है, जो मोनिटर हो रहा है, यह सारा मोनिटर अंडर सैक्रेटरी...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह एक्ट अलग है और यह एक्ट अलग है।

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, फिर ठीक है।

अध्यक्ष.....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

04.09.2024/1620/केएस/एचके/1

अध्यक्ष : इससे पहले कि माननीय मंत्री जी जवाब दें, अमेंडमेंट मूव कर लेते हैं। खण्ड 3,5 व 6 पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी के संशोधन भी आए हैं। क्या माननीय सदस्य इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या उनकी ओर से इन्हें प्रस्तुत हुआ समझूं?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्ष : ठीक है,मैं इन्हें प्रस्तुत हुआ समझता हूं जो कि इस प्रकार हैंः

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) जोकि दिनांक 4 सितम्बर, 2024 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है, पर संशोधनों की सूची :-

क्र0 संख्या	सदस्य का नाम	पृष्ठ	खण्ड	उप-खण्ड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
	श्री रणधीर शर्मा	1	3	(1)	11	**सरकार के परामर्श शब्दों** को विलोप किया जाए ।
		5	5	(क)(1)	21	**सहायता और सलाह के स्थान** पर **सिफारिश शब्द** जोड़ा जाए।
		6	6	-	8	55 (क) को अन्त:स्थापित नहीं किया जाए ।

अतः खण्ड 3,5 व 6 चर्चा हेतु प्रस्तुत हैं। क्या आप इन पर आगे चर्चा करना चाहते हैं? अब माननीय कृषि मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

04.09.2024/1620/केएस/एचके/2

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज जो हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) इस माननीय सदन में रखा गया है, इसके संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर, राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी, माननीय सदस्य सर्वश्री रणधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, विपिन सिंह

परमार, केवल सिंह पठानिया और श्री हरीश जनारथा जी ने कुछ सुझाव रखे हैं और उसमें श्री रणधीर शर्मा जी ने कुछ संशोधन की बात भी यहां रखी।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में महामहिम राज्यपाल महोदय की शक्तियों को कम करने की कोई बात नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय के ऑफिस को अंडरमाइन करने की इस बिल में हमारी कोई सोच नहीं है। हमारी सोच यह है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन्ज़ ऑफ एक्सीलेंस हैं, युनिवर्सिटीज़ हैं, यहां जो पढ़ाई होती है या शोध होते हैं, उन युनिवर्सिटीज़ की गरिमा होती है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 से पहले सिर्फ पंजाब युनिवर्सिटी ही थी और पहले उसकी स्थापना लाहौर में हुई और उसके बाद यहां पंजाब में उसको शिफ्ट किया गया। उन युनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन्ज़ के बहुत अच्छे स्टेंडर्ड रहे हैं। वहां पर पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा रहा है कि उन युनिवर्सिटीज़ से हरगोविंद खुराना जैसे महान शख्स जिन्होंने जीन पर रिसर्च की और जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ऐसा स्टेंडर्ड और स्टेटस उन युनिवर्सिटीज़ का था। It is rightly said that the Universities are not taken to high buildings and sprawling lawns, but the faculty which is teaching in these Universities. आज हिंदुस्तान में हमारी जितनी युनिवर्सिटीज़ हैं उनका ताना-बाना अस्त व्यस्त हो गया है। हर रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, फंक्शनिंग में, एक विशेष विचारधारा को लाने की कोशिश की जा रही है जो कि देश के हित में नहीं है। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए, आजादी से पहले बनारस हिंदू युनिवर्सिटी थी। नाम ज़रूर उसका बनारस हिंदू युनिवर्सिटी था लेकिन उसमें हर वर्ग के, हर किस्म के लोग प्रोफेसर और स्टूडैंट्स थे। उन युनिवर्सिटीज़ का बहुत नाम था। जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी हालांकि मोहम्मडन युनिवर्सिटी थी परंतु उसमें हिंदू लोग भी पढ़ते थे। उससे बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स निकले। इसी

तरह से बहुत सी युनिवर्सिटियां थीं जो आजादी से पहले बहुत बड़ी संस्थाएं थी जो उस वक्त के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि कहीं मुसलमान युनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया थी, इसी तरह से अलीगढ़ युनिवर्सिटी थी जिनके बड़े हाई स्टेंडर्ड थे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.09.2024/1625/av/एचके/1

कृषि मंत्री---------- जारी

जिनके बड़े हाई स्टैंडड्र्ज थे और उन यूनिवर्सिटीज से अच्छे व पढ़े-लिखे लोग निकलते थे। लेकिन आज विडम्बना यह है कि यूनिवर्सिटीज में केपेबिलिटीज को न देखकर उनकी पिछली बैकग्राउंड देखकर नियुक्तियां की जाती हैं कि वे किस विचारधारा से आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो बहुत पढ़ा-लिखा आदमी होगा वह लेफ्टिस्ट होगा और वह उसी विचारधारा का होगा। यदि लेफ्टिस्ट विचारधारा के अच्छे लोग आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने सारे हिन्दुस्तान के लोग इसी विचारधारा के बना दिए। उनकी सोच ऐसी है। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सैफ्रोनाईजेशन यानी विशेष विचारधारा की तरफ जा रही है। मुझे यह कहने में भी कोई अतिश्योक्ति नहीं कि आज हमारे जो भी महामहिम लगाए गए हैं वे भी एक ही विचारधारा के लोग हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आप किसी भी स्टेट में देख लो कि आपके राज्यपाल कैसे हैं। जिन यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की इंटरफेयरैंस ज्यादा हुई हैं वहां आप देख सकते हैं कि आज भी उनमें ठीक वी0सीज0 नहीं लगे हैं। आप पश्चिम बंगाल में देख लो या दूसरे राज्यों में देख लो। हमने राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है। हमने इसी माननीय सदन में पिछले सत्र के दौरान एक बिल पास किया जोकि हमने राज्यपाल महोदय को भेजा था। उन्होंने उसमें कुछ ऑब्ज़र्वेशन्ज लगाकर उसको रेक्टिफाई करने के लिए उस बिल को वापिस किया। हमने वह रेक्टिफिकेशन कर दी और वह बिल दोबारा से राज्यपाल महोदय को भेज दिया। उन्होंने फिर से ऑब्ज़र्वेशन्ज लगाईं और कहा कि इस बिल को आप विधि विभाग को भेजिए। हमने उस बिल को विधि विभाग को भेजा तथा रेक्टिफिकेशन के बाद हमने वह बिल फिर से राज्यपाल महोदय को भेजा। दो बार रेक्टिफिकेशन करके हमने वह बिल राज्यपाल महोदय को भेजा परंतु वह बिल वापिस नहीं आया। यह कोई तरीका नहीं है। यहां चुनी हुई सरकार बैठी है। अगर किसी बिल पर कोई ऑब्ज़र्वेशन लगती है तो संविधान में प्रावधान है कि उस बिल को वापिस किया जाए। हमने उसमें रेक्टिफिकेशन करके वह बिल उनको दोबारा से दिया। उसके बाद उसमें फिर से ऑब्ज़र्वेशन्ज लगी जोकि रेक्टिफाई कर दी गई। संविधान के प्रोविज़न के अनुसार वे उस बिल को वापिस करते या

उसको रिजैक्ट करते। वह बिल न तो वापिस आया और न ही उसको रिजैक्ट किया गया। हमने उनसे

04.09.2024/1625/av/एचके/2

जब दोबारा से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उसको हमने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया।

अध्यक्ष महोदय, यहां की सरकार संविधान के अनुसार बनी है। यहां पर मुख्य मंत्री जी बैठे हैं तथा यहां से पूरी सरकार चलती है। हिमाचल प्रदेश कोई यू0टी0 नहीं है। यह फुल फ्लैज स्टेट है और आप यहां का बिल राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय को तो बिल तब भेजा जाता है अगर यहां पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता या यहां पर यू0टी0 होती। यहां पर पोपुलर गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है परंतु आप उसको बाईपास करके उस बिल को राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं। इसमें तो कोई औचित्य नहीं दिखता। राज्यपाल महोदय द्वारा उसमें जो आशंकाएं जाहिर की गई थी हमने उसको रेक्टिफाई करके उनको भेजा था। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम उस बिल को दोबारा भेज रहे हैं। हमने इसमें कोई परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं की है। हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज का स्टेंडर्ड अच्छा हो। वहां पर अच्छी पढ़ाई हो तथा वहां की रिक्रूटमेंट पॉलिसी ठीक हो। सरकार जहां इतना पैसा देती है तो कम-से-कम सरकार का पक्ष भी उन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए। हमने अभी जो संशोधन लाए हैं और यह बिल किस डायरैक्शन में बनाया है,

टी सी द्वारा जारी

04.09.2024/1630/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
कृषि मंत्री..... जारी

The Bill is in the direction to the Model Act given by Government of India. भारत सरकार ने जो मॉडल एक्ट दिया है उसी को बेस मानकर इसमें हम अमेंडमेंट्स को लेकर आए हैं और हमने यह कहा है कि सरकार का वर्शन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए ताकि

कम-से-कम जो पैसा इन यूनिवर्सिटीज को जाता है उसके बारे में हमें पता हों। हमने किसी की पोजीशन को डाइल्यूट नहीं किया है। अभी तक हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है और न ही हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डिबेट किया जा रहा है। इन यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट पॉलिसी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। बहुत-सी पोस्टें प्रोफैसर और असिस्टेंट प्रोफैसर की खाली पड़ी हैं। इसलिए कोई अच्छी स्क्रीनिंग कमेटी हो जिसमें बेस्ट लोग आएं और इन यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड ऑफ स्टेटस को अच्छा बनाया जाए। ये जो टेम्पल्ज ऑफ लर्निंग है इनमें अच्छा शोध हों। इसी मंशा से इस बिल में अमेंडमेंट लाई गईं हैं। यह जो बिल पेश किया गया है इसमें इन्होंने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसमें हमने इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं लाई है। इसमें लिखा है कि "The Indian Council of Agriculture Research (ICAR) under the aegis of Department of Agriculture Research and Education, Government of India has recently revised the Model Act in the year, 2023 and circulated the same to all the States for its adoption and implementation in the State Agricultural Universities." यह मॉडल एक्ट है जो भारत सरकार ने दिया है। इसमें कहा गया है कि सारे Institutions "Indian Council of Agriculture Research" की गाइडलाइन के साथ यूनिवर्सिटीज चलनी चाहिए। हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज Indian Council of Agriculture executed हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, बड़ू साहब यूनिवर्सिटी और अन्य हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं। हम उन्हीं की गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए इस अमेंडमेंट्स को हाउस में लाए हैं। हम राज्यपाल महोदय की शक्तियों को कम नहीं कर रहे हैं। जो कमेटियां हमने कांस्टिच्यूट की हैं उनमें कहीं भी चीफ सेक्रेटरी के नीचे वाइस चांसलर नहीं होता है। उसमें मैंबर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है। किसी भी कमेटी में चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन को degrade नहीं किया है। जैसे सैक्शन-24 में कहा गया है इसमें सरकार का एक नॉमिनी होना चाहिए और इसमें क्या बुरी बात है? सरकार का फाइनेंस सेक्रेटरी भी बैठ सकता है। One of the

04.09.2024/1630/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

Member, यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट कमेटी में अगर अच्छे लोग जाकर बैठ जाए तो क्या बुरी बात है? हम उनकी पावर्ज को स्नैच नहीं कर रहे हैं। यह हम भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज स्वायतता प्रदत्त होनी चाहिए और इनमें बार-बार सरकार की इंटरफेयरेंस नहीं होनी चाहिए लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड अच्छा हो। ये यूनिवर्सिटीज नाम की यूनिवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ स्टेटस अच्छा होना चाहिए ताकि यहां से पड़े-लिखे नौजवान आगे अच्छे स्कॉलर, वैज्ञानिक या एडमिनिस्ट्रेटर बन सकें। इसके लिए यूनिवर्सिटीज का अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। उनमें अच्छी फैकल्टीज होनी चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम राज्यपाल महोदय की पोजीशन को इरोड करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि जो रिसर्चिज हो रही है वह lab to land concept होनी चाहिए ताकि किसानों और बागवानों को अच्छी सुविधाएं मिले। इसी संदर्भ से यह बिल इस माननीय सदन में लाया गया है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

04.09.2024/1635/एन.एस.-वाई.के./1

कृषि मंत्री ----- जारी

बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं और नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी कुछ शंकाए इसमें जाहिर की हैं। इसमें मुख्य मंत्री जी ने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम ऑटोनोमी को खत्म करें और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को और डीग्रेड करें। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड अच्छा हो। इसी संदर्भ से इस एक्ट को इस माननीय सदन में लाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपने संशोधन वापिस लेना चाहेंगे?

श्री रणधीर शर्मा : नहीं।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि खण्ड 3, 5 व 6 में जो संशोधन माननीय सदस्य रणधीर शर्मा से प्राप्त हुए हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

संशोधन अस्वीकार हुए।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5 व 6 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

04.09.2024/1635/एन.एस.-वाई.के./2

पारण :

अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश विधान सभा हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) पारित हुआ"

नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प

अब नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत होगा। अब मैं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-102 के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सम्बन्धित

04.09.2024/1635/एन.एस.-वाई.के./3

परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।"

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

04.09.2024/1640/RKS/एजी-1

अध्यक्ष... जारी

इस पर चर्चा करने के लिए माननीय सदस्य भाग ले सकते हैं। बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। मेरे पास 6 सदस्यों की लिस्ट आई है। मेरा आग्रह है कि आप इस चर्चा के माध्यम से संक्षेप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। अब माननीय मुख्य संसदीय सचिव, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

04.09.2024/1640/RKS/एजी-2

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई है उसकी शुरुआत कुल्लू से हुई थी। हिमाचल का काई भी जिला ऐसा नहीं था जो इस त्रासदी से अछूता रहा हो। जब कुल्लू में त्रासदी आई तो माननीय मुख्य मंत्री जी का वहां ग्राउंड जीरो पर कुछ घंटे का प्रोग्राम था। लेकिन वहां के हालात को देखते हुए मुख्य मंत्री जी वहां 3 दिन और 2 रात तक रुके। जब मैं सत्र के बाद शिमला से कुल्लू वापिस जा रहा था तो मुझे मण्डी में रूकना पड़ा क्योंकि आगे के हालात ठीक नहीं थे। जब वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि नगवाईं में लोग फंसे हैं तो हम उपायुक्त मण्डी के साथ नगवाईं निकले और रात के 12.00 बजे वहां 6 जानों को बचाया। आलू ग्राउंड, कसोल और छरूढ़ू में भी बहुत ही भयाभीत करने वाले हालात बने थे। सारे मंत्रीगण व विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावितों को बचाने के लिए लगे थे। ऐसा लग रहा था कि अब यह तबाही रूकने वाली नहीं है। कुंजम पास में जिस तरह से माननीय मंत्रियों ने हजारों प्रभावित पर्यटकों को अपने घरों तक पहुंचाया उसकी सराहना पूर्व मुख्य मंत्री श्री शांता कुमार जी के साथ-साथ नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने भी की है। जब इस त्रासदी का आकलन किया तो पाया गया कि इस त्रासदी से हिमाचल प्रदेश को लगभग 12000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस त्रासदी में 500 जानें चली गई। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से 9,042 करोड़ रुपये सहायता की मांग की। हमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद थी कि वे हमें विशेष सहायता देंगे। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि

हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। वे हिमाचल की धाम, माल रोड के कॉफी हाउस, बिजली महादेव, सेपू बड़ी, मदरे, अच्दे दिनों व सुखद अनुभव की बात हमेशा करते हैं। लेकिन उन्होंने इस दुःख की घड़ी में हमारे प्रदेशवासियों के लिए दो शब्द भी कहना उचित नहीं समझे। मैं मानता हूं कि अभी यहां पर (***) लगेगी। ...(व्यवधान) आप बौखलाएंगे। ...(व्यवधान)

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री बी.एस.द्वारा जारी

04.09.2024/1645/बी.एस./ए.जी-1

श्री सुन्दर सिंह (मुख्य संसदीय सचिव) जारी...

(व्यवधान)...अभी मुख्य मंत्री जी की भावना देखिए और उनकी एक राजनीतिक दृढ़ता को देखिए कि जी-20 का रात्रि भोज दिल्ली में रखा गया था। हमारा यह फैसला था कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से कोई भी मुख्य मंत्री उस भोज में नहीं जाएगा। लेकिन ये अपने हिमाचल की आवाज को प्रधान मंत्री के समक्ष रखने के लिए वहां पर गए और इन्होंने वहां पर अपनी पार्टी के आदेश के विपरीत हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रिय अवधारणा को रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने उस रात्रि भोज को ग्रहण किया। आपने वहां जा करके हिमाचल प्रदेश की बात की। उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के बड़े-बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, (***)...(व्यवधान)... उनका संसद में प्रतिनिधित्व था और मंत्री थे, शीर्ष नेतृत्व था।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

Speaker: Sunder Singh Thakur ji, please use the decent words. All those indecent words will be removed from the record.

श्री सुन्दर सिंह (मुख्य संसदीय सचिव) : हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुल्लू उनका दूसरा घर है। हम उनका स्वागत करते हैं और वे हमारे अपने शहर कुल्लू में रहते हैं। लेकिन कुल्लू में इतनी बड़ी त्रासदी आने के बाद कोई भी मुखर आवाज हमें दिल्ली में सुनाई नहीं दी। उसके साथ हम चाहते थे कि हमें कुछ पैसा मिले लेकिन मात्र जो Union Government के Projects and Schemes under NDRF or SDRF का जो पैसा सामान्य तौर पर हर एक प्रदेश को मिलता है उसकी किस्त को अग्रिम करके हमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। यह पैसा तो हमें बाढ़ नहीं आती तब भी मिलना ही था। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बाद उसे अग्रिम किया गया है और फिर उस पर ढिंढोरा पीटने की आपने बड़ी कोशिश की। हम लोग ग्राउंड जीरो पर लोगों को रहत पहुंचा रहे थे परंतु आप मीडिया के माध्यम से कॉन्फ्रेंस करके यही जताने की कोशिश कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ है। आपका वहां पर जो व्यवहार रहा है वह सही नहीं रहा है। मैं वर्तमान में आता हूं, आप पुरानी बातों को छोड़िए। आपको बुरा लगेगा कि पिछली बार भी जब मैं बाढ़ के ऊपर बोल रहा था तो आप

04.09.2024/1645/बी.एस./ए.जी-2

सभी लोग खड़े हो गए थे और मुझे कहने लगे कि यह जो तथ्य ले करके आया है कि उत्तराखंड में वर्ष 2013 में जब बाढ़ आई थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधान मंत्री थे। उस वक्त वहां पर नुकसान हुआ था वह हिमाचल के बरबर नहीं था। नौ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, नौ हजार करोड़ रुपये के नुकसान में जो केदारनाथ की त्रासदी हुई एक हजार करोड़ रुपये उस वक्त के प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो अर्थशास्त्री थे, वे जुमले नहीं बोलते थे न ही वे सेपूबड़ी और मधरा की बातें करते थे। लेकिन उनमें इतनी संवेदना थी कि एक हजार करोड़ रुपये उन्होंने दूसरे दिन उत्तराखंड को दिया। उसके साथ केन्द्र सरकार की तरफ से Cabinet Committee on Uttarakhand बनाई लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई। आप पिछली बार कह रहे थे कि यह दस्तावेज झूठे हैं। मैंने ये दस्तावेज विधान सभा के पटल पर रखें हैं आज तक आप उनको चेजेंज नहीं कर पाए हैं। मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि 11 दिसम्बर, 2013 में जो Cabinet Committee on Uttarakhand थी उसने

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

4.09.2024/1650/डी0टी/ए0एस0-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव जारी...

7346 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया। 1885 करोड़ रुपया केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से, Rs. 1200 crore given to SDRF, उसके साथ 3168 करोड़ रुपये spend on External Aided Projects, साथ में Prime Minister Relief Fund से। आप हमें बतायेंगे कि वर्तमान में आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जिसमें आप हमें बता सकें कि हिमाचल प्रदेश को Prime Minister Relief Fund से कुछ मिला? मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं मिला। लेकिन केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल में Prime Minister Relief Fund से 154 करोड़ रुपये तात्कालिक प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने उत्तराखंड सरकार को दिए थे। मैं इस बात का उल्लेख भी यहां करना चाहता हूं कि इतने संवेदनशील मामले पर चर्चा इस मान्य सदन में चली है और नेता प्रतिपक्ष सदन से नदारद हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन् जी द्वारा जब इस वर्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला और उनसे मिलने का मौका मिला। जब हम उनके पास गये तो उस समय जो उनका रवैया था वो मानों ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाहा रही थी हिमाचल प्रदेश भारत का अंग ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो लोन की केपिंग लगाई गई है, वह हिमाचल के साथ भेदभाव है जिसके कारण हिमाचल आज ऐसी वित्तीय स्थिति में धकेला गया। वर्तमान केंद्रीय बजट जब संसद में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि बिहार से श्री नितिश कुमार जी का समर्थन चाहिए, इसलिए उनकी सरकार को 11500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद इस बजट के द्वारा वहां आई आपदा के लिए दी गई। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि जो धनराशि बिहार सरकार को केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है वह राशि विवशता के कारण उपलब्ध करवाई गई क्योंकि श्री नितिश जी का समर्थन केंद्र की सरकार को चाहिए। Under the Accelerated Irrigation Benefit Programme & Other Sources में इतना पैसा दिया। Assistance to Assam for Flood Management and Related Projects will be provided, these are the words of the Union Finance Minister. She expressed desire for Sikkim और उन्होंने सिक्कम के लिए कहा to Aid State Reconstruction

following Catastrophic glaciers जो लेकआउट बर्स्ट वहां पर हुई थी, उसकी वजह से उनको भी काफी कुछ देने की बात कही गई। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं जो ऐसे वक्त में भी 4500 करोड़ रुपये का एक आर्थिक पैकेज लेकर आए और कुल्लू के दशहरा मैदान से जब उन्होंने उसकी घोषणा की तो पात्र व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। हमनें बाद में ये भी पाया कि कुछ

4.09.2024/1650/डी0टी/ए0एस0-2

क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कुछ अनियमितताएं हुईं हैं। लेकिन ऐसे मामले में उस विचारधारा के लोग थे जोकि थोड़ा तेज होते हैं और हर जुगाड़ को जानते हैं और उस जुगाड़ को सेट करना जानते हैं। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय अगर कुछ कुपात्र लोगों को ऐसी राशि मिली है वह राशि ग्राम सभा से वेरीफाई होनी चाहिए। क्या वह उसके लिए पात्र थे या नहीं थे। अगर वह उसके लिए पात्र नहीं थे तो उनको दी गई राशि को रद्द किया जाना चाहिए।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

04-09-2024/1655/ए.एस.-एन.जी/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर.....जारी

विपक्ष ने मांग की कि विधान सभा के सत्र को बुलाया जाए और इस पर चर्चा की जाए। मुख्य मंत्री जी ने सत्र को बुलाया, हालांकि हालात ये थे कि हमें रिहैबलिटेशन के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को लगाना था। लेकिन आपने (विपक्ष) एक ऐसा दवाब बनाया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और हमें लगा कि विपक्ष इस पर बहुत गम्भीर है। हमें लगा कि विपक्ष इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहता है। जब इस माननीय सदन में एजेंडा आया कि हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए तो विपक्ष ने इस बात से मुहं मोड़ लिया और चर्चा के दौरान यह कहने की कोशिश की गई कि हिमाचल प्रदेश में जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। विपक्ष का जो व्यवहार था उसे हिमाचल प्रदेश की जनता ने स्वयं देखा है। आप (विपक्ष) हिमाचल प्रदेश की जनता के दुःख में भी राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में डिसास्टर हुआ है और

हमने व हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मांग की थी कि on the line of Kutch Disaster, जो वर्ष 2001 में हुआ था और उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, हिमाचल प्रदेश की आपदा को भी उसी तर्ज पर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उसके बाद वर्ष 2013 में केदारनाथ की आपदा आई और उसे भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। हम यही चाह रहे थे कि आप (विपक्ष) इसमें हमारा साथ देते। हमें यह उम्मीद थी कि अब हमारे बीच में सुश्री कंगना रणावत आई हैं और उन्होंने कहा कि मैं तो मण्डी व केन्द्र के बीच डाकिया बन कर काम करूंगी। ऐसा लग रहा है कि उनका अपना पार्सल ही गुम हो गया है। उनका पैकेज ही गुम हो गया है। आप लोग (विपक्ष) उनको इतनी बड़ी आपदा में भी मण्डी संसदीय क्षेत्र में आने से रोक रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके पास कौन सा आधार कार्ड लेकर जाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि हमें एक आपदा कार्ड अलग से बनाना पड़ेगा। आपदा प्रभावित जो परिवार हैं उन्हें वह कार्ड मिलना चाहिए और वे माननीय सांसद को उसे दिखा कर अपनी बात कह सकें ताकि वे डाकिया बन कर हमारी बात को आगे पहुंचा सके। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को इसलिए सुदृढ़ किया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा के समय में बहुत बेहतरीन प्रबंधन किया था। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी भी मौका है और मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि बेशक आप ही सारा श्रेय ले लीजिए, लेकिन परिवार में जब आपदा आती है तब राजनीति नहीं देखी जाती। आपदा को दुश्मन मान कर हम सभी को उसके ख़िलाफ एकजुट होकर सामुहिक रूप से खड़ा होना चाहिए। इस वर्ष भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ

04-09-2024/1655/ए.एस.-एन.जी/2

है। अनेक क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। इन सब बातों के लेकर अगर आप (विपक्ष) गम्भीरता दिखाते हैं, यदि आप हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील हैं तो अब भी मौका है, आइए, मिलजुल कर माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सभी (पक्ष व विपक्ष) लोग व हमारे सभी सांसद अपनी बात को केन्द्र सरकार के समक्ष रखें। जिस प्राकर से अन्य प्रदेशों को बजट दिया जा रहा है उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को भी दिया जाए और हिमाचल प्रदेश से कोई भेद-भाव न हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता के दुःख को समझते हुए हमें एकजुट होना होगा। राजनीति से ऊपर उठ

कर इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा और अपनी आवाज़ को केन्द्र में बुलंद करना होगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : इसी चर्चा में 7 माननीय सदस्य भाग लेना चाह रहे हैं। उसमें श्री भवानी सिंह पठानिया, श्री विवेक शर्मा (विक्कू), श्री सुरेश कुमार, श्री नीरज नैय्यर, श्री रणधीर शर्मा और श्री विपिन सिंह परमार जी शामिल हैं। अब पांच बज चुके हैं तो इसलिए इस पर कल चर्चा की जाएगी।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2024 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला : 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 04 सितम्बर, 2024 **सचिव।**